खण्ड-432, अंक-2
सोमवार, 13 पौष, शक संवत् 1921
(3 जनवरी, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1999-2000)

खण्ड 432 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1-2
प्रश्नोत्तर (जारी)	2-4
सदन में दर्शक दीर्घा से नारे लगाने एवं पर्चा फेंकने का प्रयास	4
प्रश्नोत्तर	4-86
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	86-87
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्र में परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई समस्या का निदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 से प्रमुख सचिव के आदेश का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में कार्यरत वन श्रमिकों को अल्प वेतन देने एवं गत 15 वर्षों से नियमित न किये जाने से उत्पन्न असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
प्रदेश में गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपराधिक मुकदमों को सरकार द्वारा वापस लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर में निर्मित ग्रामीण स्टेडियम के अधूरे कार्य को पूरा कराने तथा स्टेडियम का रख-रखाव एवं सुरक्षा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	90
विधान मण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न होने के कारण माननीय मुख्य मंत्री को नेता सदन के रूप में अभिज्ञात किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	91-97
विधायकगण को 10 लाख कूप जे० आर० वाई० तथा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कार्यों का प्रस्ताव देने के अधिकार से वंचित किये जाने तथा विधायक निधि का धन अवमुक्त न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	97-106
उत्तर प्रदेश के निगमों में सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्षों/प्रशासकों द्वारा करोड़ों रुपयों के अपव्यय विषयक दिनांक 24-7-98 को नियम 301 में दी गयी सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	106-107

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री अम्बिका चौधरी, उपनेता समाजवादी पार्टी पर लखनऊ में दिनांक 26 दिसम्बर, 1999 को हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में सूचना (जारी)	108-111
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश नगर निगम अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	111
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	112
सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	112
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	112
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	112
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	112
उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1999 के द्वितीय सत्र में नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	112
कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति की अधिसूचना संख्या–(क) क० नि०–2-2105/ ग्यारह–99(17)/96 उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-99 दिनांक 11 अक्टूबर, 1999	112

विषय	पृष्ठ संख्या
(ख) क० नि०-2-2529/ग्यारह-9-(82)/98-उ० प्र० अधि०–15-48 आदेश–99 दिनांक 30 नवम्बर, 1999 (ग) क० नि०–2-2283/ग्यारह-9-(81)/91–उ० प्र० अध्या०–21-99 आदेश–99 दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयी)	113
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा, 1998-99 (सदन के पटल पर रखा गया)	113
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1993-94 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	113
सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95 (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	113
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 (सदन के पटल पर रखा गया)	113
आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयी)	114
उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	114
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखा गयी)	114
उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयी)	114
संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	114
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1999 में शोधन का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया).....	115
उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	115
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115-116
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
श्री अम्बिका चौधरी, उपनेता समाजवादी पार्टी पर लखनऊ में दिनांक 26-12-99 को हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में सूचना ...	116-119
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	119-123
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 (जारी) ...	123
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 के पुरःस्थापन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	123
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित)	123
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित) ...	124
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित) ...	124
उत्तर प्रदेश आमोद और प्रणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित) ...	124
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित)	125
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना ...	125-131
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	131-133
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण	133
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	134-155
दर्शक दीर्घा से नारे लगाने एवं सदन में पर्चा फेंकने के प्रयास में पकड़े गये व्यक्तियों को उपवेशन की समाप्ति के उपरान्त छोड़े जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	155-156
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय" के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन ...	156
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय" के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के प्रस्ताव पर आरम्भ चर्चा का स्थगन	156

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) के विशेष प्रतिवेदन पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री केशो मेहरा तथा अन्य द्वारा नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विचार हेतु चर्चा का स्थगन	156-158
दिनांक 13 जुलाई, 1999 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (क) के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	158-161
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	162
नत्थियां	163-167

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 3 जनवरी, 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	मुस्लिम, डा०	रायबरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	यशवन्त, श्री	आजमगढ़
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	रघुराज प्रताप सिंह	
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
अमर मणि, श्री	महराजगंज	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
के०सी० सिंह "बाबा", श्री	ऊधम सिंह नगर	राजेश कुमार सिंह, श्री	मुरादाबाद
गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	राम आसरे सिंह कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	श्रीराम,श्री	मऊ
पीटर फैन्थम श्री	नाम निर्देशित सदस्य	संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
प्रदीप कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बच्चा पाठक, श्री	बलिया	सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
विजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर	सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री	बाराबंकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 3 जनवरी, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

डा० वकार अहमद शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य पर प्राणघातक हमला हुआ है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, अम्बिका चौधरी पर हमला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अम्बिका चौधरी जी का प्रश्न मेरे संज्ञान में है, इसे नियम 3(5) की सूचनाओं के बाद ले लूंगा । चूंकि यह सत्र बहुत छोटा है । नियम के अनुसार कार्य हो । इसलिये मेरा अनुरोध है कि कृपया इस दिशा में सदस्य सहयोग देने का कष्ट करें ।

(श्री अध्यक्ष ने सभी सदस्यों के लिए नव सहस्राब्दि वर्ष की शुभ कामनाएं व्यक्त कीं)

श्री प्रमोद कुमार–

नई सदी के इस सत्र में शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि प्रदेश में इस सरकार से मुक्ति मिल जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–1

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस समय प्रदेश में शीतलहरी चल रही है, अचानक सर्दी बढ़ गयी है पर न तो कहीं अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी है और न (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल हो जाने दीजिए । माननीय नेता विरोधी दल । नियम–300 के बाद माननीय अम्बिका चौधरी जी का प्रकरण ले लेंगे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, सरकार की कानून-व्यवस्था बहुत खराब है । पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । अम्बिका चौधरी पर प्राणघातक हमला हुआ । बहराइच में बालकराम पर प्राणघातक हमला हुआ ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपके आश्वासन देने के बावजूद जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, बार-बार अवरोध उत्पन्न हो रहा है । इस पर माननीय अध्यक्ष जी एक बार व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी तक माननीय सदस्यों ने कानून-व्यवस्था में जो प्रदेश की स्थिति है, उसके संबंध में आपके सामने अपनी बात रखी । इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय चूंकि सारे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पुलिस स्वयं निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रही है और कत्ल, डकैती, अपहरण, बलात्कार की घटनाओं की बाढ़ आ गयी है । 311 में इससे सम्बन्धित एक सूचना डाली गयी है । मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में आप उसे लीजिए । कई माननीय सदस्यों की जो बातें हैं, आपके सामने आ जायेंगी, और सरकार के सामने भी आ जायेंगी, जिससे सरकार सचेत हो और लोग इस उत्पीड़न से बच सकें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध है कि नियम–56 में कार्य-स्थगन पर कोई सूचना नहीं है। नियम–311 के बारे में आपको स्वयं ज्ञात है कि नियम 311 बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति में लिया जाता है । यदि नियम–56 में आप सूचना दे दें ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, नियम 311 में सुन लिया जाये या 311 को नियम–56 में परिवर्तित करके सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

कार्य सूची में नियम–56 को जिस समय लेंगे उस समय सुन लेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह आश्वासन पीठ की तरफ से आना चाहिए कि नियम–311 की इस सूचना को नियम–56 में सुन लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था के संबंध में नियम–311 की सूचना को नियम–56 में सुन लिया जाय । मैंने आग्रह किया था कि जिस समय कार्यसूची में नियम–56 की सूचनाएं ली जायेंगी उस समय आपकी सूचना को ले लेंगे ।

प्रश्नोत्तर

प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने हेतु योजना की जानकारी

**1.—श्री बी० आर० वर्मा, श्री रामजग तथा श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने हेतु उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 प्रख्यापित किया गया है ।

प्रोन्नति के पदों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु भी शासनादेश है । इस प्रकार आरक्षण प्रदान करने हेतु पूर्व में ही योजना बनी हुई है ।

कार्य योजना निम्नानुसार है :––

(1) आरक्षण लागू करने के लिये अधिनियम में रोस्टर बनाकर उसे अनवरत् रूप से लागू करने की व्यवस्था हैं । सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के लिये रोस्टर बने हुए हैं ।

(2) भर्ती वर्ष में आरक्षित रिक्ति बिना भरे रहने पर भर्ती वर्ष में तीन बार विशेष भर्ती की व्यवस्था है ।

(3) विशेष भर्ती में भी आरक्षित रिक्ति बिना भरी रहने पर उसे अग्रेनीत करने का प्राविधान है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि शासनादेश हैं या जो एक्ट लागू है उसके बावजूद भी आरक्षण का कोटा अपूर्ण रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत की पूर्ति आरक्षण में हुई-है । अगर मंत्री जी के पास यह जानकारी हो तो दे दें अगर नहीं है तो मैं सूचना दे रहा हूं कि जो राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा पुस्तिका छपी है उसमें विभिन्न संवर्गों में, विभिन्न श्रेणियों में ओ० बी० सी०, एस० सी, एस० टी० का कितना आरक्षण पूरा हुआ है उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि एस० सी० एस० टी० का क्लास–1 की सेवाओं में आरक्षण 5 प्रतिशत, क्लास–2 में 7 प्रतिशत, क्लास–3 में 9 प्रतिशत तथा क्लास–4 में 12 प्रतिशत आरक्षण आज की तारीख तक पूरा है । इसी तरह से ओ० बी० सी० में क्लास–1 में 2 प्रतिशत, क्लास–2 में 3 प्रतिशत, क्लास–3 में 5 प्रतिशत और क्लास–4 में 13 प्रतिशत आरक्षण पूरा है । आज की तारीख में देखा जाय तो किसी भी श्रेणी में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है । जो मौजूदा प्राविधान है उसमें 50 प्रतिशत तक ही आरक्षण की व्यवस्था है । यदि पद रिक्त रह जाते हैं तो विशेष भर्ती अभियान 3 बार चलाया जायेगा । इस तरह से मान्यवर, अगर यह प्रक्रिया चालू रही तो आरक्षण कोटा जो अपूर्ण है वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो आरक्षण कोटा अपूर्ण है, शासनादेश और एक्ट लागू होने के बावजूद भी, उसको पूरा करने के लिये क्या सरकार कोई कार्य-योजना बनायेगी? दूसरा प्रश्न यह है कि एक शासनादेश लागू है कि थानाध्यक्षों की तैनाती में भी आरक्षण होगा लेकिन आज आप किसी जिले में देखें उसका अनुपालन नहीं हो रहा है । किसी भी जिले का पुलिस अधीक्षक आधा प्रतिशत थानों में भी आरक्षण का पालन नहीं कर रहा है ? तीसरा सवाल यह है कि जब सुश्री मायावती जी की सरकार थी तो उसने आरक्षण कोटा पूरा करने के लिये विशेष भर्ती अभियान चलाया था जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पदों को भरने का काम किया गया था । क्या इसी तरह से कोई विशेष भर्ती अभियान चलाने का काम यह सरकार करेगी ? यदि हाईकोर्ट का फैसला उसमें बाधित हो रहा हो तो उस फैसले को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में कोई संशोधन करेगी जिस तरह से केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कर रही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी, विद्वान सदस्य हैं । नई सहस्त्राब्दि में जिस प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है सरकार इस दिशा में सचेष्ट है और उसके लिये अधिनियम में पूरी व्यवस्था कर रखी है । जब कभी भी भर्तियां होती हैं तो 1994 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के अधिनियम के अनुसार भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत आरक्षण

की व्यवस्था प्रदान की गयी है । सीधी भर्ती पर अन्य पिछड़े दर्ग के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 2 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान है । बड़े विस्तारपूर्वक जो प्रश्न किया गया है, यह अनवरत और सतत् प्रक्रिया है । मैं माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे-जैसे रिक्तियां होती जायेंगी, सीधा चयन होता जायेगा तद्नुरुप यह आरक्षण प्रदान होता जायेगा । जब कभी पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग या समूह "ग" में भर्तियां हुई हैं तो इस बात का ध्यान रखा गया है, इन वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है । इन वर्गों के पदों को भरने की दिशा में हम हमेशा सचेष्ट हैं और हमारी सरकार इसके लिये प्रयत्नशील रही है । यह जो 50 प्रतिशत का आरक्षण है उसमें 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है । इस संदर्भ में मैं यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1993 के पहले जब से यह अधिनियम प्रवृत्त में है उसके पहले 15 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के लिए था । उसे 27 प्रतिशत किया गया है उसे भरने में समय लगेगा । जैसे-जैसे रिक्तियां आयेंगी हम भरते जायेंगे । तद्नुसार आरक्षण की मंशा पूरी होती जायेगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो सवाल पूछा था उसमें से दो का उत्तर नहीं आया । एक तो यह था कि थानाध्यक्षों की तैनाती में जो आरक्षण प्रक्रिया है उसका किसी जिले में पालन नहीं किया जा रहा है । दूसरे यह कि जो बैकलाग है उसको पूरा करने के लिए क्या सरकार विशेष भर्ती अभियान चलायेगी ? जैसे बहिन मायावती जी की सरकार ने विशेष भर्ती अभियान चलाया था । क्या सरकार कोई विशेष भर्ती अभियान चलाने का प्रयास करेगी और यदि उसमें कोई आदेश हाईकोर्ट का बाधित हो रहा है तो आरक्षण अधिनियम में संशोधन करके विशेष भर्ती अभियान चलायेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 1 मई, 1997 को विशेष भर्ती चयन के आदेश दिये गये थे । वैसे भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी । शशिकान्त राय बनाम राज्य सरकार में मा० उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी आरक्षण को पूरा करने के लिये विशेष भर्ती अभियान नहीं चलाया जा सकता है । जब तक कि किसी वित्तीय वर्ष में सामान्य चयन की कार्यवाही न कर ली जाय ।

(इसी मध्य श्री अखिलेश सिंह सदन के वेल में आ गये)

सदन में दर्शक दीर्घा से नारे लगाने एवं पर्चा फेंकने का प्रयास

(दर्शक दीर्घा से कुछ दर्शकों ने नारे लगाये एवं पर्चा फेंकने का प्रयास किया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें । अगर व्यवधान करने वाले किसी विधायक की पर्ची से भी आये होंगे तो विधायक के विरुद्ध भी कार्यवाही होगी । कृपया मंत्री जी को अपना उत्तर देने दें ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

शशिकान्त राय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा० उच्च न्यायालय ने 20-5-88 को यह निर्णय दिया था कि बैकलाग को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती नहीं की जा सकेगी । जैसा कि एक्ट के भीतर प्राविधान है जितनी रिक्तियां होंगी सीधी भर्ती का पद विज्ञप्ति किया जायेगा उसमें से 50 प्रतिशत आरक्षण द्वारा पद भरे जायेंगे अगर आरक्षण को पूरा इसके द्वारा पूर्ण न हो सका तो तीन विशेष भर्ती

की जा सकेगी । हमारे जो अधिनयम में व्यवस्था थी जिसके विपरीत कार्यवाही को उसको ही हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय मंत्री जी ने वर्मा जी के प्रश्न का अधूरा उत्तर दिया है । उसके संदर्भ में मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं । श्रीमन्, 52 साल से हमारा देश आजाद है और इन सालों में कोटा नहीं भरा गया प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जाति/जनजाति के 5 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में 7 प्रतिशत व चतुर्थ श्रेणी में भी कोटा पूर्ण नहीं है । इसी तरह से पिछड़ी जातियों के लिये जिनके लिये श्री मुलायम सिंह ने 27 प्रतिशत आरक्षण किया था दो प्रतिशत प्रथम श्रेणी में पिछड़ी जाति के लोग हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मंत्री जी ने उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है । जिसके निर्देश यह हैं कि विशेष भर्ती अभियान के तहत कोटा पूर्ण नहीं किया जा सकता । जो सामान्य नियुक्तियां होती हैं और भर्ती की जाती है उसके आधार पर पूरा किया जायेगा । तो वस्तुस्थिति यह है कि पिछड़ी जातियों के लोग प्रथम श्रेणी में 2 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के 5 प्रतिशत लोग हैं । क्या यह सरकार एक्ट में संशोधन करने के लिये विधान सभा में प्रस्ताव लायेगी । हम लोग उसका पूरा समर्थन करने के लिये तैयार हैं । क्या हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध संशोधन करने के लिये इस सदन में कोई प्रस्ताव आयेगा ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा भी नेता विरोधी दल के प्रश्न के साथ एक छोटा सा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो अनुभवी हैं । इस प्रश्न का उत्तर आने दीजिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं पूरी स्थिति को सदन के सामने रखना चाहता हूं । सन् 1977 के पूर्व में सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए प्राविधान था ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मंत्री जी सही बात नहीं बता रहे हैं, प्रश्न से हट कर बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी प्रश्न केवल इतना है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विशेष भर्ती अभियान नहीं होना चाहिए । सामान्य भर्ती के साथ ही साथ यह भर्ती होनी चाहिए । इस निर्णय के उपरान्त शासन की ओर से कोई संशोधन का प्रस्ताव है या नहीं । केवल इतनी सी बात है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इन्द्रा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है वही व्यवस्था भारत सरकार के संविधान में भी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आपके निर्देश के बावजूद भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं ?

श्री रामजग–

मान्यवर, इस सरकार की मंशा अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित कोटा को भरने और ओ० बी० सी० के कोटे को भरने की नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार पिछड़ों की विरोधी सरकार है ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, चूंकि यह सरकार दलितों की विरोधी है और ऐसी स्थिति में मैं और मेरे दल के सदस्य इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम जग–

अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति–जनजाति और पिछड़ी जातियों के नौकरी में भर्ती के लिये जो कोटा भरने का सवाल है यह प्रश्न अलग है दूसरा भी प्रश्न है जो कि पदोन्नति का है । इस मामले में मुझे यह कहना है कि पदोन्नति में भी अनुसूचित जाति–जनजाति का कोटा पूरा नहीं है । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में क्या यह सरकार ऐक्ट में संशोधन करके एक्ट में आरक्षण करके कोई अभियान चलाने की घोषणा करेगी । दूसरी बात यह है कि पदोन्नति का सवाल सवर्ण जाति के कर्मचारियों और अधिकारियों को अर्हता में छूट देकर पदोन्नति की जाती है । क्या यह सरकार आरक्षित जाति का कोटा पूरा करने के लिये पिछड़ों को अर्हता में छूट देकर उनका कोटा पूरा करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इन दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में श्रमिकों की 27 हजार भर्तियां की गयीं जिनमें 13 हजार से अधिक आरक्षित पदों के माध्यम से भरी गई । इसी प्रकार पुलिस में लगभग साढ़े ग्यारह हजार भर्ती हुई जिसमें साढ़े चार हजार आरक्षित कोटे से भरी गई । इस प्रकार भा० ज० पा० सरकार लगातार आरक्षण कोटे को भरने में सतत् प्रयत्नशील है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जगदम्बिका पाल जी पूरी बात आने दीजिये ।

श्री राम ललित चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हाल में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई । आरक्षण का पालन भी किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट के स्टे पर भर्ती में जो बाधा आई, उस बाधा को दूर करने के लिए एक्ट में क्या संशोधन लायेगी यह सरकार ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी प्रश्न इतना है कि क्या आपके पास कोई उपाय है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं प्रदान किया । यही व्यवस्था भारत के संविधान में भी है । भारत के संविधान के अन्तर्गत सभी नियम बना दिये गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं, विगत दिनों मंत्रिपरिषद् ने जो फैसला लिया है उसमें और माननीय मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है । मेरा कोई विरोध नहीं है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तद्नुरूप शासन कोटे को पूरा करना चाहता है । यदि शासन 50 प्रतिशत के आरक्षण को पूरा करना चाहता है तो जब-जब रिक्तियां आती जायेंगी सामान्य प्रक्रिया के तहत रिक्तियां भरी जायेंगी । मान्यवर, एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है । मा० कल्याण सिंह जी की सरकार में शिक्षकों की भर्ती की और इस मंत्रि-परिषद् में एक फैसला किया और एक वर्ष से रिक्त पड़े एक हजार पदों को निरस्त कर दिया गया । जब पद ही निरस्त कर दिये गये तो फिर यह 50 प्रतिशत के आरक्षण को कैसे पूरा कर पायेंगे ? इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

पद निरस्त किये गये यह शासन का निर्णय है.....

(श्री जगदम्बिका पाल के लगातार खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आरक्षण का एक महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

शासन ने जो निर्णय लिया है उसके लिये आप अलग से प्रश्न करिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं इसलिए मैं मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दो चीजें स्पष्ट हो गई–पहला इस सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि हम 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा पूरा नहीं कर पाये हैं और दूसरा हाईकोर्ट ने जो स्थगनादेश दिया है उसके विरुद्ध सरकार ने कुछ नहीं किया । क्या सरकार ने उस स्थगनादेश को वैकेट करने के लिये कोई प्रयास किया ? दूसरा क्या सरकार एक्ट में जो निहित प्राविधान हैं उनमें संशोधन करने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है । मान्यवर, मुझे सरकार की नीयत पर शक है । इनके मंत्रि-परिषद् में ही 50 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं है । मैं एक बार पुनः अपने प्रश्न को दोहरा देना चाहता हूं कि क्या सरकार हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गई ? दूसरा, क्या सरकार ने एक्ट में संशोधन करने का प्रयास

किया ? तीसरा, उनके बहुत से असंतुष्ट साथी हैं क्या यह सरकार अपने मंत्रि-परिषद् में 50 प्रतिशत मंत्रियों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग से भरने की कृपा करेंगे ?

(इस समय 11 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई प्रकरणों में जैसे चक्रधर बनाम पासवान..... (व्यवधान) सरकार इस बात का निर्णय कर चुकी है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है । ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिस नाते से सरकार ने कोर्ट जाना उचित नहीं समझा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार आरक्षण विरोधी है । मैं और मेरे दल के सदस्य सरकार की आरक्षण विरोधी नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रामजग–

मान्यवर, मंत्री जी आरक्षण विरोधी हैं । यह सरकार पिछड़ों का आरक्षण पूरा नहीं करती है । उनका विरोध करती है और मैं और मेरे दल के सदस्य सरकार की इस नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

अब अन्तिम प्रश्न होगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कई प्रश्न पूछे गये हैं । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं लागू होगा । उसके खिलाफ केन्द्र की भांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जाति को पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था बहाल करने जा रही है ? उसी तरह से अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का जो बैकलाग है उसको भर्ती करने के लिये सुश्री मायावती सरकार ने विशेष भर्ती अभियान चलाया था जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया था । उस स्टे के खिलाफ क्या यह सुप्रीम कोर्ट में गये ? दूसरा मान्यवर, उस स्टे को वैकेट करने की कोशिश की ? तीसरा यह कि जिस तरह से पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने के लिये संविधान संशोधन की व्यवस्था सरकार कर रही है वैसा सरकार करेगी ? क्या जो हाई कोर्ट ने विशेष भर्ती अभियान के ऊपर रोक लगाई है उसको बहाल करने के लिये यह सरकार उत्तर प्रदेश के आरक्षण एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिसका हम स्वागत करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मायावती जी के समय की जिस विशेष भर्ती की आपने चर्चा की है उसे माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था और अनेक निर्णयों का उद्धरण दिया था । इन्दिरा साहनी केस में, चन्द्रधर पासवान बनाम स्टेट आफ बिहार एण्ड अदर्स के केस में । और विशेष भर्ती के आदेश के निरस्त कर दिया था ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सरकार प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रही है । जो प्रश्न पूछा जा रहा है मंत्री जी उसका सही उत्तर न देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । इससे इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता दिखाई देती है। अगर यह सदन को गुमराह करेंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे ।

(सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी का प्रश्न था कि विशेष भर्ती के संदर्भ में जो रोक लगी है न्यायिक तौर पर उस मामले में आपका क्या प्रयास होगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इंदिरा साहनी केस में क्या है । 97 में विशेष भर्ती लागू किया गया, उसमें रोक लग गयी । उस रोक को वैकेट करने के लिये कोई प्रयास किया ? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये । दूसरा यह कि इस एक्ट में कोई संशोधन करेंगे जिससे स्पेशल भर्ती अभियान चलाया जा सके । आरक्षण कोटा पूरा करने के एक्ट में संशोधन करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जो उत्तर प्रदेश में रोस्टर का कोटा बना है वह जल्दी जल्दी रिजर्वेशन को पूरा करता चला जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं हां या ना में पूछ रहा हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उत्तर प्रदेश सरकार रोस्टर के अनुसार कर रही है । राज्य सरकार अपील में नहीं गई थी उससे पूर्व ऐसे निर्णय आ चुके थे कि अपील में जाने की आवश्यकता नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

जो प्रश्न किया जा रहा है उसका उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

प्रश्न जो किया जा रहा है उसका यह जवाब नहीं दे रहे हैं इस तरह से नहीं चलेगा ।

(श्री भोला शंकर मौर्य, श्री श्रीराम पाल, श्री राजाराम पाल, श्री लालजी वर्मा, श्री मुख्तार अंसारी, श्री राम ललित चौधरी, श्री बी० आर०वर्मा आदि अनेक बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अंश के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराये जाने की जानकारी

(संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर पढ़ा गया)

(घोर व्यवधान)

**2—श्री लालजी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना जिला ग्राम्य

विकास अभिकरण अंश के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के अधूरे कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं ।

जवाहर रोजगार योजना के अपूर्ण कार्यों को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के वर्ष 1998-99 की अवशेष धनराशि से पूर्ण कराये जाने तथा उपर्युक्त फण्ड को इस्तेमाल करने के बाद भी यदि कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं तो सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से पूर्ण कराये जाने हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं । भारत सरकार के यह भी निदेश है कि सुनिश्चित रोजगार योजना का क्रियान्वयन जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायतों द्वारा किया जाना है । अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

(बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायें । कई माननीय सदस्यों के बहुमूल्य प्रश्न लगे हुए हैं । कृपया उन प्रश्नों को आ जाने दीजिये ।

(व्यवधान)

आप लोग अपने स्थान पर नहीं जा रहे हैं, मैं सदन को 12.20 तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 42 मिनट पर 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कानपुर में स्मैक बेचने के आरोप में पकड़े गये युवकों का विवरण तथा अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी पर रोक लगाने हेतु किये गये उपाय के सम्बन्ध में जानकारी

*1—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1998 में कानपुर में स्मैक बेचने के आरोप में कुछ युवक पकड़े गये जिनका सम्बन्ध आई० एस० आई० से है ? क्या प्रदेश में अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी की और भी घटनायें प्रकाश में आयी हैं ? यदि हां, तो सरकार इन पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

यह सत्य है कि जनपद कानपुर नगर में दि० 27-10-1998 को थाना हरबंश मोहाल, कानपुर नगर पुलिस द्वारा नगर में अवैध रूप से स्मैक की बिक्री करने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया था परन्तु छानबीन कराने पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है कि इन गिरफ्तार किये गये युवकों का सम्बन्ध आई०एस० आई० से है ।

जी हां ।

प्रदेश में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं अवैध बिक्री की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1—जनपद स्तर पर एक नारकोटिक्स सेल गठित किया गया है जिसका पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

2—जनपद स्तर पर पुलिस का एक विशेष दस्ता गठित किया गया है जो स्मगलिंग के संबंध में सूचना एकत्र करता है ।

3—स्मगलिंग रोकने हेतु समय-समय पर गोष्ठी आयोजित करके स्थिति की समीक्षा की जाती है ।

4—जनपदों की सीमाओं पर चेकिंग हेतु बैरियर लगाये गये हैं ।

5–पुलिस मुख्यालय एवं शासन स्तर पर भी मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिये उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश में मादक द्रव्यों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा एक कार्य योजना लागू की गयी है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :—

1—मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों को एक वर्ष के लिये पिट एन० डी० पी० एस० एक्ट, 1988 में निरुद्ध किये जाने का प्राविधान किया गया है ।

2—मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों की सम्पत्ति जब्त किया जाना प्राविधानित है।

3—मादक पदार्थों की तस्करी के सम्भावित स्थानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

4—थानाध्यक्षों को वाहन चेकिंग के समय वाहनों में बनी हुई कैबिटी की सतर्क छानबीन के निर्देश दिये गये हैं ।

5—अफीम की खेती से सम्बन्धित जनपदों में विशेष निगरानी के निर्देश किये गये हैं ।

6—मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने, उनकी हिस्ट्रीशीट एवं डोसियर खोलनें तथा निगरानी करने से सम्बन्धित निवारक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री बाबू खां–

[1ले मंगलवार में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*2—श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

आई० एस० आई० की सम्भावित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*3—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार ने प्रदेश को आई० एस० आई० के षडयंत्र से बचाने के लिये कोई व्यवहारिक एवं प्रभावी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

शासन द्वारा प्रदेश के 23 जनपदों को आई० एस० आई० की गतिविधियों की सम्भावना के दृष्टिगत चिन्हित किया गया है। चिन्हित जनपदों में व्यवहारिक एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शासन द्वारा विशेष निर्णय लेकर उन्हें लागू किया जा चुका है। लिये गये निर्णयों के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :—

1—भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय खुली सीमा से आई० एस० आई० तथा अन्य देश में घुसपैठ एवं प्रदेश में उनके संरचण/विचरण पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने एवं उनकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश–नेपाल सीमा पुलिस का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत दो विशेष जोन एवं चार परिक्षेत्र स्थापित किये गये हैं। सम्बन्धित जनपदों में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

2—आई० एस० आई० समर्थित अपराधों में अन्तर्ग्रस्त अपराधियों से निपटने के लिये विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

3—संवेदनशील जनपदों में अभिसूचना संकलन हेतु अभिसूचना के विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

4—आई० एस० आई० की गतिविधियों के संबंध में प्राप्त होने वाली अभिसूचनाओं का जनपद/प्रदेश एवं अन्तर्प्रान्तीय स्तर पर व्यापक समन्वय हेतु राज्य अभिसूचना मुख्यालय पर विशेष प्रकोष्ठ स्थापित है।

5—आई० एस० आई० समर्थित किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्तियों/संगठनों के क्रिया कलापों पर निगरानी रखने हेतु जनपदीय प्रशासन/पुलिस प्रशासन एवं अभिसूचना इकाइयों को निर्देशित किया गया है। जनपद एवं मण्डल स्तर पर नियमित रूप से वस्तुस्थिति की समीक्षा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से वितरित होने वाले खाद्यान्न एवं चीनी, मिट्टी के तेल की मात्रा का निर्धारण

*4—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से वितरित होने वाले खाद्यान्न एवं चीनी, मिट्टी के तेल की मात्रा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो प्रति इकाई उक्त सामग्री की मात्रा कितनी-कितनी निर्धारित है ? प्रति इकाई क्या है ? इसका निर्धारण कब, किसके द्वारा और किस आधार पर किया गया था ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

जी हां।

ए० पी० एल० तथा बी० पी० एल० कार्डधारकों के लिये 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न (गेहूं 7 कि०ग्रा०, चावल 3 कि०ग्रा०) की मात्रा निर्धारित है किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में ए० पी० एल० व बी० पी० एल० कार्डधारकों को पूर्व निर्धारित 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न की मात्रा में अतिरिक्त ए० पी० एल० दर पर 20 कि०ग्रा० और खाद्यान्न दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

चीनी–(ए० पी० एल० तथा बी० पी० एल० दोनों के लिए)

मैदानी क्षेत्र

	शहरी	ग्रामीण
01	कि० ग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह	330 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह

पर्वतीय क्षेत्र में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में

01 कि० ग्राम० प्रति यूनिट प्रतिमाह

मिट्टी तेल (ए०पी०एल० तथा बी०पी०एल० दोनों के लिये)

3 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह (जिनके पास एल०पी०जी० गैस कनेक्शन है)

4 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह (सामान्य श्रेणी के लिए)

नयी व्यवस्था के तहत वर्ष 1998-99 में बुकलेट फार्म में प्रदेश के समस्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप राशन काडों में वृद्धि हो गई हैं । समस्त कार्डधारकों को अनुसूचित वस्तुएं उपलब्ध हो अतः ऐसी स्थिति में बी०पी०एल० के खाद्यान्न को छोड़कर ए०पी०एल० के खाद्यान्न चीनी व मिट्टी के तेल के स्केल में जनपद स्तर पर परिवर्तन करने का अधिकार जिलाधिकारी को शासनादेश दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा दे दिया गया है ।

खाद्यान्न तथा मिट्टी के तेल के वितरण में इकाई प्रति राशन कार्ड तथा चीनी के वितरण में इकाई प्रति यूनिट निर्धारित है । खाद्यान्न के संबंध में प्रति इकाई का निर्धारण भारत सरकार द्वारा जून, 1997 से किया गया है । चीनी का वितरण स्केल शासनादेश दिनांक 27-12-95 के साथ गठित शासनादेश दिनांक 3-4-82 द्वारा किया गया है । मिट्टी तेल का वितरण स्केल शासनादेश दिनांक 7-5-1999 द्वारा किया गया है । चीनी तथा मिट्टी तेल के स्केल का निर्धारण भारत सरकार से किये गये आवंटन के सापेक्ष प्रदेश की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की मांग एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है ।

प्रदेश में पदोन्नत वेतनमान एवं सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा पर लगी रोक हटाने तथा बोनस, अवकाश नकदीकरण एवं जी०पी०एफ० में जमा धनराशि के आहरण के फैसलों को सरकार द्वारा न बदले जाने से राज्य कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष

*5—डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री अजय कुमार पोइया–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में पदोन्नत वेतनमान एवं सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा पर लगी रोक हटाने तथा बोनस, अवकाश, नकदीकरण एवं जी० पी० एफ० में जमा धनराशि के आहरण के फैसलों को सरकार द्वारा न बदले जाने के कारण राजकीय कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और वह आन्दोलन के मार्ग पर अग्रसर होने जा रहे हैं । यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करके इसका निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

इन मांगों पर कर्मचारियों संघों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं । कुछ कर्मचारी संघों ने विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम चलाने की सूचना भी दी है । पदोन्नति वेतनमान के समबन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियां हाल में प्राप्त हुई हैं, जिन पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जा रहा है । जी०पी०एफ० पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है । केवल 1985 की नियमावली का पालन करने का निर्देश दिया गया है ।

राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए नकदीकरण की सुविधा तथा बोनस का नकद भुगतान फिलहाल राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है ।

स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गयी है । इसकी भी स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गयी है ।

*6—श्री श्याम देव राय चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश की सहकारी संस्थाओं का लेखापरीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा कराये जाने पर विचार

*7—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की सहकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षण आन्तरिक व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (''पटेल'' राम कुमार वर्मा)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की सहकारी समितियों की वार्षिक लेखा परीक्षा, वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उ० प्र० द्वारा उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है । अतः भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश में आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मितव्ययिता बरतने की कार्य योजना की जानकारी

*8—श्री राम औतार शाक्य, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री सीताराम निषाद–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आर्थिक संकट को दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने मितव्ययिता बरतने की कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

(क) जी हां ।

मितव्ययिता बरतने की कार्य योजना विवरण इस संबंध में जारी किये गये शासनादेश में दिया गया है । उक्त मितव्ययिता संबंधी कार्य योजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :—

(1) नये पदों के सृजन पर सामान्यतया रोक लगाई गई है तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुबन्ध पर कार्य लिये जाने के आदेश हैं ।

(2) सेवा निवृत्ति के कारण कर्मचारियों के रिक्त पदों को निम्नतम् स्तर पर नहीं भरा जायेगा।

(3) एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को छांट कर समाप्त किया जाये, यह आदेश शैक्षणिक पदों को छोड़कर दिये गये हैं .

(4) नई गाड़ियों के क्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

(5) आवासीय टेलीफोन की सुविधा सीमित कर दी गयी है ।

(6) नये सरकारी कार्यालय भवन/आवासीय भवन के निर्माण पर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर रोक लगा दी गयी है ।

(7) सहायक सेवाओं को सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि पेंशन पर बढ़ रहे खर्च को नियंत्रित रखा जा सके।

(8) हवाई यात्राओं पर रोक लगाने संबंधी आदेश दिये गये हैं तथा एग्सिक्यूटिव क्लास में यात्रा प्रतिबन्धित कर दी गयी है ।

(9) पांच सितारा होटलों में भोज दिये जाने पर रोक लगा दी गयी है ।

(10) यात्रा व्यय में कमी किये जाने के विचार से न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही इसे रखे जाने के आदेश हैं ।

(11) अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत स्टाफ को साथ न ले जाने के आदेश भी दिये गये हैं साथ ही मण्डलीय स्तर पर बैठकों की संख्या युक्तिसंगत रखने को कहा गया है ।

(12) पेट्रोल तथा डीजल की खपत में कमी लाये जाने के आदेश हैं तथा इस संबंध में पुनर्विनियोग को तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया गया है ।

(13) 5.00 करोड़ रु० से अधिक की लागत के कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा मंत्रि परिषद् स्तर पर योजनाओं के "टाइम ओवर रन" तथा "क़ास्ट ओवर रन" के संदर्भ में किये जाने के निर्देश हैं तथा शेष की विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा की जानी होगी ।

(14) समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवों को केवल एक ही वाहन उपयोग करने के निर्देश दिये गये हैं तथा किसी अन्य संस्था की गाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाये चाहे वे उस संस्था के अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के सदस्य हों । इसे भी सुनिश्चित करने को कहा गया है । उक्त के साथ-साथ शासन द्वारा वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता के आदेश भी जारी किये गये हैं ।

(15) उक्त के अतिरिक्त, अन्य विभिन्न मितव्ययिता मदों पर, सामान्य आदेश कड़ाई से अनुपालन हेतु जारी किये गये हैं ताकि मितव्ययिता के अभाव में शासन के अन्तर्गत इस प्रकार का व्यय सीमा से बाहर न जा सकें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ईंट भट्टा मालिकों पर अन्य प्रदेशों की भांति व्यापार कर समाधान योजना समान रूप से लागू करने की मांग

*9—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ईंट भट्टा मालिकों पर अन्य प्रदेशों की भांति व्यापार कर समाधान योजना राशि के अन्तर्गत न्यूनतम व्यापार कर समान रूप से लागू किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)–

जी हां, प्रदेश सरकार द्वारा ईंट भट्ठा सीजन वर्ष 88-89 से सीजन वर्ष 98-99 तक के लिये प्रत्येक वर्ष भट्ठे की क्षमता के आधार पर अलग-अलग दर से ईंट निर्माता व्यापारियों पर व्यापार कर के विकल्प में अधिनियम की धारा–7-घ के अन्तर्गत एकमुश्त समाधान धनराशि लिये जाने के सम्बन्ध में समाधान योजना लागू की गयी है। इस प्रकार प्रदेश में पूर्व से ही ईंट निर्माताओं पर समाधान योजना लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा आयोजित वैयक्तिक सहायक परीक्षा, 1999 में धांधली के सम्बन्ध में दायर मुकदमा तथा दोषी के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

*10–श्री इलम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा आयोजित वैयक्तिक सहायक परीक्षा, 1999 में की गयी धांधली के संबंध में कोई मुकदमा थाना सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में अपराध संख्या 416/99, धारा 420, 467, 468 व 471 भा० दं० सं० दिनांक 14-9-99 को पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

उक्त अभियोग में नामित दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को दिनांक 14-9-99 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

वर्ष 1999 में गत वर्ष की अपेक्षा प्रदेश में अपराधों की वृद्धि को रोकने हेतु सरकार की कार्य योजना

*11–श्री रामललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1999 में प्रदेश में अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? क्या अपराध वृद्धि को रोकने के लिये कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं, पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1999 में सभी प्रमुख अपराधों में कमी आई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण के लिये प्रदेश भर की कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा नियमित रूप से शासन तथा पुलिस महानिदेशक स्तर से की जाती है तथा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं।

जनपद संत रविदास नगर तथा ज्ञानपुर क्षेत्र में बनाये गये राशन कार्डों में दर्ज यूनिट के अनुसार उपभोक्ताओं को सामग्री आपूर्ति का मामला

*12–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र तथा पूरे जनपद में क्या नये बनाये गये राशन कार्डों में दर्ज यूनिट के अनुसार मिट्टी का तेल तथा चीनी एवं अन्य राशन सामग्री उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो

क्यों ? क्या नये राशन कार्ड में बढ़े हुये यूनिट के आधार पर राशन एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

खाद्यान्न तथा मिट्टी तेल का वितरण राशन कार्ड के आधार पर निर्धारित मात्रा के अनुसार किये जाने एवं चीनी का वितरण राशन कार्ड में अंकित यूनिट के आधार पर किये जाने का प्राविधान है । भारत सरकार से प्रदेश को चीनी तथा मिट्टी तेल का आवंटन 1991 की जनसंख्या के आधार पर प्राप्त हो रहा है । नई व्यवस्था के तहत वर्ष 1998-99 में बुकलेट फार्म में प्रदेश में समस्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं जिसके फलस्वरूप वर्तमान में राशन कार्डों की संख्या में वृद्धि हो गयी है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी राशन कार्ड धारकों को चीनी, खाद्यान्न तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध हो, जनपद स्तर पर बी० पी० एल० के खाद्यान्न को छोड़कर राशन सामग्री के स्केल में परिवर्तन किये जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है ।

नये राशन कार्डों में वृद्धि के फलस्वरूप प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से अपेक्षित कोटा बढ़ाने के लिये अनुरोध किया गया है । यूनिट के आधार पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न चीनी एवं मिट्टी का तेल की आपूर्ति किया जाना भारत सरकार से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर ही सम्भव है ।

केन्द्र सरकार के मंत्रियों की भांति प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जेब खर्च के स्थान पर सचिव स्तर के अधिकारियों के बराबर दैनिक भत्ता दिये जाने हेतु नियमों में प्राविधान किये जाने की मांग

*13—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रि-परिषद् के सदस्यों (कैबिनेट एवं राज्य स्तर) द्वारा जेब खर्च के रूप में भत्ता लिये जाने की कोई सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के मंत्रियों की भांति प्रदेश के मंत्रियों को जेब खर्च के स्थान पर सचिव स्तर के अधिकारी के बराबर दैनिक–भत्ता दिये जाने हेतु नियमों में प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

उत्तर प्रदेश के मंत्रि-परिषद् के सदस्यों (कैबिनेट एवं राज्य स्तर) द्वारा जेब खर्च के रूप में भत्ता दिये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 में निहित प्राविधानानुसार कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र सरकार के मंत्रियों की भांति प्रदेश सरकार के मंत्रियों के ज़ेब खर्च के स्थान पर सचिव स्तर के अधिकारी के बराबर दैनिक भत्ता दिये जाने हेतु नियमों में प्राविधान किये जाने का कोई प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण रोकने हेतु आदेश तथा उपाय की जानकारी

*14—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण रोकने हेतु टैम्पो का चलना बन्द करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जनपद लखनऊ में मा० न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है ? उसकी पूरी रूपरेखा क्या है और कब तक लखनऊ शहर से टैम्पो का चलना बन्द कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि टैम्पों के स्थान पर बसें चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या बसों में प्रदूषण रोकने हेतु कोई संयंत्र लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय ने टैम्पो के संचालन को प्रतिबन्धित करने के आदेश दिये हैं । आदेशों का अनुपालन कराया जा रहा है ।

लखनऊ नगर में मा० उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या–2102(एम०बी०)/97 में दिनांक 21-1-99 को यह आदेश दिये थे कि 6 माह के बाद नगर निगम सीमान्तर्गत टैम्पो-टैक्सियों का संचालन निषेध कर वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था के रूप में प्रदूषणमुक्त सवारी वाहनों का संचालन कराया जाय । मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रथम चरण में आलमबाग–चारबाग–चिनहट मार्ग पर 4-4-99 को नगर बस सेवा निजी बसों से आरम्भ की गयी । बाद में इस मार्ग को दिनांक 16-5-99 को सरोजनीनगर तक बढ़ाया गया इसके अतिरिक्त दिनांक 29-8-1999 से राजाजीपुरम् से पी० जी० आई० तथा चारबाग से लेखराज–टेढ़ीपुलिया तक नगर बस चलाई जा रही है तथा इस मार्ग पर टैम्पो-टैक्सियों का संचालन निषेध किया गया । इसी बीच उपरोक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18-5-99 में यह निर्देश दिये कि अगली सुनवाई की तिथि पर यह अवगत कराया जाय कि किन-किन मार्गों पर बसें चलेंगी तथा कहां पर टैम्पो चलेंगे । मा० न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में नगर की भौगोलिक स्थिति एवं सड़कों की चौड़ाई को देखते हुए निम्नलिखित 6 मार्गों पर नगर बस के संचालन का प्रस्ताव किया गया ।

1—सरोजनीनगर–चारबाग–चिनहट ।

2—चारबाग–विधान सभा–लेखराज–टेढ़ीपुलिया ।

3—राजाजीपुरम्–चारबाग–एस० जी० पी० जी० आई० ।

4—चारबाग–ऐशबाग–दुबग्गा ।

5—चारबाग–इंजीनियरिंग कालेज ।

6—चारबाग–गोमतीनगर ।

शेष फीडर मार्गों पर टैम्पो-टैक्सियों का संचालन भी प्रस्तावित किया गया । टैम्पों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये स्क्रबरयुक्त टैम्पो चलाने का भी सुझाव दिया गया । स्क्रबरयुक्त टैम्पो-टैक्सियों के संचालन के प्रस्ताव, इसके मार्गों की सूची तथा संख्या निर्धारण कर परीक्षण किया जा रहा है । माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्य के लिये दिनांक 23-7-99 को आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है तथा उनके निर्देशन में ही कार्यवाही की जा रही हैं । माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर अपने आदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

जी हां ।

नगर बसों में प्रदूषण रोकने के लिये वर्तमान में कोई संयंत्र विकसित नहीं है, लेकिन इन बसों के प्रदूषण की समय-समय पर जांच कराकर उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है ।

जनपद मुजफ्फरनगर, सर्राफ नवनीत गर्ग हत्याकाण्ड में दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी तथा लाश बरामद न होने सम्बन्धी प्रकरण की सी० बी० आई० से जांच की मांग

*15—श्री सजंय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1999 में जनपद मुजफ्फरनगर के युवा सर्राफ नवनीत गर्ग हत्याकाण्ड में दोषी पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक की लाश बरामद हुई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच सी० बी० आई० से करायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

नागरिक पुलिस तथा अपराध अनुसंधान विभाग की विवेचना में थानाध्यक्ष, मुख्य आरक्षी एवं 5 आरक्षी, कुल 7 पुलिस कर्मी दोषी पाये गये थे । इनमें से थानाध्यक्ष को निलम्बित एवं गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, 4 कर्मी फरार हैं, जिन्हें पदच्युत कर कुर्की की कार्यवाही अमल में लायी गयी है । अपराध अनुसंधान विभाग की विवेचना में दोषसिद्ध 2 आरक्षियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

जी नहीं । पुलिस द्वारा नहर बन्द कराकर गोताखोरों की मदद से काफी प्र यास किये गये, किन्तु लाश बरामद नहीं हो सकी ।

राज्य सरकार द्वारा सी० बी० आई० जांच प्रस्तावित की गयी थी, किन्तु सी० बी० आई० ने यह कहकर जांच उचित नहीं बतायी कि दोषी पुलिस कर्मी चिन्हित हो चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बस संचालन हेतु मध्य प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्र परिवहन निगम एवं निजी बसों के संचालन में पारस्परिक समझौते का विवरण

*16—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या परिवहन मंत्री कृपया वतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र परिवहन निगम एवं निजी बसों के अन्तर्राज्यीय संचालन हेतु कोई पारस्परिक समझौता किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन राज्यों से और समझौते की शर्तें क्या हैं ? क्या मंत्री जी इस संबंध में मध्य प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र से हुये समझौते का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बस संचालन हेतु मध्य प्रदेश राज्य से समझौता किया गया है । बिहार राज्य से किया गया समझौता वर्तमान में विखण्डित है । महाराष्ट्र राज्य से बसों के संचालन हेतु कोई समझौता नहीं किया गया है ।

मध्य प्रदेश राज्य में हुए समझौते की शर्तों का उल्लेख अधिसूचना संख्या–2065टी/30-4-8(2) पी/80, दिनांक 27-5-94 में अंकित हैं ।

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य हुए परिवहन समझौते विषयक अधिसूचना दिनांक 27-5-94 की प्रति सदन के पटल पर रखी जा रही है ।†

परिवहन निगम की बसों के रखरखाव की व्यवस्था में सुधार करने की सरकार की योजना की जानकारी

*17—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम की बसों के रख-रखाव की व्यवस्था में सुधार करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

बसों के रख-रखाव हेतु प्रदेश में निगम की 18 क्षेत्रीय कार्यशालाएं तथा 113 डिपो कार्यशालाएं हैं । डिपो कार्यशालाओं में बसों का दैनिक रख-रखाव तथा क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भारी मरम्मत की जाती है ।

निगम की 2 केन्द्रीय कार्यशालाएं कानपुर में हैं, जिनमें दुर्घटनाग्रस्त बसों की बाडी की मरम्मत तथा पुरानी चेसिस पर नयी बस बाडी का निर्माण किया जाता है ।

---

† दिनांक 27 मई, 1994 के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-7-99 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने की मांग

*18—श्री रामपाल वर्मा–

,क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-7-1999 से कितने प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता देय हो गया है ? कब तक संबंधित शासनादेश निर्गत करके कर्मचारियों को इसका भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

दिनांक 1-7-99 से 37 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय हो गया है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वर्ष 1996 से 99 तक आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध अन्वेषण हेतु दर्ज मामलों का विवरण

*19—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 के अन्तर्गत कुल कितने मामले दर्ज किये गये, जिनमें आई० ए० एस० अधिकारियों पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुये किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं? उपरोक्त दर्ज कुल मामलों में कितने मामलों में आरोप पत्र न्यायालयों में भेजे गये और कितने मामलों में दोष सिद्ध न होने के कारण अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी गयी ? कितने मामलों में अब भी विवेचना (तफ्तीश) जारी हैं ? न्यायालयों में भेजे गये उपरोक्त कुल मामलों में से कितने मामलों में अभियुक्तों को दण्डित किया गया और कितने मामलों में अभियुक्त न्यायालय द्वारा बरी कर दिये गये ?

श्री राम प्रकाश–

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध अन्वेषण हेतु दर्ज किये गये मामलों की वर्षवार संख्या निम्नवत् है :—

1996-97	1997-98	1998-99
3	1	3
कोई नहीं,	कोई नहीं,	2 मामलों में,
प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।	

अतारांकित प्रश्न

नव सृजित जनपद चम्पावत की ''धुरचुम'' जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव

1—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा––

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद–चम्पावत की ''धुरचुम'' जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

धुरचुम के आस-पास भग्याणी में विद्युतीकरण हो चुका है तथा 11 के० वी० लाइन की दूरी धुरचुम से लगभग 4 किमी० है जहां से अत्यन्त कम लागत पर शेष ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सकता है । अतः यह योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं है ।

लखनऊ में सहकारी समितियों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

2—श्री अक्षयवर लाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कुल कितनी वेतन भोगी सहकारी समितियां हैं ? क्या उनमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों का अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नही, तो क्यों ? इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

जी हां, जनपद लखनऊ में कुल 165 वेतन भोगी सहकारी समितियां निबंधित हैं ।

आरक्षण संबंधी उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 संबंधित समितियों पर लागू नहीं है । अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था ऐसी सहकारी समितियों, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंशपूंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो, लागू है । प्रश्नगत समितियों में राज्य सरकार का अंश धन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3—श्री हरदेव सिंह–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नगरीय कचरे से बिजली बनाने की योजना के क्रम में अपनाई गई ग्लोबल टेण्डर प्रक्रिया के परिणाम एवं मेरठ में कचरे से बिजली बनाने की योजना की जानकारी

4—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरीय कचरे से बिजली बनाने की योजना के क्रम में ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया अपनायी गयी थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? मेरठ में कचरे से बिजली बनाने की योजना पर कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था द्वारा प्रदेश में नगरीय कूड़े से बिजली बनाने के क्रम में ग्लोबल टैण्डर की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके अन्तर्गत विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न निजी उद्यमियों से निविदायें आमंत्रित की गयी थीं, जिसके सापेक्ष 22 फर्मों द्वारा 44 निविदा प्रपत्र क्रय किये गये थे । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत 2 फर्मों द्वारा क्रमशः कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद जनपदों हेतु निविदायें प्रस्तुत की गयी थी, जिनका परीक्षण समिति द्वारा किया गया एवं पाया गया कि निविदायें निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण नहीं करती । अतः समिति द्वारा निविदा निरस्त करने का निर्णय लिया

गया। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा पुनः निविदायें आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसके उपरान्त मेरठ में बिजली बनाने की योजना पर कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में क्षेत्राधिकारी, हरैया की जांच आख्या में शस्त्र लाइसेंस धारक के विरुद्ध संगीन अपराधों के अंकित होने के बावजूद शस्त्र लाइसेंस निरस्त न किये जाने की जानकारी

5—श्री सीताराम निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित अ० प्र० सं० 149 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र अनुज्ञप्ति सं० 157/फैजाबाद धारक के विरुद्ध संगीन तीन अपराध थानों में अंकित हैं ? क्या शस्त्र अनुज्ञप्ति धारक गोपीनाथ पाठक द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया गया बताया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल करके प्रभावी पैरवी की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब पुनः शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के समक्ष दिनांक 3-2-94 को प्रस्तुत रिट याचिका पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4-2-94 को ही रिट याचिका निस्तारित करते हुए अन्तिम आदेश पारित कर दिये गये थे जिसके कारण प्रतिशपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं हुई।

वर्तमान में उक्त लाइसेंसी अपने मूल जनपद बस्ती में निवास कर रहा है इसलिये उसके शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही जनपद फैजाबाद में पुनः नहीं की गयी है।

6—श्री सीताराम निषाद–

[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की मांग

7—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यहां नये अग्निशमन केन्द्र को स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना की योजनान्तर्गत प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने की मांग

8—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त के क्रम में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में मुन्सिफ न्यायालय कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

न्याय मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ न्यायालयों की स्थापना की योजना है ।

इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय का अभिमत प्रतीक्षित है । अभिमत प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

9—श्री अक्षयवर लाल–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपदों में लम्बित शस्त्र लाइसेंस के सभी आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश

10—श्री दीप लाल भारती–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के सदर तहसील में वर्ष 1993-94 के बन्दूक के लाइसेन्स सभी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भी निर्गत किये जाने हेतु अभी तक लम्बित पड़े हैं ? यदि हां, तो लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक उक्त लाइसेन्स न जारी किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त लाइसेन्सों को अविलम्ब जारी कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

लाइसेन्स प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु परीक्षण करने में समय लगने की स्थिति में कुछ मामलों में स्थानीय पुलिस से वर्तमान स्थिति के संबंध में पुनःआख्यायें प्राप्त की जाती हैं । इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वर्तमान स्थिति के संबंध में जांच हेतु लिखा गया है ।

जनपदों में लम्बित शस्त्र लाइसेन्स के सभी आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को जारी कर दिये गये हैं ।

श्री बंशराज पुत्र स्व० श्री निर्मल, जनपद अम्बेडकर नगर, ग्राम महमदपुर डड़वा, थाना सम्मनपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

11—श्री बाबूलाल कुशवाहा तथा श्री विजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वंशराज पुत्र स्व० श्री निर्मल, ग्राम–महमदपुर डड़वा, थाना–सम्मनपुर, तहसील–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर का न्यायालय स्थगन आदेश तथा जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर का आदेश दिनांक 28-3-99 का अनुपालन न करने के संबंध में उनको दिया गया प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-4-99 के अंतिम पैरा के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर को उनके द्वारा कोई आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या स्थानीय थाना में रिपोर्ट दर्ज करके उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है ? क्या दर्ज रिपोर्ट की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, आलमबाग के मकान पर अवैध कब्जा शिकायत

12—श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, श्री कासिम अली का पत्र राज्य मंत्री होमगार्ड एवं मा० ऊर्जा मंत्री का माह मार्च, अप्रैल, 1999 के उपरिपत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है जो आलमबाग लखनऊ के मकान को वर्ष 1996 से पुलिस उपनिरीक्षक श्री सरनाम सिंह की सह पर उनके सहयोगी द्वारा कब्जा कर लेने की जांच के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, आलमबाग से करायी गयी । जांच से पाया गया कि प्रश्नगत मकान में श्रीमती कृष्णा कुमारी किराये पर रहती है । शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई, थाना बिलग्राम, ग्राम कुतुबपुर के रामचन्द्र, मुकेश, कल्लू इत्यादि को झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के संबंध में सी० बी० सी० आई० डी० की जांच कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही

13—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में थाना बिलग्राम के ग्राम कुतुबपुर के राम चन्द्र, मुकेश, कल्लू इत्यादि को झूठे मुकदमें में फंसाये जाने संबंधी सी० बी० सी० आई० डी० की जांच कराये जाने विषयक मामले को प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन के पास दिनांक 28-3-99 को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । उक्त कथित शिकायती-पत्र दिनांक 28-3-99 को न प्राप्त होकर दिनांक 20-3-99 को सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच, पुलिस अधीक्षक, हरदोई को भेजकर क्षेत्राधिकारी, बिलग्राम से करायी गयी । जांच से पाया गया कि मेवा लाल धानुक द्वारा अपनी पुत्री मायाश्वरी उम्र 13 वर्ष को कल्लू एवं मुसल्ले द्वारा गायब करने के संबंध में दिनांक 19-12-98 को थाना बिलग्राम पर सूचना दी गयी थी जिसके आधार पर मु० अ० सं०–400/98 दर्ज किया गया । उक्त अभियोग की विवेचना कर साक्ष्य संकलन कर प्रकाश में आये अभियुक्तगण कल्लू, मुकेश उर्फ मुसल्ले, रामचन्द्र एवं सर्वेश को गिरफ्तार कर आरोप-पत्र सं० 4/99 दिनांक 21-1-99 को न्यायालय भेजा गया । उक्त वाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय ए० सी० जे० एम० (पंचम) हरदोई द्वारा दिनांक 23-10-99 को अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, बदायूं को श्री रामपाल सिंह निवासी रिसौली, बदायूं का राशन सामग्री वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

14—श्री भोलाशंकर मौर्य–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बदायूं को रामपाल सिंह निवासी रिसौली जनपद बदायूं के शिकायती-पत्र वास्ते राशन सामग्री के वितरण के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-4-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस शिकायती-पत्र पर जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राधेश्याम गुप्त--

जी, हां।

जी हां।

जांच में शिकायत सत्य पाये जाने की दशा में श्री देवेन्द्र सिंह, उचित दर विक्रेता, ग्राम गढ़ी की दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित कर आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय में वर्ष 1998 में शस्त्रों के लाइसेंस एवं लम्बित मामले तथा उनका निस्तारण

15--श्री विनोद मणि--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय में वर्ष 1998 व 1999 में शस्त्रों के लाइसेंस एवं विरासत हेतु ऐसे कितने मामले लम्बित हैं जिन पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो कर जिलाधिकारी कार्यालय में आ चुकी है ? क्या लाइसेन्स उन व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर निर्गत किये जायेंगे जिनके मामले समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात पहले से कार्यालय में लम्बित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

जनपद हरदोई में वर्ष 1998 के नवीन शस्त्र लाइसेंस हेतु 30 तथा विरासत हेतु 01 प्रकरण में वर्ष 1999 के नवीन शस्त्र लाइसेंस हेतु 56 तथा विरासत हेतु 07 प्रकरणों की औपचारिकतायें पूर्ण होकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आ चुकी हैं।

शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विचार किया जाता है। जनपदों में लम्बित शस्त्र लाइसेंस सम्बन्धी समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु समस्त जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है।

गोरखपुर से रावतपार, गजहड़ा पकड़ी तक परिवहन निगम की बन्द बस सेवा को पुनः चालू करने की मांग

16--श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर से रावतपार, गजहड़ा होते हुए पकड़ी तक जनता की सुविधा हेतु परिवहन निगम की बस चलाई जाती थी ? क्या वर्तमान में इसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसे पुनः कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह--

जी हां।

जी हां।

कम आय प्राप्त होने के कारण रावतपार से पकड़ी मार्गांश पर निगम की बस सेवा दिनांक 20-1-98 से बन्द कर दी गयी है। गोरखपुर से पकड़ी तक के मार्ग की लम्बाई 59 कि०मी० है, इसमें से गोरखपुर से रावतपार मार्गांश 51 कि०मी० तथा रावतपार से पकड़ी तक मार्गांश 8 कि०मी० है, जो अराष्ट्रीयकृत है। अराष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गांश पर वर्तमान नीति के अनुसार परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया जाना है। गोरखपुर से बड़हलगंज राष्ट्रीयकृत मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही हैं, जिससे गोरखपुर-रावतपार मार्गांश के यात्री लाभान्वित हो रहे हैं।

17--डा० धर्मज्ञ मिश्र--

[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं०-180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनपद हरिद्वार में 40 वाहिनी पी० ए० सी० में चोरी की जांच एवं दोषीजनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

18—श्री भारत सिंह रावत—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी०ए०सी० 40 वाहिनी हरिद्वार में 15-7-98 को सरकारी बक्से से रुपये 86,500/- की चोरी हुई थी, जिसकी जांच सी०बी०आई० द्वारा कराई गयी थी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं । प्रकरण चोरी का न होकर सरकारी धन के गबन का है, जिसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा न कराकर विभाग द्वारा करायी गयी ।

विभागीय जांच में कैश हवलदार ए० पी० सी० जीत सिंह, आरक्षी मदन पाल सिंह एवं आरक्षी रजनीश कुमार के दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध थाना रानीपुर, जनपद हरिद्वार में मु० अ० सं० 119/98 धारा 409 भा० द० वि० पंजीकृत कराया गया तथा विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है ।

19—श्री भारत सिंह रावत—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 15-7-98 को 40वीं वाहिनी पी०ए०सी० में सरकारी बक्से से 86,500 रुपये की चोरी हुई और 19 अगस्त को पी०ए०सी० के शिवरपाल और औतार सिंह द्वारा रानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? एक माह बाद रिपोर्ट दर्ज होना कहां तक उपयुक्त है ? क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं । प्रकरण चोरी का न होकर गबन का है और इस संबंध में दिनांक 19-8-98 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ।

प्रकरण में प्रारम्भिक जांच के पश्चात् रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ।

जी हां । प्रारम्भिक जांच में ए० पी० सी० जीत सिंह, आरक्षी मदनपाल सिंह और आरक्षी रजनीश कुमार के दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध थाना--रानीपुर, जनपद हरिद्वार में मु० अ० सं०--119/98 धारा 409 भा० द० वि० पंजीकृत कराया गया और विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (इ) श्री गर्ग के विरुद्ध घूस लेने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

20—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री गुरुचरण सिंह पुत्र बलकार सिंह, निवासी ग्राम दीनापुर, जनपद हरिद्वार द्वारा तत्कालीन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (इ) श्री गर्ग के विरुद्ध घूस लेने सम्बन्धी शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे पत्र के प्रकाश में कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री गर्ग दोषी पाये गये ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह—

जी हां ।

श्री गर्ग द्वारा घूस लेने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। परन्तु प्रकरण में श्री गर्ग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया संदेहास्पद पायी गयी।

जी हां। श्री गर्ग को तत्काल प्रभाव से पूर्व में ही हरिद्वार से स्थानान्तरित करते हुए मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया था तथा जांच आख्या के आधार पर श्री गर्ग की विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर परगना मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा ग्राम महेबागंज में सार्वजनिक मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश तथा कृत कार्यवाही

21—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर परगना मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत दायर किये गये वाद संख्या [illegible] में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली लखीमपुर को ग्राम महेबागंज में सार्वजनिक मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश, दिनांक 13 अक्टूबर, 1997 को पारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त अवैध अतिक्रमण प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली लखीमपुर द्वारा हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के लिए पाये गये दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां।

जी हां। मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 13-10-97 के अनुपालन में कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध कब्जा हटवा दिया गया था, परन्तु वादी की उदासीनता के कारण अतिक्रमण पुनः कर लिया गया था, जिसे दिनांक 5-11-99 को कोतवाली पुलिस द्वारा हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

22—श्री अजय कुमार पोइया—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ, आलमबाग के मकान नं० 567/99 आनन्द नगर बरहा रोड पर अवैध कब्जा के प्रकरण की जांच तथा कृत कार्यवाही

23—श्री उदय राज यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के तीसरे सोमवार के अता० प्र० सं०-[illegible] के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्राधिकारी आलमबाग द्वारा मकान नं० 767/99 की जांच की गयी थी या मकान नं० 567/99 आनन्द नगर बरहा रोड थाना आलमबाग लखनऊ की ? क्या यह सही है कि मकान नं० 567/99 के प्रकरण की जांच कर जांच अधिकारी द्वारा मकान नं० 767/99 दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वास्तविक प्रकरण तथा मकान नम्बर की भिन्नता की जांच कर प्रकरण का निस्तारण करते हुए इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत प्रश्न के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी, आलमबाग द्वारा श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भोलानाथ के मकान नं० 567/99 आनन्द नगर बरहा रोड, आलमबाग, लखनऊ की ही जांच की गयी थी ।

जांच अधिकारी द्वारा मकान नं० 567/99 की जांच कर उक्त मकान नं० पर ही जांच आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी, परन्तु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ से उक्त अता० प्र० सं० 34 के संबंध में शासन को प्राप्त सूचना में टंककीय त्रुटि से मकान नं० 567/99 के स्थान पर 767/99 अंकित हो गया था । इस त्रुटि हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के संबंधित सहायक को चेतावनी दे दी गयी है ।

जांच अधिकारी द्वारा श्री ओम प्रकाश के मकान नं० 567/99 आनन्द नगर बरहा की ही जांच की गयी है, अतः पुनः जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । शासन को त्रुटिपूर्ण सूचना भेजने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के कार्यालय के सम्बन्धित सहायक को चेतावनी दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

24—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

| विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त |

25—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

| विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त |

मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) 4–विक्रमादित्य मार्ग के निर्देश पर दर्ज एफ० आई० आर० रिपोर्ट की जांच

26—श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ में दिनांक 10-2-98 को मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) लखनऊ 4–विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के निर्देश पर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । दिनांक 10-2-98 को श्री ए० आर० सिद्दीकी, निवासी कार्यालय मुख्य अभियन्ता 4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ द्वारा प्रभुनाथ राय अनुरेखक के विरुद्ध थाना हजरतगंज में मु० अ० सं०–104/98 धारा 504/506 भा० द० वि० पंजीकृत कराया गया था ।

जी हां ।

जी नहीं । प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट संख्या 181/98 न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है जो कि न्यायालय में लम्बित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

27---श्री हरदेव सिंह–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फतेहपुर, कोतवाली बिन्दकी में पंजीकृत मुकदमा/कृत कार्यवाही की जानकारी

28—श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर की कोतवाली बिन्दकी में मुकदमा अपराध सं० 39/99 धारा 409, 420 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दिनांक 27-2-99 को पंजीकृत हुआ ? यदि हां, तो उसमें मुख्य अभियुक्त कौन-कौन हैं ? क्या उनकी गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त मुकदमा अपराध सं०–39/99 श्री विकास चन्द्र तिवारी, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल मिस्सी, थाना बिन्दकी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । विवेचना से मुकदमा झूठा पाये जाने के कारण जुर्म खारिज रिपोर्ट दिनांक 28-7-99 को प्रेषित की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के श्री अताउर्रहमान की अवैध गिरफ्तारी विषयक श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना स० वि० स० के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

29—श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम० एम० सिद्दीकी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट निवासी 12, न्यू मार्केट खुल्दाबाद जनपद इलाहाबाद के छोटे भाई श्री अताउर्रहमान को स्थानीय पुलिस द्वारा फर्जी ढंग से गिरफ्तार किये जाने के संबंध में मा० विधायक श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के उपरिपत्र के साथ शिकायती पत्र दिनांक 21-6-99 रजिस्टर्ड डाक द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संबंधित प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

थाना खुल्दाबाद क्षेत्र के खुशरूबाग में स्थापित जल संस्थान से पीने के लिये पानी सप्लाई किया जाता है । जल संस्थान की सुरक्षा हेतु होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई जाती है । दिनांक 17-6-99 को श्री अताउर्रहमान सिद्दीकी 12, न्यू मार्केट, खुल्दाबाद अपने कुछ साथियों के साथ जल संस्थान खुशरूबाग में आये और टैंक में नहाने लगे जिस पर ड्यूटी पर लगे श्री सत्य नारायण सोनी एवं श्री अशोक कुमार होमगार्ड ने टैंक में नहाने से मना किया ताकि पानी गंदा न होने पाये जिस पर अताउर्रहमान तथा उसके साथियों ने होमगार्ड के जवानों से मारपीट की । होमगार्ड के जवानों द्वारा दी गयी तहरीर पर मु० अ० सं०–183/99 धारा 353/352/504/506 भा० द० वि० व 7 क्रिमनल ला अमेंडमेंट बनाम अताउर्रहमान सिद्दीकी तथा कुछ लड़के नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ ।

विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के फलस्वरूप आरोप-पत्र संख्या 141/99 दिनांक 18-6-99 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है ।

प्रदेश में बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की भांति वस्त्र पर नये कर के रूप में प्रवेश कर न लगाने की मांग

30---डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वस्त्र पर नये कर के रूप में प्रवेश कर लगाने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या सरकार बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की भांति उक्त कर न लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम, एम० काम०–

जी हां, प्रवेश कर के संबंध में अधिसूचना संख्या–क०नि०-2-2283/11-99-9(81)/91 उ० प्र०–अध्या०–21-99–आदेश–99, दिनांक 31-10-99 जारी कर दिया गया है तथा अन्य वस्तुओं के साथ-साथ पचांस रुपये प्रति मीटर से अधिक कीमत वाले सभी प्रकार के कपड़े पर माल के मूल्य का 03% प्रतिशत प्रवेश कर लगाया है । मान्यवर, मंत्रि-परिषद् के निर्देशानुसार उक्त कर की वसूली स्थगित रखी गयी है । उक्त करारोपण के संबंध में मा० वित्त मंत्री एवं मा० संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री की एक समिति गठित की गयी है, जिनकी संस्तुति पर माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा प्राकृतिक गैस, कूड आयल एवं 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मशीनरी पर प्रवेश कर लगाये जाने का निर्णय ले लिया गया है तथा अन्य वस्तुओं के बारे में उक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार की विषम आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रवेश कर लगाने का निर्णय लिया गया है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के बहेड़ाखाल खाण्डा हल्के वाहन मार्ग पर नियमित परिवहन/बस सेवायें उपलब्ध कराने की मांग

31–श्री भारत सिंह रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के बहेड़ाखाल खाण्डा हल्के वाहन मार्ग पर नियमित परिवहन/बस सेवायें उपलब्ध करवाने के संबंध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के पत्रांक 1357/स० प० प्रा०/94/दिनांक 20-12-97 के द्वारा मांगा गया विवरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पौड़ी के पत्रांक 236/36 सी० दिनांक 21-1-98 के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया था ? यदि हां, तो इस मार्ग पर नियमित परिवहन/बस सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ? कब तक इस मार्ग पर नियमित परिवहन/बस सेवायें उपलब्ध करवा दी जायेंगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

यह नवनिर्मित मार्ग केवल हल्के वाहनों के लिये निर्मित होने के कारण उस पर नियमित बस सेवा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है ।

यह मार्ग जब भारी वाहनों के चलने के लिये निर्मित करवाया जायेगा तभी उस पर नियमित बस सेवा उपलब्ध करवाना सम्भव होगा ।

वर्ष 1973 के पुलिस/पी० ए० सी० विप्लव काण्ड में मा० उच्च न्यायालय द्वारा बहाल कर्मचारियों की वरिष्ठता, वेतन निर्धारण एवं बकाया धनराशि के भुगतान की मांग

32–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1973 में पुलिस/पी०ए०सी० विप्लव काण्ड में जो पुलिस/पी०ए०सी० कर्मचारी सेवा से मुक्त किये गये थे उनमें से कुछ कर्मचारियों का मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सेवा में बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या द्वितीय वाहिनी पी०ए०सी० के सेवा में बहाल कर्मचारियों को वरिष्ठता निर्धारण कर वेतन निर्धारण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके वेतन निर्धारण कराकर उनकी बकाये धनराशि का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

जी नहीं।

वर्ष 1973 के पुलिस/पी०ए०सी० विप्लव काण्ड में सम्मिलित ऐसे कर्मियों को, जिन्हें मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत सेवा में बहाल किया गया है, के वेतन/वरिष्ठता के निर्धारण का प्रकरण शासन में विचाराधीन है। निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

33–श्री हरदेव सिंह–

[3 रे सोमवार के लिए स्थगित।]

34–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद लखनऊ में महिलाओं के गले से चेन छीनने की अपराधिक घटनाओं को रोकने के सरकार के उपाय

35–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1999 से 1 जून, 1999 तक जनपद–लखनऊ में महिलाओं के गले से चेन छीनने की कितनी घटनायें हुई तथा इसमें कितने अपराधी अब तक गिरफ्तार किये गये ? इसे रोकने के लिए सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

आलोच्य अवधि में महिलाओं के गले से चेन छीनने की जनपद लखनऊ में कुल 32 घटनायें घटित हुई। इन घटनाओं में कुल 17 अपराधी गिरफ्तार किये गये।

पुलिस द्वारा अभियान चलाकर अभियुक्तों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा पुलिस गश्त एवं पिकेट की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को अपराध नियंत्रण हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

36–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद लखनऊ में लोकदल प्रदेश कार्यालय के सामने से टेम्पो स्टैण्ड अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

37–श्री संजय गर्ग–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में लोकदल प्रदेश कार्यालय के सामने टेम्पो स्टैण्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय के सामने से टेम्पो स्टैण्ड कहां अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां। यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा उक्त टेम्पो स्टैण्ड को व्यवस्थित कराया गया है।

निकट भविष्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चारबाग-अलीगंज (कैन्ट–अशोक लाट–परिवर्तन चौक होकर) मार्ग पर नगर बसों को चलाये जाने की योजना है, जिसके कार्यान्वित होते ही उक्त टैम्पो स्टैण्ड स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में जोनवार आय-व्यय का विवरण तथा परिवहन सुधार हेतु कार्य योजना

38–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में जोनवार वर्तमान में आय या घाटा कितना-कितना है ? क्या सरकार प्रदेश के पश्चिमी जोन से हो रही आय को उसी क्षेत्र की परिवहन सेवा के सुधार पर व्यय करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

परिवहन निगम के माह अप्रैल, 99 से सितम्बर, 99 तक जोनवार लाभ हानि का विवरण निम्नवत् है :–

जोन	लाभ (लाख रु० में)	हानि (लाख रु० में)
उत्तरी जोन	135.25	—
मध्य जोन	—	648.66
पूर्वी जोन	—	568.05
पश्चिमी जोन	1025.22	—

जी नहीं

निगम द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में समान रूप से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से किसी जोन विशेष की आय को उसी जोन के सुधार/विकास पर व्यय किया जाना जनहित में नहीं होगा ।

प्रदेश में राशन कार्डों पर चीनी मिट्टी का तेल की मात्रा में कमी का आधार एवं अपेक्षित कोटा बढ़ाये जाने के संबंध में की गयी कार्यवाही

39–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन कार्डों पर चीनी मिट्टी का तेल की मात्रा कम करने की कार्यवाही जिलाधिकारियों के माध्यम से कराने का सरकार का आधार क्या था ? भारत सरकार से उपरोक्त का अपेक्षित कोटा बढ़ाने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

भारत सरकार से प्रदेश को चीनी तथा मिट्टी के तेल का आवंटन 1991 की जनसंख्या के आधार पर ही प्राप्त हो रहा है । नई व्यवस्था के तहत वर्ष 1998-99 में बुकलेट फार्म में प्रदेश में समस्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं जिसके फलस्वरूप वर्तमान में राशन कार्डों की संख्या में वृद्धि हो गई है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राशन कार्ड धारकों को चीनी. खाद्यान्न तथा

मिट्टी का तेल उपलब्ध हो, जनपद स्तर पर बी०पी०एल० के खाद्यान्न को छोड़कर राशन सामग्री के स्केल में परिवर्तन किये जाने के अधिकार जिलाधिकारियों को दिये गये हैं ।

जी हां । प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से अपेक्षित कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में एस० टी० एफ० के गठन सम्बन्धी जानकारी

40–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में आई०एस०आई० की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए एस०टी०एफ० का गठन किया गया है ? यदि हां, तो एस०टी०एफ० द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इसके परिणाम क्या हैं ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । एस० टी० एफ० का गठन माफिया गिरोहों एवं संगठित अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया है । संगठन के उद्देश्यों में एक बिन्दु आई० एस० आई० के एजेन्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कार्य योजना तैयार कर उसका कार्यान्वयन करना भी है ।

एस० टी० एफ० द्वारा दो आई० एस० आई० प्रशिक्षित एजेन्टों को जनपद लखनऊ एवं कानपुर से गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद इलाहाबाद में श्री रामायण राम, अधिशासी अभियन्ता विद्युत निर्माण खण्ड–57 जार्जटाउन पर किये गये कातिलाना हमला विषयक निवर्तमान सांसद के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

41–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, निवर्तमान सांसद का पत्र दिनांक 24-6-99 जो अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियन्ता पर किये गये कातिलाना हमला विषयक था, जो मा० मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

श्री रामायण राम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत निर्माण जनपद खण्ड–57 जार्जटाउन, इलाहाबाद पर दि० 23-6-99 को कल्पना चौराहा सिविल लाइन, इलाहाबाद पर हुए कातिलाना हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामायण राम द्वारा सिविल लाइन पर मु० अ० सं०–323/99 धारा 323/506 भा० द० वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत कराई गई । उक्त मुकदमें की विवेचना श्री एच० एन० मिश्रा उप निरीक्षक द्वारा की गयी । काफी प्रयास के उपरान्त भी अभियुक्तों तथा उनके द्वारा प्रयोग की गयी मोटर साइकिल का पता न लग पाने के कारण प्रश्नगत प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में दि० 18-11-99 को अन्तिम रिपोर्ट सं०–184 मा० न्यायालय में प्रस्तुत की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

42-श्री राजधारी-

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

जनपद फैजाबाद में उद्योग मै० दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर लि० में रासायनिक उत्पादनों से हो रहे प्रदूषण से प्रभावित फसलों के मुआवजे की मांग

43-श्री सीताराम निषाद-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीकापुर-फैजाबाद में स्थित दुर्गाबंसल फर्टिलाइजर में रासायनिक खाद के अलावा तेजाब एवं अन्य रसायनों का उत्पादन होता है जिसके गैस प्रदूषण से आस-पास के गांवों में खरीफ की फसलें प्रभावित हो गयी हैं और किसानों का भारी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त प्रदूषण से ग्राम असरेवा के गरीब किसानों की धान, गन्ना, अरहर आदि की फसल बरबाद हुई है जिसकी जांच तहसील बीकापुर द्वारा की जा चुकी है ? यदि हां, तो उन प्रभावित किसानों को मुआवजा न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

उद्योग मै० दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर लि० बीकापुर, फैजाबाद में सिंगल सुपर फास्फेट (एस० एस० पी०) खाद तथा सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है । उक्त के अलावा अन्य प्रकार के रसायनों का उत्पादन उद्योग में नहीं किया जाता है । फसलों के नुकसान की सूचना उप जिलाधिकारी, बीकापुर द्वारा दी गयी है ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्रभावित किसानों को रु० 1500/- प्रति बीघा का मुआवजा देनु आदेश जारी किया गया है ।

वर्तमान मुख्य मंत्री के कार्यकाल में शासकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर गये मंत्रियों की जानकारी

44 श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके मुख्य मंत्री काल में कौन-कौन मंत्री विदेश यात्रा पर गये ? क्या यह भी बतायेंगे कि उन विदेश यात्राओं पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार आर्थिक स्थिति को देखते हुए मंत्रियों की विदेश यात्रा पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

वर्तमान मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में प्रदेश के किसी मंत्री द्वारा शासकीय व्यय पर विदेश यात्रा नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में समस्त मार्गों से टैम्पो हटाने की मांग

45-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में टैम्पो चलने के कारण प्रदूषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ? क्या यह भी सच है कि चारबाग से हजरतगंज मार्ग पर ही टैम्पो का चलना बन्द किया गया है तथा अन्य मार्गों पर अब भी टैम्पो चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें बन्द करके बैटरी से चलने वाले टैम्पो चलाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

आदेशों का अनुपालन कराया जा रहा है ।

नादरगंज से घिनहट व राजाजीपुरम् से पी० जी० आई० तथा चारबाग से इन्दिरानगर (टेढ़ी पुलिया) तक मार्गों पर टैम्पो बन्द करके नगर बसें चलाई गई हैं ।

बैटरी चालित टैम्पो का उत्पादन बहुत कम है तथा इनकी लागत भी ज्यादा है । बैटरी चालित टैम्पो चलाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । कुछ बैटरी चालित टैम्पो चल रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस रेडियो शाखा में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति से भरे जाने की मांग

46—श्री अक्षयवर लाल तथा श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पुलिस रेडियो शाखा में विभिन्न संवर्गों में कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति करेगी ? क्या जो पद पदोन्नति से नहीं भरे जा सकेंगे, उन पर नई नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पुलिस रेडियो शाखा में विभिन्न संवर्गों में कुल 1415 पद रिक्त हैं ।

उ० प्र० पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 व उ० प्र० पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 के अन्तर्गत क्रमशः अराजपत्रित/राजपत्रित कर्मियों की पदोन्नति निर्धारित कोटे के अनुसार पदोन्नति तथा सीधी भर्ती में की जाती है । तदनुसार नियुक्ति/पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पदोन्नति हेतु रिक्त पदों के लिये पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हैं । अतः नयी नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पुलिस रेडियो शाखा के कर्मचारियों को सरकारी नीति के अनुसार आऊट आफ टर्न प्रमोशन न देकर अन्य शाखाओं के कर्मचारियों को आऊट आफ टर्न प्रोन्नति देने के कारणों की जानकारी तथा पात्र कर्मचारियों को आऊट आफ टर्न प्रोन्नति देने की मांग

47–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1998 से 31 मार्च, 1999 के मध्य कितने पुलिस कर्मचारियों को "आऊट आफ टर्न" प्रोन्नति की गयी ? उनके द्वारा की गयी विशिष्ट सेवाओं का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि पुलिस रेडियो शाखा के कर्मचारियों को आऊट आफ टर्न प्रमोशन न देकर अन्य शाखाओं के कर्मचारियों को आऊट आफ टर्न प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? पुलिस रेडियो शाखा के पात्र कर्मचारियों को भी विशिष्ट सेवाओं पर आऊट आफ टर्न प्रोन्नति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

1-7-98 से 31-3-99 तक 29 उप निरीक्षकों को निरीक्षक, 108 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक एवं 53 आरक्षी को मुख्य आरक्षी के निःसंवर्गीय पद पर "आउट आफ टर्न" प्रोन्नति प्रदान की गयी है ।

विशिष्ट सेवा के आधार पर "आउट आफ टर्न" प्रोन्नति दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। शासन द्वारा बनायी गयी नीति के अनुसार कुख्यात आतंकवादी या जघन्य अपराधी के साथ मुठभेड़ या उनकी गिरफ्तारी में अदम्य साहस एवं शौर्य पूर्ण कार्य करने वाले पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान किये जाने का शासनादेश दिनांक 3-2-94 में व्यवस्था की गयी है ।

शासन द्वारा बनायी गयी नीति कार्यालय ज्ञाप दिनांक 3-2-94 में केवल पुलिस बल के आरक्षी, उप निरीक्षक, एवं कंम्पनी कमाण्डर को आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्राविधान है ।

विशिष्ट सेवा पर "आउट आफ टर्न" प्रोन्नति दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश रेडियो शाखा के डी० आई० जी० (पश्चिमी क्षेत्र) के कार्यालय सहित मुरादाबाद स्थानान्तरित करने का मामला

48-श्री अक्षयवर लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० पुलिस रेडियो शाखा के डी०आई०जी० पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय सहित पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय मुरादाबाद को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त डी०आई०जी० विगत 15 वर्षों से लखनऊ में ही कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश रेडियो शाखा के डी० आई० जी० पश्चिमी क्षेत्र को कार्यालय सहित मुरादाबाद स्थानान्तरित की जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जी हां ।

उपरोक्त स्थिति के अनुसार प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक मुख्यालय से सम्बद्ध गाड़ियां तथा सहकारिता विभाग की संस्थाओं की वी० आई० पी० ड्यूटी में सम्बद्ध गाड़ियों आदि का विवरण

49-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मुख्यालय से सम्बद्ध वर्तमान समय में कुल कितनी गाड़ियां हैं ? इनमें से कितनी गाड़ियां बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा रही हैं ? सहकारिता विभाग की संस्थाओं की कितनी गाड़ियां वी०आई०पी० ड्यूटी में चल रही हैं ?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक मुख्यालय पर वर्तमान समय में 13 गाड़ियां हैं, जिनमें से एक निष्प्रयोज्य है । शेष 12 गाड़ियां उपयोग की जा रही हैं ।

कुल 12 गाड़ियां बैंक के अधिकारियों द्वारा बैंक से सम्बन्धित कार्यों में प्रयोग की जा रही हैं।

सहकारिता विभाग की शीर्ष संस्थाओं यथा उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक तथा उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० से यथावश्यकता बैंक की गाड़ियां वी० आई० पी० ड्यूटी में लगायी जाती हैं। पी० सी० एफ० की दो गाड़ियां विभागीय मंत्री एवं राज्य मंत्री की स्कोर्ट ड्यूटी में लगी हैं।

जनपद बहराइच में सब रजिस्ट्रार कार्यालय कैसरगंज में दिनांक 6 अप्रैल, 1999 को प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकरण की शिकायत, दोषी को दण्डित करने की मांग

50–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय, कैसरगंज, बहराइच में दिनांक 6 अप्रैल, 1999 को प्रस्तुत दस्तावेज संख्या–1768, 1774, 1779 व 1781 में एक-एक हजार मूल्य के सभी स्टाम्प पेपर लगवाने और बाद में बदलवाकर सब रजिस्ट्रार द्वारा जालसाजी किये जाने के प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य मंत्री, कृषि का पत्रांक–427/वी०आई०पी०/रा०मं०कृ०/99, दिनांक 7 जून, 1999 एवं पत्रांक–587/वी० आई० पी०/रा०मं०कृ०/99, दिनांक 30 जुलाई, 1999 जिलाधिकारी बहराइच को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या दोषी को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं स्टाम्प, पंजीयन तथा मनोरंजन कर और न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां।

प्रकरण में जांचोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में सब रजिस्ट्रार कार्यालय कैसरगंज में फर्जी स्टाम्प पेपरों की बिक्री की जांच एवं कार्यवाही की मांग

1–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय, कैसरगंज, बहराइच में फर्जी स्टाम्प पेपरों की खुलकर हो रही बिक्री तथा मामला प्रकाश में आने पर सब रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के पन्ने बदलने सम्बन्धी मामले की जांच सी०आई०डी० से कराये जाने की संस्तुति राज्य मंत्री, वैकल्पिक ऊर्जा, उ० प्र० का पत्रांक–251/वी०आई०पी०/वै०ऊ०/99, लखनऊ दिनांक 27 जुलई, 1999 द्वारा मुख्य मंत्री जी को की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

शासन स्तर पर जांचोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली में दिनांक 10-2-98 को मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) 4, विक्रमादित्य मार्ग के निर्देश पर दर्ज एफ० आई० आर० पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ में दिनांक 10-2-98 को मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) लखनऊ, 4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के निर्देश पर कोई प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । दिनांक 10-2-98 को श्री ए० आर० सिद्दीकी निवासी कार्यालय मुख्य अभियन्ता, 4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ द्वारा प्रभुनाथ राय, अनुरेखक के विरुद्ध मु० अ० सं०–114/98 धारा 504/506 भादंवि थाना हजरतगंज पर पंजीकृत कराया गया था ।

जी हां ।

विवेचनोपरान्त उक्त अपराध में विवेचक द्वारा दिनांक 13-5-98 को अन्तिम रिपोर्ट संख्या 181/98 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है । अतः अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

53–श्री सीताराम निषाद–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही श्री राजपूत सिंह की मृत्यु सेवाकाल में होने के कारण मृतक आश्रित को सेवायोजित करने की मांग

54 श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही श्री राजपूत सिंह की सेवाकाल में ही अगस्त, 1980 को जिला इलाहाबाद में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या स्व० सिपाही के आश्रित पुत्र श्री सुरेश सिंह को शैक्षिक अर्हता के अनुरूप मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त किया गया है ? क्या सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में निर्धारित नियम–10 का लाभ पाये जाने हेतु मृतक आश्रित सुरेश सिंह द्वारा राज्य सरकार से प्रार्थना की गयी है ? यदि हां, तो इसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

गृह विभाग में निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हतानुसार श्री सुरेश सिंह चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु अर्ह थे । इस हेतु उन्होंने लिखित सहमति भी दी थी । अतः उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश दिनांक 17-6-97 द्वारा जनपद इलाहाबाद में चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन प्रदान कर दिया गया है ।

जी हां ।

मृतक आश्रित के रूप में समय-सीमा के आवेदन में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या–2034/6-पु०–10-96-1200(1)/96, दिनांक 28-10-96 द्वारा अनुमति प्रदान की गई जिसके फलस्वरूप ही अन्य निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मृतक आश्रित को सेवायोजन प्राप्त हो सका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में श्रीमती चन्द्रावती बेवा भवानीफेर सिंह, ग्राम तोड़ का पुरवा, थाना खण्डासा का अपराधियों द्वारा परेशान करने विषयक पुलिस अधीक्षक को पत्र

55–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर सं०–सी–10023166 पत्रांक–सीएम/वि०को०/एम–2/23166 सुल्तानपुर, 09 द्वारा पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को भेजे गये श्रीमती चन्द्रावती बेवा भवानीफेर सिंह, ग्राम–तोड़ का पुरवा, थाना–खण्डासा का प्रार्थना-पत्र जो अपरांधियों द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में है, की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? क्या अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर द्वारा की गयी ।

दोनों पक्षों के मध्य सुलह हो जाने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद फैजाबाद तथा बस्ती में शस्त्र लाइसेंस हेतु दिये गये तीन महीने से अधिक अवधि से लम्बित प्रार्थना-पत्रों के संबंध में जानकारी

56 श्री सीताराम निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन की कोई ऐसी नीति है कि शस्त्र लाइसेंस हेतु दिये गये आवेदन-पत्रों का निस्तारण तीन महीने में अवश्य हो जाय ? यदि हां, तो जनपद–फैजाबाद तथा बस्ती में कुल कितने ऐसे आवेदन-पत्र लम्बित हैं जिनकी अवधि तीन माह से अधिक हो गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस दिये जाने के संबंध में निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनका निस्तारण यथा सम्भव 3 माह के अन्दर किया जाना अपेक्षित है ।

जनपद फैजाबाद में 2716 तथा जनपद बस्ती में 6150 शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र ऐसे हैं जो तीन माह से पूर्व प्राप्त हुए थे, जिनमें से अधिकांश मामलों में जांच आख्यायें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासन की योजना

57–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इस योजना को कब तक पूर्ण करेगी ? उसके अन्तर्गत कौन-कौन व्यवस्थायें सुनिश्चित की गयी हैं ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा 1990 से 2000 तक के लिये 10 वर्षीय योजना 50 प्रतिशत राज्यांश के आधार पर संचालित है । उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को निम्नांकित मदों पर व्यय किया जा सकता है ।

1—विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अंगुल चिन्ह प्रमाणीकरण ब्यूरो भवन का विस्तार तथा आवश्यक उपकरणों का क्रय ।

2—उपकरण, हल्के अस्त्र-शस्त्र, भीड़ नियंत्रण के लिये आवश्यक उपकरण, यातायात नियंत्रण तथा बी० बी० आई० पी० सुरक्षा ।

3— गतिशीलता में वृद्धि नये वाहनों का क्रय ।

4—विवेचना, डाटा प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक उपकरण ।

उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों पर व्यय की जाती है ।

जनपद लखनऊ में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु सरकार के प्रभावी कदम

58–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है ? क्या प्रदूषण से शहर की जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रदूषण रोकने के लिए सरकार कोई प्रभावशाली कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

लखनऊ शहर में सड़कों के चौड़ीकरण एवं प्रमुख मार्गो पर टैम्पो के स्थान पर बस की व्यवस्था किये जाने से वायु प्रदूषण में कमी आयी है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 116 का उल्लंघन् करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । वाहनों के स्वस्थता प्रमाण-पत्र जारी करते समय भी प्रदूषण की जांच की जाती है । इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रदूषण की चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाये जाते हैं । लखनऊ महानगर में इस समय पेट्रोल के 36, डीजल के 03, प्रदूषण केन्द्र कार्यरत हैं । इन केन्द्रों पर वाहन स्वामी अपने वाहन की चेकिंग कराने के उपरान्त एक निर्धारित अवधि के लिये प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं । लखनऊ शहर में कुछ विद्युत तिपहिया वाहन भी चलाये गये हैं ।

जनपद हरदोई नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में तहसील हेड क्वार्टर तथा बिलग्राम केन्द्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराने की मांग

59–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई नगर पालिका परिषद क्षेत्र में तह० हेड क्वार्टर पर फायर ब्रिगेड केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है किन्तु अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर उपलब्ध नहीं करई गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार बिलग्राम केन्द्र पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

हरदोई में 7 नगर पालिका परिषद् एवं 5 तहसीलें हैं । तहसील सदर हरदोई एवं सण्डीला में फायर स्टेशन स्थापित है और उक्त दोनों स्थानों पर 3 मोटर फायर इंजन, 3 टोइंग वेहिकल तथा 2 ट्रेलर पम्प उपलब्ध हैं ।

बिलग्राम केन्द्र पर फायर स्टेशन की स्थापन की स्वीकृति नहीं दी गयी है अतः यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पत्रकारों को सुरक्षा के आधार पर अग्नेयशास्त्र लाइसेन्स दिये जाने की मांग

60–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनेक पत्रकारों की हत्याएं होने की घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार पत्रकारों को आत्मरक्षा हेतु अग्नेयशास्त्र का लाइसेन्स वरीयता के आधार पर दिये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विचार किया जाता है ।

जनपदों में लम्बित शस्त्र लाइसेन्स संबंधी समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु समस्त जिला मैजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है। जिसे देखते हुए प्रश्नगत मामले में विशेष वर्रायता दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद में निबंधन लिपिकों के स्थानान्तरण एवं प्रतिलिपिकरण सेल की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद चलते रहने के संबंध में जानकारी

61–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण अधिकार किन-किन अधिकारियों को दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि महानिरीक्षक निबन्धन के परिपत्र संख्या 159/प्रति०सेल/कैम्प, दिनांक 6-1-98 द्वारा अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में प्रतिलिपिकरण–सेल का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिलिपिकरण सेल प्रदेश के सभी जनपदों में एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में गठित प्रतिलिपिकरण–सेल में तैनात कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

महानिरीक्षक, निबन्धन के पत्र सं०–9348-915/4-412. दिनांक 21-6-96 द्वारा विभाग के उपमहानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षकों को जनपद में निबन्धन लिपिकों के स्थानान्तरण का अधिकार दिया गया है।

जी हां।

विभिन्न जनपदों की अलग-अलग स्थिति है। अतः यह कहना सही नहीं है कि सभी जनपदों में एक वर्ष की अवधि समाप्त करने के उपरान्त भी प्रतिलिपिकरण सेल चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स प्रकाश गन हाउस, हरदोई द्वारा बन्दूक तथा रायफल के कारतूसों की बिक्री शस्त्र लाइसेंस धारकों को न करके अनियमित ढंग से करने का मामला।

62–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में मेसर्स प्रकाश गन हाऊस, हरदोई, खीरी लखीमपुर/सीतापुर के शस्त्र लाइसेंसधारी विक्रेता कौन-कौन हैं ? उक्त फर्मों की आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन भण्डारण क्षमता (स्टाक सीमा) कितनी-कितनी निर्धारित है ? क्या यह सही हैं कि मै० प्रकाश गन हाउस हरदोई द्वारा बन्दूक तथा रायफल के कारतूसों की बिक्री शस्त्र लाइसेंस धारकों को न करके अनियमित ढंग से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वांछित सूचना संलग्न है।

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 163-165 पर)

जनपद सुल्तानपुर, कस्बा शाहगढ़, थाना मुन्शीगंज में भूमि विवाद के मामले में श्री घनश्याम दास गुप्ता आदि को प्रताड़ित करने की शिकायत तथा जांच आख्या की जानकारी

63—श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस महानिदेशक उ० प्र० लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दि० 23 जुलाई, 1999 को दिया गया पत्र जिसमें कस्बा शाहगढ़ थाना–मुन्शीगंज जनपद–सुल्तानपुर की पुलिस द्वारा एक पक्ष से मिलकर एक भूमि विवाद में श्री घनश्याम दास गुप्ता आदि को अमानवीय तरीके से पीटकर एक पक्षीय 151 में बन्द करने तथा भूमि पर कब्जा कराकर दीवार बनवा देने की गम्भीर शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? जांचोपरान्त दोषीजन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

नाली बनवाने के झगड़े में श्री इब्राहीम की लड़की रूबिया की सूचना पर दोनों पक्षों में मारपीट व झगड़े के कारण शांति भंग की आशंका पाये जाने पर प्रथम पक्ष से फिरोज अहमद व इब्राहीम तथा द्वितीय पक्ष के घनश्याम दास, हनुमान, सुरेश, सतीश कुमार, सोहन लाल, शिवलाल तथा राम दुलारे को धारा 151/107/116 द० प्र० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार करके मु० अ० सं०–196/99 व 196 ए/99 पंजीकृत किया गया ।

जांचोपरान्त उल्लिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उप जिलाधिकारी, गौरीगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में एल० पी० जी० कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी का तेल तीन लीटर दिये जाने का शासनादेश

64–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन की दुकानों से उन व्यक्तियों को जिनके पास गैस कनेक्शन हैं, को मिट्टी तेल न देने के लिए कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उस आदेश को समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 1999 द्वारा 01 अप्रैल, 1999 से पूरे प्रदेश में एल० पी० जी० कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी का तेल का कोटा समाप्त किया गया था, परन्तु शासन द्वारा विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 7 मई, 1999 द्वारा एल० पी० जी० कनेक्शन धारकों को 03 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

जिलाधिकारी, लखनऊ को शस्त्र लाइसेंस देने हेतु प्रक्रिया तथा मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री भानु प्रताप सिंह सांसद के पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

65-श्री हरदेव सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शस्त्र लाइसेन्स देने की क्या प्रक्रिया हैं ? कितने दिनों में लाइसेन्स प्रदान कर दिये जाते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में माननीय भानु प्रताप सिंह वर्तमान संसद सदस्य का पत्र दिनांक 31-8-98 एवं 29-12-98 जो कि मुख्य मंत्री एवं जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

आयुद्ध अधिनियम, 1959 एवं आयुद्ध नियमावली, 1962 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक की वास्तविक आवश्यकता/उपयुक्तता को देखते हुए गहन परीक्षण कर गुण-दोष के आधार शस्त्र लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्रों पर यथासम्भव तीन माह के अन्दर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

जी हां ।

मा० सांसद का पत्र दिनांक 31-8-98 श्री नन्द लाल जायसवाल, माडल हाउस, लखनऊ के शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र पर पुलिस रिपोर्ट देने में थाना अमीनाबाद के उप निरीक्षक द्वारा की गयी मनमानी से संबंधित था । इस बारे में छानवीन के उपरान्त श्री शिवकुमार सिंह चन्देल, उप निरीक्षक की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाये जाने के कारण दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आदेशित की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त श्री नन्द लाल जायसवाल के बारे में उनके गृह जनपद देवरिया से पुलिस आख्या दिनांक 26-11-99 को प्राप्त होने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा दिनांक 30-11-99 को आवेदित शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत कर दिया गया है ।

अन्य पत्र दिनांक 29-12-98 श्री प्रमोद कुमार सिंघल, लखनऊ को रिवाल्वर लाइसेंस दिये जाने से संबंधित है । इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा आवश्यक परीक्षण किये जाने के उपरान्त श्री सिंघल को एन० पी० बोर रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेंस दिनांक 5-7-99 स्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर में भूखण्ड के संबंध में श्री रघुवीर सिंह तथा श्री एम० जी० सिंघल के बीच विवाद संबंधी डा० धर्मज्ञ मिश्र, विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

66-श्री हरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना एवं जनपद बुलन्दशहर के श्री रघुवीर सिंह के आतंक के विरुद्ध विधायक डा० धर्मज्ञ मिश्र के पत्र के संदर्भ में महानिदेशक पुलिस के संप्रति पत्रांक डी०जी०/6-25(16)99 दिनांक 12-03-99 द्वारा आई०जी० मेरठ जोन एवं एस०एस०पी० बुलन्दशहर को आदेश भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

67-श्री हरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री जी उक्त प्रश्न के क्रम में यह भी बतायेंगे कि इसी संदर्भ में शिकायतकर्ताओं के शपथ-पत्र एवं अन्य संलग्नकों सहित शिकायती पत्र सीधे एवं डा० धर्मज्ञ मिश्र, विधायक के पत्र के साथ जून, 99 एवं उसके बाद महानिदेशक पुलिस को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

भूखण्ड के सम्बन्ध में विपक्षी श्री रघुवीर सिंह तथा श्री एम० जी० सिंघल के बीच विवाद चल रहा है, जिसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें किसी पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

विपक्षियों द्वारा सिविल वाद में न्यायालय में फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कर सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

68 श्री तेजभान सिंह–

[ ]ले गुरुवार में अना० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद फैजाबाद में साधन सहकारी समिति मानूडीह, विकास खण्ड अमानीगंज में कार्यरत कर्मचारी का दिसम्बर, 1996 से जनवरी, 1999 तक का वेतन न दिये जाने का प्रकरण तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

69–श्री भाईलाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति मानूडीह विकास खण्ड, अमानीगंज फैजाबाद में कार्यरत कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें दिसम्बर, 1996 से जनवरी, 1999 तक के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार इतने दिन तक वेतन भुगतान न करने के लिए दोषी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

एक कर्मचारी ।

जी हां ।

संबंधित दोषी तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार मिश्र को निलम्बित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ तिवारी आंकिक/विक्रेता की सेवाएं समिति की प्रशासकीय बैठक दिनांक 24-12-93 में हुए प्रस्ताव के अनुसार समिति द्वारा समाप्त कर दी गयी थी किन्तु पूर्व सचिव (निलम्बित) तथा प्रशासक द्वारा सेवा समाप्ति के बाद भी उक्त आंकिक से अवैधानिक ढंग से कार्य लिया गया । यह तथ्य जांच में प्रकाश में आने पर वर्तमान सचिव तथा अधीनस्थ अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवायें समाप्त के प्रशासकीय बैठक के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं । दिसम्बर, 1996 से जनवरी, 1999 तक के वेतन को सचिव द्वारा प्रबंधकीय व्ययखाता से दिनांक 13 दिसम्बर, 1999 को कर दिया गया है ।

पुलिस विभाग में वी० आई० पी० ड्यूटी पर लगे गनर/शैडो तथा स्पेशल ड्यूटी पर लगे गनर/शैडो के समान वेतनमान होने के बावजूद यात्रा भत्ता में अन्तर का औचित्य

70–श्री उदय राज यादव तथा श्री संजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में वी०आई०पी० ड्यूटी पर लगे गनर/शैडो क्या स्पेशल ड्यूटी पर लगे गनर शैडो के वेतनमान में कोई अन्तर हैं ? यदि नहीं, तो वी०आई०पी० ड्यूटी एवं स्पेशल ड्यूटी में लगाये गए गनर/शैडो के यात्रा भत्ता में अन्तर के कारण क्या हैं ? क्या यह सही है कि नये वेतनमान में भी यात्रा भत्ता में अन्तर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

यात्रा भत्ता की अधिकतम मासिक सीमा रु० 1500/- स्थानीय स्तर पर निर्धारित है । इससे अधिक की धनराशि पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा) के अनुमोदन से स्वीकृत की जाती है-।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ में वर्ष में एक बार विधान सभा सत्र आहूत करने की मांग

71–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार पूर्व में नैनीताल में विधान सभा की हुई बैठकों की भांति पश्चिमी उ० प्र० के केन्द्र मेरठ में भी वर्ष में एक बार विधान सभा की बैठक आहूत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक कार्यान्वित होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

व्यावहारिक कठिनाइयों एवं परिणामी उपादेयता को देखते हुए औचित्यपूर्ण नहीं है ।

पूर्व विधायकों को विधायक एवं अध्यापक के रूप में दोनों पेंशनें पूर्वगामी तिथि से अनुमन्य करने हेतु संगत अधिनियम संशोधित करने एवं भुगतान की गयी धनराशि की वसूली माफ किये जाने की मांग

72–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार पूर्व विधायकों को विधायक एवं अध्यापक के रूप में दोनों पेंशने पूर्वगामी तिथि से अनुमन्य करने हेतु संगत अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से तथा कब तक यह निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या ऐसे पूर्व विधायकों को वसूली की माफी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया जा चुका है, किन्तु इसे स्वीकार किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

यदि किसी मा० भूतपूर्व विधायक को कोई ऐसा भुगतान किया गया है जो किसी कानून या नियम के अधीन अनुमन्य नहीं था, तो ऐसे भुगतान की वसूली माफ किये जाने का कोई विधिक आधार या औचित्य नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर में श्री लक्ष्मण सिंह निवासी पूरे दृगपाल सिंह मजरे कटारी थाना जामों की लिखित सूचना के अनुसार दहेज हत्या में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

73 श्री नेजभान सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्पयूटर सं०–सी 10023166 पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/23166 सुल्तानपुर (ग) जो दहेज हत्या के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में जांच करायी गयी । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 14-3-1999 को श्री लक्ष्मण सिंह निवासी पूरे दृगपाल सिंह मजरे कटारी, थाना–जामों, जिला सुल्तानपुर की लिखित सूचना के आधार पर थाना खीरों, जनपद रायबरेली में मु० अ० सं०–55/99 धारा 498ए/304 बी/201 बा० दं० वि० व 3/4 डी० पी० एक्ट बनाम 1–महेश, 2–उमेश, 3–श्रीमती बताशा देवी, 4–श्रीमती विमला, 5–गुड्डू पंजीकृत हुआ । विवेचनोपरान्त गुड्डू एवं विमला की नामजदगी गलत पायी गयी । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र सं० 98 दिनांक 22-5-99 एवं सं०–98ए दिनांक 2-6-99 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

"भारतीय खाद्य निगम" द्वारा उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में आवंटित खाद्य सामग्री तथा प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित खाद्य सामग्री के सापेक्ष वास्तविक उठान

74–श्री अजय भट्ट–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "भारतीय खाद्य निगम" द्वारा उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितने खाद्य सामग्री वर्ष 1998-99 में आवंटित की गई थी तथा प्रदेश सरकार द्वारा आवन्टित खाद्य सामग्री के सापेक्ष वास्तविक उठान कितनी खाद्य सामग्री का किया गया ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1998-99 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी० पी० एल० योजना में 750046.12 मी० टन गेहूं और 370008 मी० टन चावल प्रदेश को आवंटित किया गया है जिसके सापेक्ष 724507 मी० टन गेहूं तथा 328067 मी० टन चावल का उठान किया गया है । इसी तरह ए० पी० एल० योजना में 200040 मी० टन गेहूं और 134400 मी० टन चावल का सामान्य आवंटन किया गया है और 28500 मी० टन गेहूं तथा 11000 मी० टन चावल का अतिरिक्त आवंटन प्रदेश सरकार को किया गया है जिसके सापेक्ष 28124 मी० टन गेहूं और 14528 मी० टन चावल का उठान वर्ष 1998-99 में किया गया है ।

लखनऊ महानगर में अराजकता पैदा करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद का शिकायती पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

75-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ महानगर में अराजकता पैदा करने वाले कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद (निर्वतमान) एवं अन्य दो विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 26-9-99 जो मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव (गृह) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को भेजकर क्षेत्राधिकारी, कैसरबाग से जांच करायी गयी । जांच से प्रभारी निरीक्षक अमीनाबाद के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

76 श्री अजय भट्ट–

।।ले बुध के अता०प्र०सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जिला सुल्तानपुर, ग्राम पूरे बक्सी गोरियाबाद, तहसील गौरीगंज का फर्जी रूप से कर्जा वसूलने सम्बन्धी सहायक निबन्धक, सहकारी समिति सुल्तानपुर को शिकायती पत्र तथा जांच की मांग

77–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री मोहम्मद इब्राहिम श्री अलका फजल निवासी ग्राम पूरे बक्सी गोरियाबाद तहसील–गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर का दिनांक 8-12-97 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें सहकारी समिति, गोरियाबाद जामों, सुल्तानपुर के चेक नं०–500363 काउन्टर रसीद पर दो बोरी यूरिया दर्ज होने तथा उसी चेक पर रु० 5,000/- का कर्जा चढ़ा लेने तथा जबरदस्ती रु० 5,000/- वसूल लेने की शिकायत थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या किसी अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

श्री मो० इब्राहिम पुत्र श्री अलका फजल का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-12-97 नहीं, बल्कि दिनांक 7-12-98 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

श्री मो० इब्राहिम के प्रार्थना-पत्र की जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी, गौरीगंज से करायी गयी । चेक पर रु० 5,000/- फर्जी चढ़ा लेने की शिकायत निराधार पायी गयी । शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करके चेक सं० 500363 दिनांक 19-2-94 को मु० 2938 रु० का उर्वरक प्राप्त किया गया और दिनांक 30-6-94 को रसीद सं० 11701000000183 द्वारा मु० 4275 रु० ब्याज सहित समस्त बकाया जमा कर दिया गया है ।

श्री अशोक कुमार शुक्ल, विक्रेता द्वारा रु० 400/- की वसूली अधिक की गयी थी, जो शिकायतकर्ता को दिनांक 30-8-99 को वापस कर दी गयी तथा विक्रेता को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है तथा भविष्य के लिये उसे सचेत भी कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भवन निर्माण, पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराने वाले भवन स्वामियों पर पुलिस कर्मियों द्वारा अनावश्यक प्रताड़ना

78 श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 1614/9–आ–5–97–38 विविध/97 दिनांक 1 मई, 1997 के अन्तर्गत भवन निर्माण पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराने वाले भवन स्वामियों को अक्सर क्षेत्रीय पुलिस कर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है ? क्या पुलिस को इस प्रकार से हस्तक्षेप या प्रताड़ित करने का स्वविवेक कोई अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या विधि विरुद्ध तरीके से उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सरकार कोई आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं, पुलिस को ऐसा अधिकार नहीं है, किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को शासन स्तर पर रोकी गयी तीसरी किश्त की धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराने की मांग

79 डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को शासन स्तर पर रोकी गई तीसरी किश्त की धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

शासन स्तर पर तीसरी किश्त रोकने की बात सही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत में श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री बयन्त सिंह निवासी ग्राम जयपुरा, थाना पूरनपुर के प्रार्थना-पत्र पर प्रभावी कार्यवाही

80 श्री बाबू खां–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन ने दिनांक 27 अगस्त, 1999 को श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री बयन्त सिंह निवासी ग्राम जटपुरा, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को एफ० आई० आर० दर्ज कराकर प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि दिनांक 6 सितम्बर, 1999 तक एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गई थी ? यदि हां, तो एफ० आई० आर० दर्ज न किये जाने के क्या कारण हैं ? एफ० आई० आर० दर्ज न होने के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए मामले में जांच पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के नियंत्रणाधीन अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा की गयी । मौके की जांच के उपरान्त तथ्य प्रमाणित न होने की दशा में अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया । मामले में वादी व प्रतिवादी के मध्य मात्र हाथा-पाई एवं अपशब्दों का प्रयोग किये जाने जिसके आधार पर धारा 107/116(3) द० प्र० सं० के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में थाना बांगरमऊ में तैनात सिपाही की मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को सेवायोजित करने की मांग

81–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि माह मई, 1990 में थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव में तैनात एक दरोगा व एक सिपाही का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मृत सिपाही के आश्रित को नाप जोख आदि का कार्य कर लेने बाद भी अभी तक सेवायोजित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी मृत सिपाही के आश्रित पुत्र को सेवायोजित किये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) 1993) में दी गई व्यवस्था के अनुसार सरकारी सेवक के मृत्यु के दिनांक के 5 वर्ष के भीतर मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन के लिये आवेदन किया जाना चाहिए ।

प्रश्नगत मामले में मृतक आश्रित श्री संतोष कुमार ने अपने पिता की मृत्यु की दिनांक से 5 वर्ष के बाद अपने सेवायोजन हेतु आवेदन-पत्र दिया था । शासन द्वारा विचारोपरान्त इन्हें समय सीमा में छूट नहीं प्रदान की गयी हैं ।

जनपद सीतापुर में श्री गयादीन पुत्र सकटू निवासी ग्राम खालेगढ़ी, थाना संदना की दुर्घटना में पैर टूट जाने विषयक प्रार्थना-पत्र पर प्रभावी कार्यवाही की मांग

82—श्री बाबू खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-7-99 को ग्राम नसीराबाद शिराहे के पास टैम्पो नं० यू० पी० 34/4784 से श्री गयादीन पुत्र सकटू निवासी ग्राम खालेगढ़ी, थाना संदना, जनपद सीतापुर की दुर्घटना हुई थी जिसमें श्री गयादीन का पैर टूट गया था ? क्या इसकी रिपोर्ट थानाध्यक्ष संदना द्वारा न लिखे जाने पर उक्त ने रजिस्टर्ड पत्र सं० 0843 तथा 0844 दिनांक 23-8-99 द्वारा थानाध्यक्ष संदना तथा पुलिस अधीक्षक सीतापुर को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्रों पर टैम्पो मालिक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्री गयादीन पुत्र सकटू निवासी ग्राम खालेगढ़ी, थाना संदना, जनपद सीतापुर का प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्राप्त हुआ था जो दिनांक 30-8-99 को थाना संदना प्रेषित किया गया है, जिस पर जांचोपरांन्त थाना संदना में मुकदमा अपराध संख्या–213/99, धारा 279/338 भा० द० वि० का पंजीकृत किया गया । अभियुक्त टैम्पो चालक अजीज पुत्र बब्बर नि० फत्तेपुर थाना संदना को

दिनांक 4-12-99 को बन्दी बनाया गया । विवेचनोपरान्त अभियोग में आरोप पत्र संख्या–140, दिनांक 16-12-99 को प्रेषित किया गया ।

घटना के संबंध में टैम्पो मालिक का कोई दोष न होने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद सीतापुर के थाना संदना, ग्राम शेखपुर के प्रधान के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

83– श्री बाबू खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी गोंदलामऊ जनपद सीतापुर ने पत्र संख्या 1827 दिनांक 14-9-99 द्वारा थाना संदना जनपद सीतापुर को ग्राम सभा शेखपुर के प्रधान के विरुद्ध वहां पर तैनात ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी के साथ की गयी मारपीट तथा चेक बुकें छीन लिये जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज किये जाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दर्ज की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश–

यह सत्य है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गोंदलामऊ निवासी ग्राम खालेगढ़ी, थाना संदना, जनपद सीतापुर श्री कन्हू लाल की सूचना पर थाना संदना में दिनांक 20-11-99 को मु० अ० सं०–212/99 धारा 332/504/506 भा० द० वि० व 3(1)(X) एसटी/एसटी एक्ट के विरुद्ध यदुनन्दन सिंह प्रधान ग्राम सभा भीखपुर थाना संदना में पंजीकृत हुआ है । उक्त अभियुक्त दिनांक 4-12-99 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । इस अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी मिश्रिख श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ला द्वारा की जा रही है ।

जनपद हरदोई में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र जांच आख्या की मांग

84– श्री अब्दुल मन्नान–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अनेक वादों में अवैधानिक एवं अनियमित कार्य किये जाने के संबंध में कितने शिकायती पत्र जिलाधिकारी, हरदोई मा० मुख्य मंत्री तथा सचिव न्याय को वर्ष 1998 से 3-7-99 तक अधिवक्ताओं द्वारा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुये हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष 1998 से दिनांक 3-7-99 तक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरदोई के विरुद्ध जिला अधिकारी, हरदोई को 7 शिकायती-पत्र तथा शासन में तीन व्यक्तियों के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे । शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से जांच आख्या मांगी गयी थी । जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त सूचना के अनुसार शिकायत जांचोपरान्त निराधार एवं प्रमाणित न होने के कारण संग्रह कर दिये गये हैं ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में निष्पादित कार्यों को कम्प्यूटरीकरण करने के निर्णय का औचित्य

85—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में निष्पादित कार्यों को कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसका

औचित्य क्या है ? क्या उक्त निगम की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सरकार उक्त योजना को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

निगम द्वारा वर्ष भर में लगभग कुल रुपये 75.00 करोड़ की वस्तुएं बिक्री की जाती हैं । इतने बड़े व्यापार को संभालने, सुचारु रूप से संचालित करने, वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावनाओं को समाप्त करने, व्यापार को बढ़ाने तथा व्यवहृत किये गये कार्यों की समीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का कम्प्यूटरीकरण आवश्यक है ।

जी नहीं ।

कम्प्यूटरीकरण से निगम के व्यापार एवं लाभ दोनों में ही वृद्धि होने की सम्भावना है तथा कम्प्यूटरीकरण होने से वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावनायें भी समाप्त होंगी ।

उप निबन्धक के पदों पर पदोन्नति में हुई अनियमितता में संशोधन की मांग

86–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि फरवरी, 1997 में उप निबन्धक के पदों पर पदोन्नति में अनियमित रूप से हुए चयन को शासनादेश संख्या–क० स० वि०–5–3266/11-98-312(225)/97, दिनांक 7-8-98 तथा संख्या–क० स० वि० 5-515/11-99-312(225)/97, दिनांक 26-2-99 द्वारा निरस्त किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि कनिष्ठ व्यक्ति उप निबन्धक के पदों पर अभी भी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको प्रत्यावर्तित कर वरिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति कर उप निबन्धक के पदों पर तैनात करने के आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं । शासन के संदर्भित पत्रों द्वारा फरवरी, 1997 के चयन में बनायी गयी एकल पात्रता सूची को त्रुटिपूर्ण बताते हुए नयी एकल पात्रता सूची बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे । फरवरी, 1997 का चयन विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर लोक सेवा आयोग द्वारा सितम्बर, 1999 में निरस्त किया गया है ।

जी हां ।

कनिष्ठ उपनिबन्धकों को प्रत्यावर्तित करने पर उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है । मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में लम्बित शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने की मांग

87–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शस्त्र लाइसेन्स हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् भी जो आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेटों के स्तर पर लम्बित रहते हैं ? उनके लाइसेन्स यथाशीघ्र निर्गत करने के शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद जनपद हरदोई में अनेक आवेदन पत्र अभी भी लाइसेन्स निर्गत करने हेतु लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेन्स निर्गत करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर उनके निस्तारण की कार्यवाही संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी स्तर से की जाने वाली अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है । तथापि लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करने हेतु समस्त जिला मैजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्रकरण की जांच आख्या की जानकारी

88–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के पत्रांक–8121, 8122, 8123 एवं 8124, दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 द्वारा जिला प्रबन्धक, लखनऊ तत्कालीन से अभिलेख मांगे जाने संबंधी भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश, 6 नवीन मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ के संगठन मंत्री लखनऊ क्षेत्र लखनऊ का शिकायती पत्रांक–बी० एम० ए०–1/99/116, दिनांक 29-8-99 जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, दिनांक 10-9-99 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी, हां ।

प्रकरण में सतर्कता जांच चल रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील धुमाकोट एवं थैलीसैंण में पुलिस थाना खोलने की मांग

89–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील धुमाकोट एवं तहसील थैलीसैंण में पुलिस थाना खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्नगत दोनों थाने निर्धारित मानक को पूर्ण नहीं करते हैं तथा विगत तीन वर्षों में पंजीकृत अपराधों की संख्या नगण्य है ।

जनपद बिजनौर से कालागढ़ का पुलिस प्रशासन जनपद पौड़ी गढ़वाल को हस्तान्तरित किये जाने की मांग

90–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कालागढ़ जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रशासनिक नियंत्रण में है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस पर जनपद बिजनौर के पुलिस प्रशासन का नियंत्रण अभी तक है ? क्या कालागढ़ को पौड़ी गढ़वाल के पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में हस्तान्तरित किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

हस्तान्तरण की लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया के कारण समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ हजरतगंज कोतवाली के प्रभारी द्वारा भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

91—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हजरतगंज कोतवाली लखनऊ के प्रभारी द्वारा भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक तथा दो अन्य माननीय विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 23-7-99 जो कि माननीय मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव (गृह) को सम्बोधित थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को भेज कर जांच करायी गयी। जांच से पाया गया कि सर्वश्री ए० आर० सिद्दीकी, नन्दलाल जायसवाल तथा विपक्षी पारसनाथ तिवारी विद्युत यूनियन से सम्बद्ध है। उक्त दोनों पक्षों में दिनांक 23-7-99 को कहा-सुनी हो गयी थी और दोनों पक्षों ने थाने पर आकर एक दूसरे पर आरोप लगाये थे। थाने पर ही दोनों पक्षों द्वारा आपसी सुलहनामा प्रस्तुत किया गया। प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाये गये।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने की मांग

92—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ अदालत कब तक स्थापित कर देगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में सिविल जज (जू० डि०) के न्यायालय की स्थापना हेतु आवश्यक "इन्फ्रास्ट्रक्चर" उपलब्ध नहीं है। अतः मा० उच्च न्यायालय के अभिमत के अनुसार उक्त तहसील में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर में ग्राम सिरौली की भवन निर्माण हेतु सहायक अध्यापक श्री प्रभाशंकर द्वारा आहरित धनराशि के जमा करने में हुए विलम्ब संबंधी प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही की मांग

93–श्री अब्दुल मन्नान–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित अता० प्र० संख्या–156 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित अध्यापक द्वारा धनराशि कब जमा की गयी तथा पुलिस विवेचना के दौरान रुपये 32000 का सामान खरीदने सम्बन्धी रसीद दाखिल करने के

आधार पर पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगाये जाने का औचित्य क्या है ? 7(000) रु० लगभग तीन माह बाद जमा करने के उपरान्त भी इस विलम्ब के लिए सम्बन्धित अध्यापक को दण्डित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी पुनः जांच कराकर सम्बन्धित अध्यापक को दण्डित करते हुए उक्त अवधि की धनराशि का ब्याज भी वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित अध्यापक द्वारा दिनांक 10-10-98 को उक्त धनराशि जमा की गयी । उक्त अध्यापक द्वारा दिनांक 13-6-98 को अवध ग्रामीण बैंक से एक लाख 8 हजार रुपये स्कूल भवन के निर्माण के लिये निकाला गया था । उक्त धनराशि में से रुपये 32,000/- की भवन निर्माण सामग्री क्रय की गयी । भवन निर्माण के लिये स्थल के चयन में विरोध हो जाने एवं भवन निर्माण कार्य में विलम्ब होने के कारण शेष धनराशि रुपये 76,000/– दिनांक 10-10-98 को उक्त अध्यापक द्वारा जमा कर दी गयी थी । दिनांक 10-10-98 को ही बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें विवेचनोपसन्त अध्यापक के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध होना नहीं पाया गया । अतः पुलिस द्वारा प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है ।

भवन निर्माण के लिये स्थान के चयन में ग्राम सिरौली के श्री राम आसरे दीक्षित द्वारा विरोध करने के कारण भवन निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका एवं तदोपरान्त उक्त अध्यापक द्वारा भवन निर्माण हेतु निकाली गयी धनराशि रुपये 76,000/- की धनराशि दिनांक 10-10-98 को जमा कर दी गयी। इस हेतु अध्यापक के पक्ष में विलम्ब का होना नहीं पाया गया । अतः अध्यापक को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत अभियोग में अध्यापक को निर्दोष पाते हुए पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है जोकि विचाराधीन न्यायालय है । अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के गेट व प्रेस की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने की मांग

94–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ के गेट पर कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रेस की जमीन पर कब्जा कर अनधिकृत रूप से मकान का निर्माण व भूसे की दुकानें खोल ली गयी हैं ? यदि हां, तो इसको खाली करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के गेट पर व प्रेस की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर मकान का निर्मोण व भूसे की दुकानें नहीं खोली गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में मुकदमा अपराध संख्या 32/99 के मुल्जिमों को गिरफ्तार किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

95–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में मुकदमा अ० संख्या 32/99 के मुल्जिमों को गिरफ्तार किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०

को०/एम–2/22776/मथुरा/99, दिनांक 24-4-99 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अभियोग की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष, गोवर्धन, मथुरा द्वारा की गयी और उन्होंने विवेचना से अपहरण का मामला न पाते हुए अपहृता की गुमशुदगी को प्रमाणित मानते हुए दिनांक 30-3-99 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जो न्यायालय में विचाराधीन है । तदोपरान्त प्रभारी एस० आई० एस० शाखा, मथुरा को धारा 173(8) द० प्र० सं० के अन्तर्गत संबंधित न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके उक्त अभियोग की विवेचना कराये जाने के निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु ए० सी० जे० एम०, तृतीय के न्यायालय में आवेदन किया गया । न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने पर इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मथुरा में ग्राम बाकलापुर में राशन कार्ड बनाने व राशन वितरण में धांधली किये जाने की जांच के संबंध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

96–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाकलापुर, मथुरा में राशन कार्ड बनाने व राशन वितरण में धांधली किये जाने की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि० को०/एम–2/22833/मथुरा/99, दिनांक 25-4-99 सचिव, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच खण्ड विकास अधिकारी, मथुरा से करायी गयी । जांच में कोई अनियमितता सिद्ध नहीं पायी गयी ।

जनपद मथुरा के थाना–बरसाना में अपराध संख्या 62-64/95 के मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

97–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 62/95, 63/95, 64/95, थाना–बरसाना मथुरा के मुल्जमान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–1/21955/मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

विवेचना से अभियुक्त गण मोहम्मद एवं गुन्नी को दिनांक 27-8-95 को मौके पर ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । एक अभियुक्त बच्चू सिंह जो फरार हो गया था, ने दिनांक 8-11-95 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया अभियुक्तगण मोहम्मद एवं गुन्नी के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–42 एवं 43 दि० 15-9-95 को तथा अभियुक्त बच्चू के विरुद्ध आरोप-पत्र सं०–66 दि० 18-11-95 को

न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य दण्डाधिकारी, मथुरा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद मथुरा के ग्राम सरेसा, थाना फरहा में जाटवों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने के संबंध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

९४–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सरेसा, थाना फरहा, जिला मथुरा में दो मार्च, को होली में गांव के लोगों के साथ जाटवों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अशान्ति फैलाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि० को०/एम–1/21968/ मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा ने अपनी आख्या में अवगत कराया है कि इस प्रकरण में आवेदक श्री क्षेत्रपाल सिंह, निवासी ग्राम सरेसा, थाना फरहा, मथुरा में थाना फरहा पर अ० सं०–43/99 धारा 323/504/506 भा० द० वि० एवं 3(1) 10 एससी/एसटी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग श्री महेन्द्र, चन्द्रपाल, छिद्दी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, गोवर्धन मथुरा द्वारा की गयी । उक्त अभियोग की विवेचना पूर्ण करके दिनांक 23-4-99 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद लखनऊ में शस्त्र लाइसेन्स देने एवं उप निरीक्षक द्वारा मनमानी किये जाने के संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद का शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

९९–श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शस्त्र लाइसेन्स देने एवं उपनिरीक्षक द्वारा मनमानी किये जाने सम्बन्धी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 31-8-९९ जो कि मुख्य मंत्री एवं जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्न में वर्णित विषय पर मा० सांसद का पत्र दिनांक 31-8-९8 प्राप्त हुआ है ।

मा० सांसद का पत्र दिनांक 31-8-९8 श्री नन्द लाल जायसवाल, माडल हाउस, लखनऊ के शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र पर पुलिस रिपोर्ट देने में थाना अमीनाबाद के उप निरीक्षक द्वारा की गयी मनमानी से संबंधित था । इस बारे में छानबीन के उपरान्त श्री शिवकुमार सिंह चन्देल, उप निरीक्षक की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाये जाने के कारण दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आदेशित की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त श्री नन्द लाल जायसवाल के बारे में उनके गृह जनपद देवरिया से पुलिस आख्या दिनांक 26-11-९९ को प्राप्त होने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा दिनांक 30-11-९९ को आवेदित शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत कर दिया गया है ।

श्रीनगर गढ़वाल में राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यशाला निर्माण कराने की मांग

100–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीनगर गढ़वाल में राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यशाला का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

श्रीनगर गढ़वाल से सम्बन्धित अधिकांश मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं । वर्तमान नीति के अन्तर्गत अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया जाना है । इस कारण यहां कार्यशाला के निर्माण का औचित्य नहीं पाया गया है ।

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो संचालित करने की मांग

101– श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो संचालित करने की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उसका संचालन कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

किन्तु श्रीनगर गढ़वाल के अधिकांश मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं, जिन पर वर्तमान नीति के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया जाना है । इस कारण इस स्थान पर वर्तमान में डिपो की स्थापना की आवश्यकता नहीं है ।

लखनऊ में प्रदूषण से बचाव हेतु हजरतगंज से अन्धे की चौकी, ठाकुरगंज हरदोई रोड में बस सेवा संचालित करने की मांग

102–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदूषण से बचाव हेतु क्या सरकार हजरतगंज से अन्धे की चौकी, ठाकुरगंज हरदोई रोड, लखनऊ तक नगर बस सेवा संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

वर्तमान में हजरतगंज से अन्धे की चौकी, ठाकुरगंज, हरदोई रोड, लखनऊ तक नगर बस सेवा संचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, अपितु लखनऊ में नगर बस संचालन हेतु प्रस्तावित 6 मार्गों में एक चारबाग से दुबग्गा मार्ग पर बस संचालन प्रारम्भ होने से बस ठाकुरगंज से गुजरेगी तथा दुबग्गा तक जायेगी । इस बस सेवा के परमिट स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा परमिट उठाने हेतु 31-12-99 की तिथि निश्चित है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा 50 लाख रुपये से अधिक घोटाला सम्बन्धी रिपोर्ट तथा जांच आख्या की जानकारी

103–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ एवं श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र (पंजीकृत) दिनांक 1-10-99 जो कि थाना प्रभारी, हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ पुलिस अधीक्षक (सिटी), लखनऊ वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक, लखनऊ एवं प्रमुख सचिव (गृह) को सम्बोधित थे और जो उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा 30 लाख रुपये से अधिक का घोटाला सम्बन्धी था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने के क्या कारण रहे ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश से इस प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है तथा इसी प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा भी जांच प्रचलित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठाता एवं विभागीय स्तर पर प्रचलित है। जांचोपरान्त आरोप सिद्ध पाये जाने पर ही अग्रेतर कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होगा।

104–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद हरदोई, श्री सिद्धनाथ यादव कान्सटेबिल नं० 499 को सेवा से निकाले जाने का प्रकरण

105–श्री मुहर सिंह अम्बाड़ी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गृह पुलिस अनुभाग–2 के पत्र सं० 4168/93–6पु०–2–16(8) (81)/96, दिनांक 8 जून, 1993 द्वारा पुलिस अधीक्षक, हरदोई को श्री सिद्धनाथ यादव का० नं० 499 को सेवा समाप्ति के आदेश पूर्ण संलग्नकों सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा श्री यादव को सेवा समाप्ति के आदेश पूर्ण संलग्नकों सहित उपलब्ध कराये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

पुलिस अधीक्षक, हरदोई के आदेश संख्या–पी०एफ०–27/86, दिनांक 21-2-87 के साथ संलग्न श्री यादव की सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 21-2-87 पूर्व में ही उन्हें 4-3-87 को उपलब्ध करा दिया गया था।

जनपद शाहजहांपुर में श्री भगत सिंह, उप निरीक्षक, थाना तिलहर के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा कार्यवाही की मांग

106–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सुरेश चन्द्र शुक्ला, महामंत्री, नगर कांग्रेस कमेटी, तिलहर जनपद–शाहजहांपुर द्वारा एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री भगत सिंह, उप निरीक्षक थाना–तिलहर के विरुद्ध जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिनांक 22-3-99 को दिया गया था ? क्या यह सही है कि उस पर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिये थे ? यदि हां, तो पुलिस अधीक्षक द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां। पत्र दिनांक 22-3-99 में उल्लिखित आरोप के सम्बन्ध में सूच्य है कि वादी श्री पी० के० तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उप निरीक्षक, भगत सिंह, थाना तिलहर

दिनांक 17-3-99 को रंगे हाथ गिरफ्तार कर मु० अ० सं०–63/99 धारा 7/13 भ्र० निवारण अधिनियम थाना तिलहर पर पंजीकृत होकर जेल भेजा गया । यह घटना श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला के मकान पर हुई थी । उ० नि० भगत सिंह की जमानत स्वीकृत होने पर आवेदक श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र एतद्यातन इस भय से दिया गया कि कहीं उप निरीक्षक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करवा दें । पत्र में अनुरोध किया गया था प्रार्थना-पत्र दाखिल दफ्तर करवाया जाए ताकि वक्त जरूरत पर काम आ सके । उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-3-99 पुलिस कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर में श्री भगत सिंह, उप निरीक्षक, थाना तिलहर को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाये जाने पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री भगत सिंह उप निरीक्षक थाना–तिलहर जनपद–शाहजहांपुर दिनांक 16-3-99 को रिश्वत लेते हुये सतर्कता विभाग बरेली द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गये थे ? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि उपरोक्त आरोपित उप निरीक्षक पुनः बहाल कर सरकारी सेवा में कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो आरोपित उप निरीक्षक को बहाल करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया था । न्यायालय से दिनांक 20-3-99 को जमानत हो गयी है । दिनांक 18-3-99 से यह उप निरीक्षक निलम्बित चल रहा है । शेष कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में श्री देवराज शर्मा पुत्र स्व० हर प्रसाद शर्मा निवासी तीगरपुरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने विषयक विधायक कोष्टक के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

108–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवराज शर्मा, पुत्र स्व० हर प्रसाद शर्मा, निवासी तीगरपुरा मथुरा के प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्टक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/22832/मथुरा/99: दिनांक 25-4-99 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय अंचलों में तैनात राजकीय सहकारी पर्यवेक्षकों को मुख्यालय (लखनऊ) में सम्बद्ध किये जाने से रोके जाने के संबंध में विधायक श्री उबैदुर्रहमान के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

109–श्री उदयराज यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचलों में तैनात राजकीय सहकारी पर्यवेक्षकों को मुख्यालय (लखनऊ) में सम्बद्ध किये जाने की कार्यवाही को रोके जाने के सम्बन्ध में

श्री उबैदुर्रहमान स०वि०स० का पत्रांक--क--नं०--407875, दिनांक 21 जून, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

श्री अग्निहोत्री जड़ी-बूटी पर्यवेक्षक को कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होने के कारण उनकी सहमति से उन्हें कम्प्यूटर का कार्य किये जाने हेतु निबन्धक के आदेश दिनांक 7-5-99 द्वारा उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल से राजकीय कार्यहित में सम्बद्ध किया गया है । इसकी सूचना श्री उबैदुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा को भी शासन के पत्र दिनांक 15-10-99 द्वारा दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के ग्राम सभा भीखपुर ब्लाक गोंदनामऊ, थाना संदना के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ हुई मारपीट विषयक पत्र तथा कार्यवाही की जानकारी

110–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भीखपुर, ब्लाक गोंदना मऊ थाना संदना जनपद सीतापुर के ग्राम प्रधान की यदुनन्दन सिंह द्वारा वहां पर तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कन्हू लाल के साथ की गई मारपीट के संबंध में प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड डाक संख्या–1200121 व 1202, दिनांक 14-9-99 क्रमशः थानाध्यक्ष, संदना पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी सीतापुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्री कन्हू लाल ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी पंचायत भीखपुर क्षेत्र पंचायत गोंदलामऊ, थाना संदना को रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष, संदना को प्राप्त हुआ था जिसकी जांचोपरान्त घटना सत्य पाये जाने पर अभियुक्त यदुनन्दन सिंह के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 212/99 धारा 332/504/506 भा० द० वि० व 3(1)(10) एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट दिनांक 30-11-99 को पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, मिश्रिख द्वारा की गयी । अभियुक्त को दिनांक 4-12-99 को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया । विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र दिनांक 12-12-99 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

उ० प्र० पुलिस जर्नल पत्रिका के क्रय हेतु अन्य पत्र पत्रिका की भांति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नीति शासन द्वारा बनाये जाने की मांग

111–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 3सरे सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या–13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पुलिस जर्नल पत्रिका को पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र०, लखनऊ के कार्यालय पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से दिनांक 14-9-95, 2-12-95, 27-9-96 व 5-10-96 को पुलिस विभाग द्वारा उक्त जर्नल को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्र का परिपालन करवाना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा प्रतिबन्ध न लगाये जाने, न लगे होने की स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए अन्य पत्र-पत्रिकाओं की भांति क्रय करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नीति उक्त उ० प्र० पुलिस जर्नल के संबंध में भी जारी रहेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पत्र-पत्रिकाओं के क्रय का निर्णय पुलिस महानिदेशक एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा स्वयं लिया जाना अपेक्षित है। क्रय के संबंध में मानक नियम बने हुए हैं।

इस संबंध में शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

किसी पत्र-पत्रिकाओं विशेष को क्रय का निर्णय विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक द्वारा लिया जाना अपेक्षित है, शासन स्तर से कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

असलहों के व्यापारिक लाइसेन्स के फार्म नं० 11–14 एवं नवीनकरण के संबंध में शासन की नीति की जानकारी

112–श्री राम औतार शाक्य–

क्या संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि असलहों के व्यापारिक लाइसेन्स के फार्म नं०–11, 12, 13, 14 एवं असलहों के नवीनीकरण पर पूर्व में लगाई गई स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दी गयी है? यदि हां, तो कब और कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

असलहों के व्यापारिक लाइसेन्स के फार्म नं०–11, 12 13, 14 एवं उनके नवीनीकरण पर पूर्व में लगाई गई स्टाम्प शुल्क समाप्त नहीं की गयी है, किन्तु व्यक्तिगत असलहों की अनुज्ञप्ति विलेख के नवीनीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी अधिसूचना दिनांक 10 मई, 1999 के द्वारा पूर्ण रूपेण समाप्त कर दी गयी है।

व्यापारिक लाइसेन्सों पर स्टाम्प शुल्क इसलिये नहीं समाप्त किया गया, क्योंकि इसे राजस्व अर्जित करने की दृष्टि से आवश्यक माना गया है।

प्रदेश में शान्ति सुरक्षा बल के गठन का उद्देश्य तथा उसे समाप्त करने का औचित्य

113–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शान्ति सुरक्षा बल का गठन कब और किस आधार पर किया गया था? क्या उक्त बल समाप्त कर दिया गया? यदि हां, तो कब तथा उसके समाप्त करने का औचित्य क्या है?

श्री राम प्रकाश–

प्रदेश में विधि और व्यवस्था बनाये रखने, अन्य समस्याओं से निपटने एवं केन्द्रीय सुरक्षा बलों की अपेक्षा को निवारित करने के उद्देश्य से शान्ति सुरक्षा बल का गठन वर्ष 1994 में किया गया था।

जी हां।

दिनांक 5 मई, 1999 को उक्त बल का निरसन किया गया। वर्तमान परिवेश में शांति सुरक्षा बल का औचित्य न पाये जाने के कारण इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में शासकीय अधिवक्ता पद पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

114–श्री सतीश जतारिया–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने शासकीय अधिवक्ता (दीवानी, फौजदारी व राजस्व) नियुक्त हैं? उसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं? क्या यह सही है कि

शासकीय अधिवक्ता पद पर आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

115–श्री जगदीश नारायण राय–

। राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

जनपद हरदोई के ग्राम गुजरइ, थाना बिलग्राम निवासी श्री रामचन्द पुत्र नन्हे की एक नाली बन्दूक को वापस न किये जाने के कारणों की जानकारी

116–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गुजरइ, थाना बिलग्राम निवासी श्री राम चन्द्र पुत्र नन्हें की एक नाली बन्दूक संख्या–16523, लाइसेन्स संख्या 8685, धारा 323/34–504, 506 (7) भा०द०संहि० से तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा मुक्त किये जाने के उपरान्त भी आज तक थाना बिलग्राम से लाइसेन्स धारक श्री रामचन्द्र को बन्दूक नहीं वापस की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करवा कर उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत बन्दूक लाइसेन्सधारक श्री राम चन्द्र को दिनांक 16-6-09 को वापस कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में केन्द्रांचल कालोनी, अलीगंज में की जा रही ठगी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

117–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रांचल कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में की जा रही ठगी के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्रांक 5075/पी०जी०एस०/दिनांक 20-5-09 द्वारा डी०जी०पी० उ० प्र० लखनऊ को जांच कराये जाने के संबंध में लिखा गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आयें और दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जांच से पाया गया कि डा० गिरीश गुप्ता निवासी अलीगंज, लखनऊ के मकान में पी० के० दुबे नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है एवं स्थानीय पुलिस की जांच से इस क्षेत्र में पी० के० दुबे का रहना नहीं पाया गया । अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में शिवराज सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी गढ़िया किसनपुर, थाना बेवर की निरुद्धि एवं रिहाई के संबंध में जानकारी

118–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 2सरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–54 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिवराज सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी

गढ़िया किसनपुर, थाना–बेवर, जनपद मैनपुरी के आपराधिक इतिहास की सूची के क्रमांक 27 पर अंकित उक्त अपराधी, अपराध संख्या 109/88 धारा 364/302/201/आई०पी०सी० थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत किस कारागार में कितनी-कितनी अवधि तक निरुद्ध रहा तथा वह कारागार से कब रिहा हुआ ?

श्री राम प्रकाश–

अभियुक्त शिवराज सिंह दिनांक 1-8-88 से दि० 8-8-88 तक जिला कारागार, मैनपुरी में तथा 9-8-88 से जमानत पर रिहा होने तक जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरुद्ध रहा ।

उसे कारागार से दिनांक 26-8-88 को जमानत पर रिहा किया गया ।

जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में एफ० आई० आर० दर्ज से लेकर आरोप पत्र प्रस्तुत होने तक अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये जाने का औचित्य एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

119–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि अपराध संख्या 172/98 धारा 332/353/307 आई०पी०सी० एवं 7 क्रिमिनल ला एमेण्डमेन्ट एक्ट थाना–बेवर, जनपद मैनपुरी के आपराधिक मुकदमें में मुकदमा कायमी से लेकर आरोप-पत्र प्रस्तुत होने तक अभियुक्तगण पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये गये ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त केस में अपराधियों को गिरफ्तार न करने के लिए दोषियों का दायित्व निर्धारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रकरण से सम्बन्धित दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं । अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये बिना आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है ।

स्पष्टीकरण मांगा गया है । उसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

दोषी व्यक्तियों का दायित्व निर्धारित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

जनपद मैनपुरी में जायज/नाजायज असलहों के प्रदर्शन को रोकने के लिये प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

120–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि शहर मैनपुरी में जायज/नाजायज असलहों के प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रश्नकर्ता का दिनांक 28-10-98 का पत्र प्रमुख सचिव, गृह, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके बिन्दु क्या हैं और उसमें अब तक शासन द्वारा क्या-क्या आदेश पारित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त प्रश्न में उल्लिखित बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(1) क्या यह सच नहीं है कि उक्त जुलूस में कानून का सरेआम उल्लंघन किया गया है । क्योंकि इस जुलूस में ऐसे लोग भी असलहा लिये हुए थे जिनके नाम लाइसेंस

नहीं थे, या तो असलाह वे मांग कर लाये थे अथवा असलाह उनके किसी परिवारीजनों के जो स्वयं जुलूस में नहीं आये थे परन्तु उन्होंने अपने असलाह भेज दिये थे ।

(2) क्या यह सही नहीं है कि सरेआम योजनाबद्ध तरीके से सैकड़ों असलहों का प्रदर्शन व फायरिंग कर दहशत पैदा करना, धारा 144 जाब्ता फौजदारी का उल्लंघन नहीं है ।

(3) क्या ऐसा अनियंत्रित प्रदर्शन कानून एवं व्यवस्था के लिये चुनौती नहीं है ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि उक्त असलाहधारी प्रदर्शन में बड़ी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बहुत सारे अपराधी थे जिनको पुलिस ने संदिग्ध माना हो ?

(5) क्या शस्त्र पूजन के नाम पर इस तरह का प्रदर्शन गलत परम्परा नहीं डालेगा ?

(6) क्या इस तरह के अनियंत्रित एवं भयावह प्रदर्शन में जिले के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ?

(7) क्या शस्त्रों के इस तरह के अनियंत्रित असलाहधारी प्रदर्शन कर मैनपुरी जनपद अथवा प्रदेश के अन्य भागों में भविष्य में कोई रोक लगायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपरोक्त के संबंध में शासन के आदेश सं०-1131(1)/6-12-99-6(65)डी/98, दिनांक 20 अप्रैल, 1999 एवं आदेश सं०-1953(1)/6-12-99-5(62)डी/99, दि० 5 जुलाई, 1999 द्वारा जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश भेजे गये कि जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि असलहों का प्रदर्शन किसी भी प्रकार के विजय जुलूस अथवा अन्य जुलूसों में न किया जाय और असलहों का खुले आम प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय । साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में किसी भी प्रकार के ऐसे प्रदर्शन जिससे आम जनता में भय एवं आतंक की भावना उत्पन्न होती है, आयोजित न होना देना सुनिश्चित किया जाये । जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य, स० वि० स० के नाम व हस्ताक्षरों से प्रस्तुत फर्जी पत्रों के प्रकरण की सी० बी० सी० आई० एस० द्वितीय की जांच कृत कार्यवाही की जानकारी

121-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के नाम व दस्तंखतों से प्रस्तुत फर्जी पत्रों के प्रकरण में सी० बी० 74/99 सी०आई०एस० द्वितीय लखनऊ द्वारा की जा रही सी०आई०डी० जांच कब तक समाप्त करवा दी जायेगी ? क्या उक्त प्रकरण में अब तक प्रश्नकर्ता के बयान आदि लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

श्री राम औतार शाक्य, माननीय सदस्य, विधान सभा के नाम व हस्ताक्षरों से प्रस्तुत फर्जी पत्रों के प्रकरण की सी० बी० सं० 74/99 पर अपराध शाखा, अप० अनु० विभाग के सी० आई० एस० द्वितीय खण्ड द्वारा सम्पादित की जा रही जांच/विवेचना तीन माह के अन्दर पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं । इस प्रकरण में विवेचक/अनुसंधानकर्ता द्वारा दिनांक 4-7-99 को प्रश्नकर्ता श्री राम औतार शाक्य, माननीय सदस्य विधान सभा के बयान लिख लिये गये हैं ।

प्रदेश में थाना प्रभारियों व इन्सपेक्टरों की तैनाती में आरक्षण कोटा तथा जनपद मैनपुरी में स्वीकृत कतिपय पद एवं विभिन्न वर्गों का प्रतिशत प्रभार की जानकारी

122–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में थाना प्रभारियों व इन्सपेक्टरों की तैनाती में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के आरक्षण का कोटा समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक प्रभारी, उप निरीक्षक थाना और प्रभारी उप निरीक्षक के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त वर्गों को कितना-कितना प्रतिशत प्रभार दिया गया है ?

श्री राम प्रकाश–

आरक्षण कोटा समाप्त नहीं किया गया है ।

जनपद मैनपुरी में पुलिस की विभिन्न शाखाओं में पुलिस उपाधीक्षक के चार, पुलिस निरीक्षक के चार, प्रभारी उप निरीक्षक थाना के नौ तथा उप निरीक्षक प्रभारी के तीन पद स्वीकृत हैं ।

विभिन्न वर्गों का प्रतिशत प्रभार निम्नवत् है :—

	साधारण जाति	विभक्ति जाति	अनु० जाति/जनजाति	अल्पसंख्यक
निरीक्षक	75%	—	—	—
प्रभारी थाना	33.33%	33.33%	22.22%	—
प्रभारी उप निरीक्षक	66.33%	33.33%	—	—

जनपद सहारनपुर के साधन सहकारी समिति लि० धुन्ना के सचिव श्री चन्द्र शर्मा के विरुद्ध आरोप के कारण सेवा समाप्ति तथा दोष मुक्त होने पर पुनः सेवायोजित करने का प्रकरण

123–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर के साधन सहकारी समिति लि० धुन्ना के सचिव श्री चन्द्र शर्मा के विरुद्ध जिन आरोपों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमा चलाया गया था उन्हीं आरोपों में दिनांक 4-1-1989 को सेवायें भी समाप्त की गयी थीं ? क्या न्यायालय द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिये जाने के बाद उन्हें सेवा में पुनः पदारूढ़ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिये जाने के बाद श्री चन्द्र शर्मा को सेवा में बहाल करने का मामला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो श्री शर्मा को सेवा में कब तक पदारूढ़ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

श्री शर्मा के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों के साथ-साथ कर्मचारी आचार संहिता के उल्लंघन और समिति के रिकार्ड चार्ज में न देने का दोषी विभागीय कार्यवाही में पाये जाने के कारण सेवा समाप्त की गयी थी ।

जी नहीं ।

श्री शर्मा को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त नहीं किया गया है बल्कि विवेचनाधिकारी द्वारा समिति का रिकार्ड उपलब्ध न होने के आधार पर अंतिम रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसमें

विवेचनाधिकारी द्वारा वादी पक्ष को हिदायत दी गयी कि "विभागीय तरीके से रकम वसूल करें" अतः वसूली के लिये श्री शर्मा दोषी पाये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये जाने के कारण श्री शर्मा को पुनः पदारूढ़ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल पुनरीक्षण समिति द्वारा परिहार प्रणाली व समय पूर्व रिहाई (पैरोल) की व्यवस्था को प्रभावी बनाने विषयक मुल्ला कमेटी की संस्तुतियों पर विचार व लागू करने की मांग

124– श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिहार प्रणाली तथा समय पूर्व रिहाई (पेरोल) को प्रभावी बनाने के लिए गठित मुल्ला कमेटी की संस्तुतियां क्या सरकार को प्राप्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो उनको कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जी हां ।

परिहार प्रणाली व समय पूर्व रिहाई (पैरोल) की व्यवस्था को प्रभावी बनाने विषयक मुल्ला कमेटी की संस्तुतियों पर भी उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल पुनरीक्षण समिति द्वारा विचार किया गया है । उक्त समिति की संस्तुतियों के क्रम में उ० प्र० जेल मैनुअल में संशोधन का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में थाना बेवर/भोगांव में मिली सिरकटी लाश के प्रकरण में सी० आई० डी० द्वारा जांच/ दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

125–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सी०बी० नम्बर 221/99 थाना बेवर/भोगांव, जनपद मैनपुरी के सिरकटी लाश के प्रकरण में किन बिन्दुओं पर सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में शीघ्र जांच करवाकर दोषियों को दण्ड दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सी० बी० नम्बर 221/99 थाना बेवर, जनपद मैनपुरी के सिरकटी लाश के प्रकरण में ग्राम किशनपुर गढ़िया के पास बम्बे में एक अज्ञात महिला की सिरकटी नग्न लाश को पुलिस द्वारा कब्जे में न लेने, रहस्योद्घाटन न होने तथा स्थानीय पुलिस द्वारा शासन को गलत सूचना देने व पुलिस द्वारा बरती गयी लापरवाही की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी है ।

अपराध शाखा के जांच के मध्य ग्राम किशनपुर गढ़िया के कथित बम्बे का निरीक्षण किया गया तथा श्री सन्तोष सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान श्री गिरीश चन्द्र बाल्मीकी आदि तथा थानाध्यक्ष, बेवर उप निरीक्षकगण, हेड कान्स० एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों के कथन अंकित किये जा चुके हैं । पत्रकार श्री पंकज मिश्रा, एडवोकेट, "दैनिक समाचार पत्र आज" का भी कथन अंकित किया जा चुका है । श्रीमती मीना कुमारी एवं मा० प्रश्नकर्ता सदस्य विधान सभा श्री राम औतार शाक्य से काफी प्रयास के उपरान्त उपलब्ध न होने के कारण इनके कथन अंकित नहीं किये जा सके ।

प्रकरण में जांच प्राथमिकता के आधार पर करायी जा रही है । प्रकरण में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । जांच को वरीयता के आधार पर पूर्ण करने के निदेश दिये जा चुके हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर नियुक्त अधिकारियों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

126-श्री काशीनाथ –

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर नियुक्त अधिकारियों को परिक्षेत्रों में भ्रमण एवं निरीक्षण के उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु विगत वर्षों में सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु अट्ठारह अम्बेसडर कारें क्रय की गयी थी जिन्हें निदेशालय के अधिकारियों द्वारा परिक्षेत्रों में संयुक्त निदेशकों को उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर नियुक्त अधिकारियों को वाहन सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा विचारोपरान्त औचित्य न पाये जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार किया जा चुका है ।

प्रदेश में अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के लिए अलग से आवासीय सुविधा प्रदान करने की मांग

127 श्री काशीनाथ–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के लिए अलग से कोई आवासीय व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या अभियोजन अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद स्तर पर पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है ।

उप निबन्धक, फर्रुखाबाद के रिक्त पद पर श्री गजेन्द्र सिंह यादवेन्द्र की नियुक्ति/तैनाती का कारण

128–श्री आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5 के अर्द्ध शा० पत्र सं०–2872/11-99, दिनांक 7-7-99 के अनुपालन में उप निबन्धक फर्रुखाबाद के रिक्त पद पर श्री गजेन्द्र सिंह यादवेन्द्र की नियुक्ति/तैनाती की गयी है ? उक्त आदेशों का अनुपालन न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक सरकार करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

श्री गजेन्द्र सिंह यादवेन्द्रके फर्रुखाबाद स्थानान्तरण किये जाने सम्बन्धी अनुमोदन को शासन के अर्ध शा० पत्र संख्या : 3923/11-99-312(70)/99 टी०सी०–1, दिनांक 29-10-99 के द्वारा संशोधित करके मुख्यालय इलाहाबाद कर दिये जाने के फलस्वरूप किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के रोडवेज स्टेशन तिलहर तथा भीरामपुर कटरा में बन्द बुकिंग तथा चेक पोस्ट को पुनः चालू करने की मांग

129–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के रोडवेज स्टेशन तिलहर तथा भीरामपुर कटरा में सरकार द्वारा बुकिंग तथा चेक पोस्ट बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि बुकिंग न होने से रोडवेज की ज्यादातर बसें तिलहर तथा भीरामपुर कटरा स्टेशन पर नहीं रुकती हैं जिससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्टेशन पर बुकिंग आफिस तथा चेक पोस्ट पुनः शुरू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

तिलहर में स्थित चेक पोस्ट को बन्द कर दिया गया है तथा भीरामपुर कटरा में कोई चेक पोस्ट पूर्व में नहीं था । वर्तमान समय में तिलहर तथा भीरामपुर कटरा में परिचालकों द्वारा बस में ही यात्रियों को टिकट दिये जाते हैं ।

जी नहीं । निगम की बसों में परिचालकों द्वारा टिकट दिये जाने के कारण निगम को कोई हानि नहीं हो रही है ।

जी नहीं । परिवहन निगम के नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत पूरे प्रदेश के चेक पोस्टों को दिनांक 24-8-98 से बन्द कर दिया गया है ।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर चयन एवं पदोन्नति में अनियमितता का प्रकरण

130–श्री सीताराम निषाद–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उच्च न्यायालय में 18-5-99 को निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग याचिका संख्या- 506/99 पर कोई निर्णय दिया गया है ? यदि हां, तो उसके बिन्दु क्या हैं ? क्या बिन्दु के अनुरूप मा० न्यायालय के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर नियमित चयन नियमों के अन्तर्गत कराया जाय तथा यदि याची पात्रता क्षेत्र में आता है तो उसको भी निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाय ।

याची श्री किशन स्वरूप सागर उ० प्र० स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली में प्राविधानों के अनुसार भर्ती के प्रथम दिवस अर्थात् दिनांक 1-7-99 को उप निदेशक के पद पर कार्यरत होने की अर्हकारी अवधि 5 वर्ष पूर्ण न होने के कारण प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं पाये गये । निदेशक के पद पर चयन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों को हाई स्कूल के बाद छात्रवृत्ति की एक मुश्त सहायता हेतु निर्धारित अर्हताएं

131–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग में अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के बच्चों को पढ़ाने हेतु विभाग द्वारा कोई छात्रवृत्ति योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति देने की शर्तें क्या हैं ? किस-किस कक्षा के लिये कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी जा रही है ? क्या छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने हेतु पुलिस विभाग विचार कर रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1997-98 में इस योजना से कितने पुलिस कर्मी लाभान्वित हुये ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों को हाई स्कूल के बाद छात्रवृत्ति की एक मुश्त सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नांकित प्राप्तांक प्रतिशत की अर्हता निर्धारित है :––

1––तृतीय श्रेणी के पुलिस कर्मियों के बच्चों हेतु 60% अंक ।

2––चतुर्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों के बच्चों हेतु 55% अंक ।

3––मेडिकल/टेक्निकल/प्रोफेशनल कोर्सेज आदि 1250/- प्रति छात्र

4–– डिप्लोमा/बी० एस० सी०/एम० एस० सी०/एम० ए० आदि 550/- प्रति छात्र ।

5––इण्टरमीडिएट विज्ञान––400/- प्रति छात्र ।

6––बी० ए०, एल० एल० बी० 250/- प्रति छात्र ।

7––इण्टरमीडिएट आर्ट/कामर्स 150/- प्रति छात्र ।

जी नहीं ।

वर्ष 1997-98 में उ० प्र० पुलिस शिक्षा निधि से छात्रवृत्ति/एक मुश्त सहायता योजना के अन्तर्गत 752 छात्र लाभान्वित हुए ।

पुलिस कर्मियों को निजी मकान बनाने हेतु कर्ज देने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग

132––श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य के पुलिस कर्मियों को निजी मकान बनाने हेतु कर्ज दिये जाने की कोई योजना लागू है ? यदि हां, तो कब से ? कर्ज दिये जाने की नीति क्या है और अधिकतम कितना कर्ज दिया जा सकता है ? क्या सरकार अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को कर्ज दिये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के नियम 244 के अनुसार पुलिस कर्मचारियों को निजी आवास हेतु कर्ज (अग्रिम) दिये जाने का प्राविधान है । यह अग्रिम भवन निर्माण अग्रिम तथा

भवन मरम्मत अग्रिम के नाम से निर्धारित नियमानुसार तथा "प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त" नीति के अनुसार दिया जाता है, यह अग्रिम मूल वेतन का 50 गुना अथवा रु० 2,50,000/- जो भी कम हो स्वीकृत किया जा सकता है । अग्रिम सम्बन्धी व्यवस्था राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिये समान है अतः पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए अलग से सरलीकरण पर विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस कर्मियों को टाई धारण करने के आदेश के परिप्रेक्ष्य में लिये गये धन की वापसी की मांग

133–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी हुआ था कि 15 अगस्त को सभी उप निरीक्षक व उससे ऊपर के अधिकारी टाई धारण करेंगे ? क्या यह सही है कि सभी जिलों में व ब्रांचों में उप निरीक्षक व ऊपर के अधिकारियों से टाई प्रदान कराने हेतु वेतन से धन काटा गया था ? यदि हां, तो कितना-कितना धन प्रत्येक व्यक्ति से लिया गया और प्रदेश भर से कुल कितना धन पुलिस विभाग ने एकत्र किया ? क्या टाइयां उक्त अधिकारियों को प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या टाई हेतु लिया गया धन वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1977 में 15 अगस्त के अवसर पर सभी उप निरीक्षक तथा उससे ऊपर के अधिकारी को टाई धारण करने का कोई आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया था ।

स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस हेतु एक टाई अभिसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में डिजाइन की गयी थी जिसका मूल्य रु० 70/- प्रति टाई निर्धारित किया गया था । इस टाई को धारण करना अनिवार्य न होकर ऐच्छिक तथा तदनुसार इच्छुक कर्मचारियों की संख्या के अनुसार कुल 3167 टाई की मांग के साथ कुल रु० 2,21,690/- धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अभिसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजकर, टाई प्राप्त की गयी थी, जिन्हें सम्बन्धित अधिकारियों को उनके मांग के अनुसार वितरित करने हेतु भेज दी गयी थी ।

लखनऊ नगर के निवासियों के वर्ष 1997 के शस्त्र लाइसेन्स हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

134–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के निवासियों के शस्त्र लाइसेन्स हेतु कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं जिनकी वर्ष 1997 में सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं ? उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक लाइसेन्स न प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं ? उन्हें कब तक लाइसेन्स प्रदान कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

आवेदन पत्र जिनको वर्ष 1997 में सभी औपचारिकतायें पूर्ण थी, में से वर्तमान में 1226 शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र निस्तारण हेतु लम्बित हैं ।

अवशेष प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस से अध्यावधिक आख्या प्राप्त न होने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका । जनपदों में लम्बित लाइसेन्स के समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के आदेश समस्त जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये हैं ।

जनपद बस्ती के ग्राम बढ़हा जो सोनला थाने से निकालकर रुधौली थाने में सम्मिलित किये जाने विषयक पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

135-श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में ग्राम बढ़हा जो सोनला थाने से निकालकर रुधौली थाने में सम्मिलित करने हेतु अक्टूबर, 1999 में प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी, हां ।

अपेक्षित अधिसूचना दिनांक 22-11-1999 को जारी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1999 में खोले गये धान क्रय केन्द्र तथा खरीदे गये धान से हुए लाभ की जानकारी

136–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1999 में कितने धान क्रय केन्द्र कहां-कहां चलाये गये तथा कितना धान खरीदा गया ? उससे सरकार को कितना लाभ हुआ ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

खरीफ विपणन वर्ष 1999-2000 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु शाहजहांपुर में निम्नलिखित स्थानों पर 18 धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं :–

क्रय केन्द्र का नाम	संख्या
1–रोजा मण्डी	2
2–पुवायां	2
3–जमका	1
4–मोजमपुर	1
5–जमनिया दौलतपुर	1
6–चांदपुर (ददरौल)	1
7–पहरा सलेमपुर	1
8–नरायनपुर जठिया	1
9–निबऊ नगला	1
10–श्रीनगर	1
11–मंगसरा (देवरिया मोटइया)	1
12–पकड़िया हकीम	1
13–रनमस्तापुर	1
14–नरौरा हंसराय	1
15–बंडा	1
16–खुटार	1

इन क्रय केन्द्रों द्वारा 29-12-1999 तक कुल 1530 कुन्टल धान की खरीद की गयी है ।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से की जाती है । अतः सरकार को लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर में स्थापित पुलिस चौकियों की संख्या तथा रिपोर्टिंग का कार्य करने वाली पुलिस चौकियों की जानकारी

137-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितनी पुलिस चौकी हैं उसमें कितनी पुलिस चौकी रिपोर्टिंग का कार्य कर रही हैं ? क्या नयी पुलिस चौकी बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां-कहां प्रस्तावित है और वह कब तक खोल दी जायेंगी ?

श्री राम प्रकाश-

जनपद शाहजहांपुर में कुल 26 पुलिस चौकी हैं इनमें से वर्तमान में कोई पुलिस चौकी रिपोर्टिंग का कार्य नहीं कर रही हैं ।

जी हां ।

शाहजहांपुर में थाना बन्डा के अन्तर्गत ग्राम बलरामपुर अशोक में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है तथा थाना पुवायां के अन्तर्गत ग्राम मंगसरा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना प्रस्तावित है । प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होने पर मानकों के आधार पर परीक्षणोपरान्त विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

पुलिस चौकी की स्थापना की जटिल एवं लम्बी प्रक्रिया तथा वर्तमान में नये पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को देखते हुए समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

138-श्री राम नाथ-

।।ले मंगलवार में अता० प्र० सं०-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद मैनपुरी के परगना करहल में श्री लक्ष्मण प्रसाद वितरक मिट्टी तेल का उप महानिरीक्षक फूड सेल खाद्य एवं रसद विभाग को शिकायती पत्र, जांच परिणामों की जानकारी

139-श्री बाबू राम यादव-

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री प्रेमशंकर शर्मा के तत्कालीन परगनाधिकारी करहल, मैनपुरी के विरुद्ध अनियमित कार्य करने और उत्पीड़न किये जाने की शिकायत श्री लक्ष्मण प्रसाद वितरक मिट्टी तेल करहल द्वारा उप महानिरीक्षक फूड सेल खाद्य एवं रसद विभाग को दिनांक 2-1-1997 को की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ? जांचोपरान्त उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता-

जी हां, प्रकरण की जांच खाद्य प्रकोष्ठ खाद्य एवं रसद विभाग से कराई गई थी । जांच आख्या के आधार पर श्री प्रेमशंकर शर्मा, तत्कालीन परगनाधिकारी, करहल, मैनपुरी सम्प्रति डिप्टी कलेक्टर, कन्नौज से स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसके परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सन्त रविदास नगर में कोनियां धनतुलसी से इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर जनपदों तक चलने वाली बन्द की गयी बसों को पुनः चालू करने की मांग

140 श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर अन्तर्गत कोनियां धनतुलसी से इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर जनपदों तक चलने वाली बसें बन्द

हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई तथा छात्रों का पठन-पाठन कार्य बाधित हो रहा है ? क्या सरकार द्वारा उन बसों का पुनः संचालन कराने हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

धनतुलसी से इलाहाबाद, वाराणसी तथा जौनपुर जनपदों के लिए परिवहन निगम की पूर्व में संचालित एक-एक बस सेवा को कम आय प्राप्त होने के कारण बन्द कर दिया गया है। धनतुलसी से जंगीगंज तक का 20 कि०मी० मार्गांश अराष्ट्रीयकृत कर दिया गया है। क्षेत्रीय जनता तथा छात्र निजी बसों व जीपों से आकर इलाहाबाद, वाराणसी तथा जौनपुर के लिये परिवहन निगम की बस सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

अराष्ट्रीयकृत/कम आय प्राप्त होने वाले मार्गों पर निगम की बसों को पुनः संचालित किये जाने की योजना नहीं है।

जनपद लखनऊ में सुल्तानगंज पुलिस चौकी के पास हुई जीप दुर्घटना की रिपोर्ट थाने में लिखी न जाने के कारण तथा उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

141–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ में सुल्तानगंज पुलिस चौकी के पास जीप सं०–यू०पी० 32–3736 से दिनांक 8-1-1999 को कोई दुर्घटना हुई है ? क्या उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के निर्देश पर थाना हजरतगंज, लखनऊ में दिनांक 3-7-99 को मु०अ०सं०–578/99, धारा–279/338/427/आई०पी०सी० के अन्तर्गत अंकित की गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध करने के बावजूद उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटना की तिथि को अंकित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय के निर्देश से दर्ज अभियोग की विवेचना करते हुए अभियुक्त उमा शंकर मिश्र निवासी 1/163 विनय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं विवेचना करते हुए दिनांक 17-12-99 को आरोप-पत्र सं० 533/99 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जी नहीं। पीड़ित व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु थाने पर आया ही नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में वर्ष 1997 से मई, 1999 तक निर्गत शस्त्र लाइसेन्स में से अपराधियों को लाइसेन्स देने के कारणों की जानकारी

142–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 1997, 1998 तथा जनवरी, 1999 से मई, 1999 तक कितने व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि उनमें

से कुछ लाइसेन्सधारी ऐसे व्यक्ति हैं जिन् पर आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं ? यदि हां, तो शस्त्र लाइसेन्स जारी किये जाने का आधार क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद सीतापुर में वर्ष 1997 में 964 व्यक्तियों को वर्ष 1998 में 923 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये तथा जनवरी, 1999 से मई, 1999 तक 1328 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं।

जी नहीं। समस्त स्वीकृत किये गये शस्त्र लाइसेन्स पुलिस आख्या के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं जिनमें लाइसेन्सधारियों का कोई अपराधिक इतिहास नहीं होना दर्शाया गया है।

143–श्री राम औतार शाक्य–

[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं०–18] के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर में पंजीकृत अपराध संख्या 109/1988 न्यायालय में परीक्षण हेतु लम्बित होने के कारणों तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

144–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में पंजीकृत अपराध संख्या–109/1988 में न्यायालय में प्रेषित आरोप में किन-किन अभियुक्तों के विरुद्ध किस धारा, न्यायालय में परीक्षण संख्या में परीक्षण लम्बित है ? क्या यह सच है कि अभियुक्तों ने बचने के लिये उक्त केस की केस डायरी व आरोप-पत्र के कुछ दस्तावेज पत्रावली से गायब कर दिये हैं और इसलिये परीक्षण में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो इसका दोषी कौन है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम प्रकाश–

थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में पंजीकृत अपराध सं०–109/88 में अभियुक्त शिवराज उर्फ पी टी आई उर्फ खलीफा, नरेश, रवीन्द्र प्रकाश उर्फ निस्कू, कश्मीरा नन्द, रघुनाथ सिंह, धनपाल सिंह व कोतवाल के विरुद्ध धारा 406/364/302/201 भा० द० वि० थाना तिलहर में आरोप-पत्र न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर में प्रेषित है जो साक्ष्य स्तर पर है तथा उसका न्यायालय परीक्षण संख्या–600/92 है। केस सं०–2389/89 धारा 406/364/302/201 भा० द० वि० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर में कमिट हेतु लगा है। जिसकी पेशी की तिथि 18-2-2000 है। कमिट के बाद सत्र परीक्षण न्यायालय में होगा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार को वर्ष 1997 व 1998 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पुलिस उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतें एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी

145–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार को वर्ष 1997 व 1998 में केन्द्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस उत्पीड़न की कितने मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई ? उन मामलों में कितने पुलिस कर्मी/अधिकारी दोषी पाये गये ? उनमें कौन-कौन पी० पी० एस०/आई० पी०एस० कैडर के अधिकारी हैं

श्री राम प्रकाश–

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से वर्ष 1997 में 1507 तथा वर्ष 1998 में 2791 पुलिस उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त हुईं।

उक्त मामलों में 20 पुलिस कर्मी/अधिकारी दोषी पाये गये हैं।

उक्त में पी० पी० एस० कैडर के दो अधिकारी क्रमशः श्री जी० एन० गोस्वामी तथा श्री अजय शंकर राय हैं।

पुलिस लाइन सीतापुर की पुरानी बैरक की कीमती लकड़ी गायब होने की शिकायत तथा जांच आख्या की जानकारी

146–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस लाइन सीतापुर की पुरानी बैरकों में से एक बैरक के पिछले हिस्से के खपरैल उतार कर कीमती लकड़ी गत दो वर्षों में गायब कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

यह कथन असत्य है कि पुलिस लाइन सीतापुर के एक पुरानी बैरक की कीमती लकड़ी गायब कर दी गयी है। वास्तविकता यह है कि पुलिस लॉइन सीतापुर स्थित एक बहुत पुरानी बैरक की खपरैल टूटकर गिर गयी थी, इसका समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से 7 अदद लकड़ी की कड़ियों से पुलिस लाइन स्थित आटा चक्की की टीन सेड डलवाई गयी, बीस अदद बल्लियों से सम्मेलन कक्ष की मेजें बनवाई गयीं, दो अदद बल्लियों का प्रयोग जनरेटर रूम की छत बनवाने में तथा 8 अदद बल्लियों का उपयोग गोपनीय कार्यालय तथा गार्ड रूम के कर्मचारियों हेतु मूत्रालय बनवाने में किया गया है, जिसकी इन्ट्री लाइन के स्टाक बुक में है। समस्त कार्य लाइन के बढ़ई द्वारा सम्पादित किया गया है। इस प्रकार राजकीय सम्पत्ति को राजकीय कार्य हेतु प्रयुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की आबादी तीन लाख से अधिक होने के कारण सीतापुर देहात में नई कोतवाली स्थापित करने की मांग

147–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–सीतापुर शहर की आबादी तीन लाख से अधिक है और मात्र एक कोतवाली है जिससे पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाइयां होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सीतापुर देहात में नई कोतवाली का सृजन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सीतापुर की आबादी लगभग तीन लाख है और नगर क्षेत्र में एक कोतवाली स्थापित है। कोतवाली का कार्य क्षेत्र अधिक होने के कारण कानून व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाई हो रही है।

सीतापुर देहात में कोतवाली की स्थापना प्रस्तावित है। प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से अपेक्षित है, जिसके प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त मानक के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

कोतवाली स्थापना की जटिल एवं लम्बी प्रक्रिया तथा वर्तमान में पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को देखते हुए समय सीमा निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिविल पुलिस की विभिन्न शाखाओं में से अभिसूचना शाखा के सब-इन्सपेक्टर/इन्सपेक्टर के स्थानान्तरण में समान प्रक्रिया अपनाये जाने का मामला

148--श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सिविल पुलिस की विभिन्न शाखाओं में से अभिसूचना शाखा के सब-इन्सपेक्टर/इन्सपेक्टर को स्थानान्तरित करने की अन्य शाखाओं के समान प्रक्रिया नहीं है ? क्या यह सही है कि एक ही विभाग के कुछ सब-इन्सपेक्टर/इन्सपेक्टर पूरी सर्विस नागरिक पुलिस में ही बने रहते हैं जबकि कुछ को पूरी सर्विस अभिसूचना विभाग में रखा जाता है ? यदि हां, तो इस विसंगति का कारण क्या है ? क्या सरकार अभिसूचना विभाग में उक्त कर्मियों को अपनी दक्षता दिखाने के लिये सिविल पुलिस में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

अभिसूचना विभाग पुलिस विभाग की इकाई है। पुलिस विभाग द्वारा भर्ती किये गये कर्मियों में से ही अभिसूचना में कार्यकारी दल के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। शासनादेश संख्या–3288/आठ–111/आठ–195-50 दिनांक 6-1-1956 के अनुसार अभिसूचना विभाग से इन अराजपत्रित कर्मियों को सामान्यतः तब तक पुलिस की अन्य शाखाओं में वापस नहीं किया जाता है जब तक वे अभिसूचना विभाग के लिए अनुपयोगी न हों।

जनपद सीतापुर में वर्ष 1997—99 में हुई हत्यायें, बलात्कार, डकैती तथा राहजनी आदि का ब्यौरा तथा दोषीजनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

149–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 1997-98 व वर्ष 1998-99 में कितनी हत्यायें, बलात्कार, डकैती तथा राहजनी की घटनायें हुई हैं ? उनका ब्यौरा क्या है ? कितने पुलिस द्वारा इनकाउन्टर किये गये, उनके नाम व पते क्या हैं ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद सीतापुर में वर्ष 1997-98 में हत्यायें, बलात्कार, डकैती था राहजनी की कुल 288 तथा वर्ष 1998-99 में उक्त प्रकार की कुल 376 घटनायें हुई हैं।

वर्ष 1997-98 में हत्यायें–167, बलात्कार–48, डकैती–12 तथा राहजनी की 61 एवं वर्ष 1998-99 में हत्यायें–178, बलात्कार–57, डकैती–26 एवं राहजनी की 115 घटनायें हुई हैं।

उक्त अवधि में पुलिस द्वारा 11 अपराधियों के इनकाउंटर किये गये। सूची संलग्न है।

कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166 पर)

जनपद फतेहपुर में प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के क्लीनर सहायक इश्तियाक अली के सेवानिवृत्ति के उपरान्त देयकों के भुगतान करने की मांग

150--श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी हैं कि इश्तियाक अली, क्लीनर सहायक प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम फतेहपुर से 30 जून, 1992 को सेवानिवृत्त हुये थे ? क्या उनके देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके सारे देयकों का भुगतान तत्काल किये जाने हेतु आदेश देगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत के बस स्टैण्ड को विकसित करने हेतु पेयजल एवं शौचालय की सुविधा कराने की मांग

151–श्री गज़ेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के बस स्टैण्ड को विकसित करने की कोई योजना सरकार में विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि वहां पर यात्रियों की सुविधा हेतु पेयजल, शौचालय की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो कब तक बस स्टैण्ड पर उक्त व्यवस्था कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

पेयजल की सुविधा उपलब्ध है । शौचालय के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है ।

जनपद बागपत में वर्ष 1997—99 में बलात्कार, राहजनी, हत्या, चोरी की दर्ज घटनाएं तथा उन पर की गयी कार्यवाही

152–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में वर्ष 1997-98, 1998-99 में बलात्कार, राहजनी, हत्या, चोरी की कितनी घटनायें दर्ज की गई हैं ? उनमें कितने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वांछित सूचना निम्नवत् है :---

	1997-98		1998-99	
	दर्ज अपराध	अपराधियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी	दर्ज अपराध	अपराधियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी
बलात्कार	16	17	16	23
राहजनी	51	95	73	144
हत्या	112	316	112	285
चोरी	156	92	165	168

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, थाना कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या–196/99 धारा 306, 498 ए, 302 की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० पुलिस अधीक्षक, महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा किया जाना

153—श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या–196/99 गाटा संख्या 306, 498 ए, 302 आई०पी०सी०, थाना कोतवाली नगर बांदा, जनपद बांदा, की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा किस स्तर के अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ? क्या सरकार उक्त केस में अभियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक के स्तर का होने के कारण विवेचना उससे अधिक स्तर के अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

अपराध संख्या–196/99 धारा 306, 498ए, 302 भा० दं० वि० थाना कोतवाली, नगर बांदा की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० के पुलिस उपाधीक्षक, महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा पुलिस रेगुलेशन में आरोपी पुलिस अधिकारी से उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा ही विवेचना कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

154—श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री एन०राय ने दिनांक 14-6-99 को जनता दर्शन में उन्हें अपराध संख्या–196/99 धारा 306, 498 ए, 302 आई०पी०सी०, थाना कोतवाली बांदा, जनपद बांदा में पंजीकृत मुकदमा की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने के संबंध मे पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना सी० बी० आई० से कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपनी सहमति का पत्र भेजते हुए भारत सरकार से दिनांक 28-8-1999 को अनुरोध किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी, थाना कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 196/99 में नामित/वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने का मामला

155—श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अपराध संख्या 196/99, थाना कोतवाली नगर बांदा, जनपद मैनपुरी में किस धारा के अन्तर्गत और किसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ और बाद में किन धाराओं में तरमीम किया गया ? उसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् किस-किस विवेचक द्वारा विवेचना की गई और क्या अभी तक नामित/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

मु० अ० सं०–196/99 थाना कोतवाली नगर, जनपद मैनपुरी में दिनांक 14-3-99 को वादी श्री सोवरन सिंह, माल अधीक्षक, उत्तर रेलवे द्वारा अन्तर्गत धारा 457/380 भा० दं० वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। जो बाद में अन्य किसी धारा में तरमीम नहीं किया गया।

उक्त मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् विवेचना उ० नि० श्री एस० पी० सिंह द्वारा की गयी। उन्होंने विवेचना दिनांक 24-3-99 तक की और वाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट सं०–29 दिनांक 24-3-99 को प्रेषित की। इस अभियोग में कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि न तो कोई अभियुक्त नामित था, और न ही कोई प्रकाश में आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

• जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां के ग्राम नेरी में बन्द शीतगृह को पुनः चालू किये जाने की मांग

156—श्री रमेश राही–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसांवा के ग्राम नेरी में शीतगृह का निर्माण कई वर्षों पूर्व कराया गया था ? क्या दो वर्ष शीतगृह चलने के उपरान्त लगभग दस वर्षों से अधिक समय से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी शीतगृह पुनः चालू किये जाने के आदेश निर्गत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

जी हां।

संचालन अनार्थिक होने के कारण।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० मंत्रिपरिषद् की आर्थिक विकास उप समिति द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 18-5-99 में इस शीतगृह के विक्रय की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

• जनपद भदोही सन्त रविदास नगर के उप निबन्धक कार्यालय में की जा रही धांधली की जांच कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

157—डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही संत रविदास नगर के उप निबन्धक कार्यालय में की जा रही धांधली की जांच कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–278034, दिनांक 4-9-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त धांधली की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि एक ही बैनामे की नकल नं० 224/1990 तथा नकल नं० 320/97 से हेरा-फेरी की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त बैनामे के दस्तावेज में हेरा-फेरी करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं, लेकिन इसी प्रकरण से सम्बन्धित श्री लालजी उपाध्याय शिकायतकर्ता का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

158—श्री सीताराम निषाद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मथुरा में श्रीमती गौरदासी शिष्या श्री सुफलदास, माली मोहल्ला राधा कृष्ण के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने विषयक शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही

159—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती गौरदासी शिष्या श्री सुफलदास, माली मोहल्ला राधाकृष्ण, जनपद मथुरा के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–1/26228/मथुरा/99, दिनांक 12-8-99 पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ?–यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त कबीर नगर जिले में संजय पेपर मिल, बरना पेपर मिल के गन्दे जल को आमी नदी में जाने से रोकने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

160—श्री राम ललित चौधरी–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर जिले में संजय पेपर मिल, बरना पेपर मिल के गन्दे जल को आमी नदी में जाने सें रोकने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र माह अक्टूबर, 1999 के अंतिम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

161—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये उत्पीड़न के संबंध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

162—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र संख्या क–2 नं० 241320, दिनांक 16-10-99 जो दिनांक 3-10-99 को जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये उत्पीड़न

के संबंध में था, फैक्स द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

163–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस के विरुद्ध जांच विषयक पत्र तथा कृत कार्यवाही

164–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या क-2 नं० 2411326, दिनांक 19-10-99 जो प्रतापगढ़ के पुलिस के विरुद्ध जांच विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कुशीनगर के ग्राम नेबुआ रायगंज में जनहित को देखते हुए सहकारी बैंक स्थापित करने का मामला

165–श्री दीपलाल भारती–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना बाहुल्य क्षेत्र ग्राम नेबुआ रायगंज (कुशीनगर) में जहां कोई बैंक नहीं है, क्या जनहित में सहकारी बैंक स्थापित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया जिसके क्षेत्र में ग्राम नेबुआ रायगंज स्थित है, में पूर्व से ही दो शाखायें कोटवा एवं पिपरा कार्य कर रही हैं ।

जनपद मैनपुरी में शिवराज सिंह उर्फ खलीफा, पुत्र बाबू सिंह, निवासी गढ़िया किसनपुर, थाना बेवर के अपराध में ट्रायल जेल में निरुद्ध रहने की अवधि कम किये जाने के संबंध में कारणों की जानकारी/दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

166–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवराज सिंह उर्फ खलीफा पुत्र बाबू सिंह, निवासी गढ़िया किसनपुर, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी की उक्त अपराध में दौरान ट्रायल जेल में निरुद्ध रहने की अवधि 5 वर्ष 6 माह 10 दिन की बजाय सी०आई०डी० की जांच आख्या में बहुत कम पाई गई ? यदि हां, तो कितनी और इस संबंध में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

निरुद्ध रहने की अवधि कुल 26 दिवस पायी गयी ।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की आख्या प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है । परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

167—श्री राम औतार शाक्य–

[नियम 26 के अन्तर्गत निरस्त ।

जनपद लखनऊ में स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ० प्र० के पूर्व सचिव श्री एस० एन० अवस्थी के विरुद्ध लगे आरोप की जांच व उसके परिणाम

168—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी उ०प्र० लखनऊ के पूर्व सचिव श्री एस०एन० अवस्थी के विरुद्ध शासनादेश संख्या 38(1)/पांच–6–98–डब्लू–7/94, टी०सी० के द्वारा जारी आदेश हुसैनगंज थाना लखनऊ में दर्ज करने हेतु किस दिनांक को पहुंचा एवं किस तिथि को उनके विरुद्ध अपराध सं० 85/98 दर्ज कर श्री अवस्थी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत शासनादेश संख्या–3800/पांच-6-98-डब्लू–7/84 टीसी, दिनांक 20-3-98 को थाना हुसैनगंज पर प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त दिनांक 1-4-98 को मु० अ० सं० 85/98 धारा 467/471/477क/420 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया । इस अभियोग की विवेचना विशेष जांच प्रकोष्ठ द्वारा की गयी और विवेचनोपरान्त प्रतिवादी डा० एस० एन० अवस्थी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न होने पर दिनांक 24-6-98 को अन्तिम रिपोर्ट सं० 23 प्रेषित की गयी । अन्तिम रिपोर्ट रोककर पुनः इस अभियोग की विवेचना दूसरे विवेचनाधिकारी से करायी गयी एवं डा० एस० एन० अवस्थी का कार्य अपराध की श्रेणी में न आने के कारण दिनांक 19-2-99 को अन्तिम रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए विवेचना समाप्त की गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला नैनीताल में क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पेंशन भुगतान का प्रकरण

169—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, नैनीताल के पत्र संख्या 5756/के० आर०/8/26/98, दिनांक 10-2-99 द्वारा कोई पेंशन प्रकरण, निदेशक, पेंशन निदेशालय को भेजा गया था ? क्या यह सही है कि पेंशन निदेशालय द्वारा उक्त प्रकरण पर लगाई गई आपत्ति का निराकरण क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० रा०स०प०नि० नैनीताल के पत्र संख्या 7435/ के०आर०/8/26/98, दिनांक 9-7-99 द्वारा पंजीकृत डाक से निदेशक, पेंशन को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या संबंधित व्यक्ति को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक की भांति निरीक्षक/उप निरीक्षक को मण्डल या गृह जनपद से मिली सीमा पर तैनात किये जाने की मांग

170—श्री मूलचन्द –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक अपने जनपद सीमा के मिले हुये जनपद में रह सकते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पुलिस विभाग के उप निरीक्षक तथा निरीक्षकों की मण्डल या अपने जनपद से मिली सीमा पर तैनात करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

शासनादेश संख्या–5001/आठ–1-86दिनांक 11-7-86 में निहित निदेशानुसार निरीक्षक/उपनिरीक्षक को उनके गृह परिक्षेत्र तथा गृह जनपद के सीमावर्ती जिले में तैनाती पर प्रतिबन्ध है तथापि पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या–डी०जी०-चार-106(317)/79, दिनांक 7-6-93 में निहित निर्देशानुसार जिन अराजपत्रित कर्मियों का सेवाकाल 2 वर्ष से कम है और उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं हैं, को गृह जनपद को छोड़कर सीमावर्ती या उसकी इच्छानुसार किसी जनपद में पेंशनरी लाभ के उद्देश्य से समायोजित करने की व्यवस्था दी गयी है । सम्प्रति कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली के सिपाही श्री राजकुमार सिंह एवं श्री हरिनाम यादव द्वारा अकारण श्री अजय कुमार त्रिपाठी को मारने की शिकायत तथा जांच आख्या की मांग

171—श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली के इंचार्ज के साथ जा रहे सिपाही श्री राजकुमार सिंह एवं श्री हरिनाम यादव ने दिनांक 17-10-99 को दिन के डेढ़ बजे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता और समाज सेवी व्यवसायी प्रेमकान्त त्रिपाठी के पुत्र श्री अजय कुमार त्रिपाठी को अकारण राइफल के बट एवं लाठियों से पीटा जिसकी शिकायत अजय कुमार त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर एवं डी०आई०जी० पुलिस फैजाबाद को की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मुख्य मंत्री जी मामले की जांच राज्य मुख्यालय के किसी अधिकारी को भेजकर करवा कर दोषी लोगों को दण्डित करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

सी० ओ० नगर से जांच कराई गई एवं जांचोपरान्त दोषी कर्मियों को सजा दी जा चुकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ की कोतवाली देवगांव में श्री त्रिवेणी चौहान का अपहरण तथा हत्या के मामले में की गयी लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

172—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की कोतवाली देवगांव में श्री त्रिवेणी चौहान (सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी—परसौरा) की हत्या दिनांक 8-10-99 को अपहरण के बाद कर दी गई ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि देवगांव कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कर्मचारियों/अधिकारियों को श्री त्रिवेणी चौहान के सगे भाई द्वारा अपहरण के तत्काल बाद दिनांक 8-10-99 को ही रात्रि में थाने में आकर सूचित करने के बावजूद पुलिस की उदासीनता के कारण श्री त्रिवेणी चौहान की हत्या हुई तथा मुल्जिम भागने में सफल हो गये ? क्या सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां ।

दिनांक 8-10-99 को थाने पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी । कर्तव्य के प्रति लापरवाही/शिथिलता बरतने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति जांचकर्ता/अधिकारी द्वारा की गयी ।

जी हां ।

उक्त घटना की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने के आदेश दिनांक 10-12-99 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोटद्वार में स्व० विष्णु सिंह रावत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी गाड़ीघाट, विकास नगर की पत्नी श्रीमती अलोपी देवी की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राज्य पारिवारिक पेंशन स्वीकृति का मामला

173—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री को जानकारी है कि स्व० विष्णु सिंह रावत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी गाड़ीघाट, विकास नगर कोटद्वार की पत्नी श्रीमती अलोपी देवी की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राज्य पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने पत्रांक 98-99-20 (57)-1-1226, दिनांक 26-3-99 को उप सचिव गृह (सामान्य) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ को पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)—

जी हां ।

श्री विष्णु सिंह रावत की सजायाबी से सम्बन्धित तत्कालीन जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा दिये गये जेल यात्रा प्रमाण-पत्र दिनांक 9-8-1973 को अभिलेखों के आधार पर पुष्टि हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल की आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद मण्डल के राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित न किया जाना

174—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद मण्डल के राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिया गया है ? यह मार्ग कौन-कौन हैं और उन पर स्थायी परमिट जारी करने की कार्यवाही कब से शुरू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य परिवहन निगम पर यात्री कर की वर्षों से बकाया धनराशि

175—श्री संजय गर्ग–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवहन निगम पर यात्री कर की कितनी धनराशि कितने वर्षों से बकाया है ? प्रदेश की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुये सरकार की उक्त यात्री-कर को वसूल करने की क्या योजना है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

राज्य परिवहन निगम पर वित्तीय वर्ष 1991-92 से अक्टूबर, 1999 तक कुल 198.73 करोड़ रुपये यात्री कर बकाया है ।

राज्य परिवहन निगम पर बकाया यात्री कर वसूल करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जिस माह में निगम द्वारा, उस माह में देय यात्री कर की पूर्ण धनराशि को जमा कर दिया जायेगा, उस माह में जमा कर के 30 प्रतिशत के बराबर धनराशि निगम के बकाया में से कम कर उसे ब्याज रहित ऋण/अंश पूंजी में बदल दिया जायेगा । जुलाई, 1999 से परिवहन निगम द्वारा वसूल किया जा रहा अतिरिक्त कर यात्री कर पूर्णरूप से जमा किया जा रहा है ।

176—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[1ले मंगलवार में अता०प्र० सं०– 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थित 'विधि परामर्शी' पुस्तकालय को विधि पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु निर्गत धनराशि की जानकारी

177—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थित 'विधि परामर्शी' पुस्तकालय को विधि पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु प्रतिवर्ष कितनी रुपये की धनराशि का अनुदान दिया जाता है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां, परन्तु प्रतिवर्ष "विधि परामर्शी पुस्तकालय" को विधि पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु किसी निश्चित धनराशि का अनुदान नहीं दिया जाता है ।

चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कार्यालय व्यय की मद में रु० 2.25 लाख (रुपये दो लाख पच्चीस हजार) की स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें से ही विधि पुस्तकें क्रय की जाती हैं ।

जिला लोकदल, फतेहपुर द्वारा जिला कचेहरी में कतिपय मांगों को लेकर धरना/प्रदर्शन तथा कार्यवाही की मांग

178—श्री समर पाल सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला लोकदल फतेहपुर द्वारा जिला कचेहरी फतेहपुर में दिनांक 1-2-99 से 4-2-99 तक धरना एवं प्रदर्शन किन मांगों को लेकर हुआ था तथा उन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मांगे कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

श्री राम प्रकाश–

जिला लोकदल, फतेहपुर द्वारा जिला कचेहरी, फतेहपुर में दिनांक 1-2-99 से 4-2-99 तक 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना/प्रदर्शन किया गया था जिन पर नियमानुसार कार्यवाही जिला स्तर से की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रांक ४४2/वी०आई०पी०/रा०मं०ग्रा०वि०, दिनांक 18-४-९४ श्री गंगेश्वर सिंह, सेवा निवृत्त शैडो की प्रोन्नति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

179—श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास का पत्रांक ४४2/वी०आई०पी०/रा०मं०ग्रा०वि०, दिनांक 18-४-९४ जो श्री गंगेश्वर सिंह, सेवा-निवृत्त शैडो की प्रोन्नति के संबंध में है, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही करा दी जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रदेश में भोजपुरी फिल्मों समेत क्षेत्रीय भाषा-भाषी फिल्मों के विकास हेतु वर्ष 1999 में बनी फिल्मी नीति

180—श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भोजपुरी फिल्मों समेत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा-भाषी फिल्मों के विकास के लिए वर्ष में दो सप्ताह प्रत्येक सिनेमाघरों में प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा-भाषी फिल्मों का लगाया जाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा-भाषी फिल्मों के विकास के लिये वर्ष में दो सप्ताह प्रत्येक सिनेमाघरों में इन फिल्मों का प्रदर्शन अनिवार्य किये जाने हेतु फिल्म नीति 1999 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है । इस संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियों में आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है इसका जवाब दिला दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 03 जनवरी, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं :—

श्री दीपलाल भारती, श्री रामजग, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री भारत सिंह रावत, श्री राम औतार शाक्य, श्री जगदीश नारायण राय के नाम पुकारे गये वे लोग उपस्थित थे।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित 6 सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं तथा श्री राम औतार शाक्य ने अपनी सूचना पढ़ी)

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–340 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीपलाल भारती–

[मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र नेपाल बिहार सीमा पर बड़ी गण्डक नदी के किनारे स्थित है। जहां आज तक कोई डिग्री कालेज न होने से किसानों–गरीबों के बच्चे महाराजगंज या गोरखपुर अथवा पडरौना में स्थित डिग्री कालेजों में पढ़ने नहीं जा सकते क्योंकि मेरे क्षेत्र के खड्डा नौरंगिया से 40 से 100 कि०मी० दूर जाना पड़ेगा। इस प्रकार मेरे क्षेत्र के बालक/बालिका इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी० ए०, एम० ए० नहीं कर पाते, उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह क्षेत्र दलित बाहुल्य भी है।

स्थानीय जनता की मांग वर्षों से है कि जनपद कुशीनगर में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नौरंगिया के विकास खण्ड खड्डा या नेबुआ नौरंगिया के ग्राम नेबुआ रायगंज में एक डिग्री कालेज खोलने हेतु उक्त सरकार स्वीकृत करके यथाशीघ्र धन आवंटित करके डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

अस्तु यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक डिग्री कालेज खोलने की समस्त औपचारिकतायें पूरी कराकर बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा मुहैया करावें।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्र में परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में नियम–340 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम जग–

[मान्यवर, मेंहनगर (जनपद आजमगढ़) में तथा पूरे क्षेत्र में परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से नहीं चलती हैं। जिससे जनता में भारी असन्तोष है। मेंहनगर में रोडवेज भवन है, मेंहनगर तहसील मुख्यालय है। क्षेत्र मेंहनगर, जयनगर, खरिहानी, तरवा, बौगरिया, एराकला, पट्टूपुर, ऊवहुआ, पन्दहा से विगत दिनों, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, कानपुर आदि शहरों तक बसें चलती रही हैं, परन्तु जिला मुख्यालय की मनमानी के कारण बसें धीरे-धीरे बन्द होती गयीं। जिसका परिणाम है कि सैकड़ों प्राइवेट बसें, जीपें मेंहनगर कस्बे से इधर-उधर चलती हैं जहां जनता से ज्यादा भाड़ा वसूला जाता है। जनहित में बन्द सभी बसों को चलाया जाना अति आवश्यक है। बसें न चलने से क्षेत्र की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। सभी बन्द बसें अविलम्ब चलायी जाय।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन में हम उठाना चाहते हैं।]

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[माननीय, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कृषकों के सामने सिंचाई के संबंध में विकट समस्या उत्पन्न है जैसे रजबहा सोनद्वार लगभग 23 कि०मी० है, शुक्लापुर भगतपुर माइनर की लम्बाई 4.80 कि०मी० है पहुंतेरा से अटवाअली मर्दानपुर 8.40 कि०मी० कुरसठ से परौली माइनर 4 कि०मी० है बरहस माइनर से अटवा अली मर्दानपुर 5.60 कि०मी० है गौतरा माइनर शहब्दा से 5 कि०मी० फिरोजपुर माइनर सथरा तक 11.20 कि०मी० है रजबहा बांसा काजीपुर से कन्थरी तक 11.40 कि०मी० है, पुरबांवा माइनर देवनपुर से पुरवांवा तक 3.90 कि०मी० है नसीरपुर माइनर सराय सुल्तानपुर से गंजलालाबाद 4 कि०मी० बेल्थरा माइनर बेल्थरा से 2.60 कि०मी० है सुल्तानपुर माइनर सुल्तानपुर कोट से सुल्तानपुर तक 5.33 कि०मी० है बिलग्राम रजबहा 28 कि०मी० हथोड़ा तक है। मोना माइनर एवं सदरपुर माइनर उक्त रजबहों व माइनरों की सफाई पूरी लम्बाई के आधार पर सम्पूर्ण लम्बाई की खुदाई व सफाई न करने के कारण टेलों तक पानी नहीं पहुंच पाता है जिससे इन माइनरों व रजबहों के अन्तर्गत आने वाले गांवों के कृषकों को सिंचाई व पलेवा हेतु पानी नहीं प्राप्त हो पाता है इन ग्रामों में सिंचाई न होने के बाद भी कृषकों पर नाजायज सिंचाई लगा दी जाती है।

पूरी लम्बाई की खुदाई व सफाई कराने पर टेल तक पानी पहुंच सकता है परन्तु पूरे रजबहों व माइनरों की सफाई व खुदाई न कराकर कहीं 5 कि०मी०, किसी में 2 कि०मी०, किसी में एक कि०मी०, किसी में 9 कि०मी० ही सफाई करा दी जाती है जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है जब पानी टेल तक नहीं पहुंचता है तो सिंचाई कैसे होती है फिर भी इस क्षेत्र में पड़ने वाले रकबे पर सिंचाई लगा दी जाती है जिससे कृषकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

हमारे क्षेत्र में तमाम स्टेट ट्यूबवेल लगे हैं जिन्हें ग्राम पंचायत के अधीन कर दिया गया है जिससे जनता को महान कष्ट हो रहा है समय से ट्यूबवेल नहीं चलाये जा रहे हैं। ट्यूबवेल खराब होने पर तत्काल ठीक नहीं हो पाता है हमारे जनपद हरदोई का ट्यूबवेल कार्यालय भी उन्नाव जनपद को स्थानान्तरित कर दिया गया है जिससे ट्यूबवेल खराब होने पर उन्नाव के अधिकारियों के पास दौड़ लगाना पड़ता है इतनी अधिक दूरी होने के कारण किसानों के समय से ट्यूबवेल ठीक नहीं हो पाते हैं। हरदोई जनपद का कार्यालय हरदोई में ही कर दिया जाय हमारे क्षेत्र में काफी स्टेट ट्यूबवेल हैं उन्नाव काफी दूर पड़ता है।

इसी प्रकार शारदा नहर उन्नाव का काफी क्षेत्र हरदोई जनपद का है परन्तु शासन के आदेश के बाद भी अभी तक जनपद हरदोई में किसी अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति नहीं की गयी है जिससे सिंचाई के कार्यों के लिये हमारे क्षेत्र की जनता को उन्नाव दौड़ना पड़ता है इससे शासन तत्काल अधिशासी अभियन्ता को नियुक्त कर माधौगंज नहर कोठी पर कार्यालय संचालित करें जिससे सिंचाई की समस्यायें हल हो सकें।

माननीय, यह लोकमहत्व का जनहित का प्रश्न है इसलिए सदन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है। शासन कृषकों के हित में उचित निर्णय लेकर कृषकों को राहत पहुंचाने का कार्य करे।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 से प्रमुख सचिव के आदेश का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है श्री अमरनाथ गुप्ता उप निबन्धक द्वारा शासनादेश सं०–एस० आर०–1560/11-97-312(56)97 दिनांक शून्य जुलाई, 97 के विरुद्ध दिये गये पुनर्विचार प्रत्यावेदन दिनांक 8-12-97 को स्वीकार करते हुए महानिरीक्षक, निबन्धन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत श्री गुप्त को उप निबन्धक पद पर वर्ष 1982-83 की रिक्ति के विरुद्ध नियमित रूप से चयनित किया जाना, वरिष्ठता प्रदान किये जाने, दक्षता को पार किये जाने, सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के संबंध में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने के आदेश दिये गये थे किन्तु 10 माह का समय व्यतीत हो जाने एवं विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन के पत्र सं० क०स०वि०–5-218/11-98-312(56)97, दिनांक 20-3-99 व प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 के पत्र (शीर्ष प्राथमिकता/अर्द्ध० शा० पत्र सं०–क०नि०–5-4215/11-99, दिनांक 13-10-99 द्वारा अनुस्मारक भेजने के बाद भी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उस पर कोई कार्यवाही न करने से संवैधानिक व्यवस्था पंगु हो सकती है। साथ ही अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए अपने अधीनस्थों को उत्पीड़ित एवं मानसिक यातना दे रहे हैं। इस उत्पीड़न से श्री गुप्त की माली हालत खराब हो गयी है जिससे इनके द्वारा पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में कठिनाई आ रही है।

अतः अनुरोध है कि अत्यन्त लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में कार्यरत वन श्रमिकों को अल्प वेतन देने एवं गत 15 वर्षों से नियमित न किये जाने से उत्पन्न असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत–

[महोदय, गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल में 15–20 वर्षों से वन श्रमिक वृक्षारोपण भूमि संरक्षण आदि कार्यों में सेवारत हैं, उन्हें मात्र 1250 रुपये ही वेतन मिलता है, जो कि आज के महंगाई के समय में बहुत कम है और न्यायोचित भी नहीं है। ऐसा भी मेरे संज्ञान में आया है कि कुमायूं मण्डल में उसी कार्य के लिये वन श्रमिकों को अधिक वेतन मिलता है जबकि गढ़वाल मण्डल में उसी कार्य करने वाले नव श्रमिकों को कम वेतन मिलता है। यह समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण लोकहित के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर वन विभाग की न्यायोचित मांग को स्वीकार करने हेतु निर्देशित कर दें एवं वन श्रमिकों को नियमित करने हेतु विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।]

नोट :– [.] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपराधिक मुकदमों को सरकार द्वारा वापस लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

** श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, वर्तमान सरकार जातिवाद, वर्णवाद एवं साम्प्रदायिकता के आधार पर पक्षपात तरीके से कार्य कर रही है जिससे पूरे प्रदेश में कमजोर तबके के लोगों में खास तौर से पिछड़े, अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अल्प संख्यक वर्गों के लोगों में दहशत का वातावरण फैल गया है। भाजपा, आर० एस० एस०, बजरंगदल, शिवसेना, विश्व हिन्दू परिषद् आदि जैसे साम्प्रदायिक संगठनों के लोगों द्वारा किये गये/किये जा रहे हैं लोगों पर कायम आपराधिक मुकदमें सरकार द्वारा वापिस लिये जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मेरठ दंगे में जिसमें अल्पसंख्यकों की भारी सम्पत्ति लूट ली गयी थी और तमाम कत्लेआम कर दिया गया था उसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसे तमाम अभियुक्तों पर न्यायालय में आपराधिक मुकदमें चल रहे थे उन मुकदमों को वर्तमान सरकार ने अवैधानिक तरीके से वापिस करने का फैसला ले लिया और मुकदमें वापिस ले लिये जो जनतंत्र विरोधी कदम हैं। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में बड़े-बड़े अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और उनके विरुद्ध न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को वापिस करने की प्रक्रिया चल रही है, सरकार के इस कदम से प्रदेश की पूरी जनता आक्रोषित एवं आन्दोलित हैं। सम्यक् दृष्टि न होने से प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज न होकर जंगल का राज कायम हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मेरठ दंगे में अपराधियों के विरुद्ध पुनः मुकदमा चलाने तथा सरकार के मुकदमों को वापिस करने के फैसले को बदलने की मांग करता हूं।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर में निर्मित ग्रामीण स्टेडियम के अधूरे काम को पूरा कराने तथा स्टेडियम का रख-रखाव एवं सुरक्षा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर में शासन द्वारा प्रदत्त धन के आधार पर सन् 1993-94 में एक भव्य ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण हुआ है। आज उसका कुछ कार्य अधूरा पड़ा है। उस पर लाखों रुपया खर्चा हुआ है। उसका रख-रखाव नहीं हो रहा है। वहां अराजक तत्व अपना स्थाई अड्डा बना चुके हैं।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर माननीय युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि समस्त प्रकरण की उच्च स्तरीय समीक्षा कराकर अधूरा कार्य पूर्ण करने तथा स्टेडियम का रख-रखाव, सुरक्षा की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं हैं उसमें पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है।

** श्री राम औतार शाक्य, स० वि० स० ने अपनी सूचना सदन में पढ़ी।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान मण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न होने के कारण माननीय मुख्य मंत्री को नेता सदन के रूप में अभिज्ञात किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत विधान सभा का यह सत्र आहूत किया गया है । माननीय अध्यक्ष, विधान सभा भी संविधान के अनुच्छेद 178 के अन्तर्गत विधान सभा के द्वारा विधिवत् निर्वाचित हैं । माननीय नेता विरोधी दल भी उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, सन् 1980 की धारा 2(ज) के अन्तर्गत आपके द्वारा विधिवत् अभिज्ञात किये गये हैं । परन्तु इस आदरणीय सदन में नेता सदन के आसन पर अनियमित रूप से एक महानुभाव विराजमान हैं जो न तो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद् के सदस्य हैं । यह सदन संविधान के प्राविधानों और नियमावली के अन्तर्गत संचालित होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी जो नेता सदन के आसन पर आसीन हैं उनके संबंध में इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान या नियमावली के किन नियमों के अन्तर्गत उन्हें नेता सदन के रूप में अभिज्ञात किया गया है । मान्यवर, नियमावली के नियम 3(म) में सदन का तात्पर्य विधान सभा से है । कृपया नियमावली का नियम 24 भी देखने की कृपा करें । जिसमें इस बात का उल्लेख है कि–परन्तु अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेंगे ।

श्रीमन्, इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि एक ऐसे महानुभाव जो इस सम्मानित सदन के सदस्य नहीं हैं, वह नेता सदन कैसे हो सकते हैं । और जहां आपने नेता विपक्ष को अभिज्ञात किया है नेता सदन अभिज्ञात नहीं किये गये हैं। मैं विधान सभा की दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 की कार्यवाही के पृष्ठ 39 पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें माननीय अध्यक्ष विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री जी को नेता सदन के रूप में सम्बोधित किया है । मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं जिसका दृष्टान्त मैं देना चाहता हूं । श्रीमन्, एक पुस्तक है पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर इन इंडिया बाई ए० आर० मुकर्जी इसके पृष्ठ 29 पर लिखा है––

इन इण्डिया द लीडर आफ द मेजारिटी आई०ई० द गवर्नमेन्ट पार्टी युजुअली दि प्राइम मिनिस्टर आर द चीफ मिनिस्टर, ऐज द केस मे बी इज नोन ऐज द लीडर आफ द हाउस आफ व्हिच ही इज ए मेम्बर, बट एनी अदर मेम्बर युजुअली ए मिनस्टिर मे बी नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेन्ट पार्टी टु बी दि लीडर आफ द हाउस एण्ड दैट इज आलवेज डन इन द हाउस व्हेयर द प्राइम मिनस्टिर आर द चीफ मिनिस्टर इज ए मेम्बर सच ए कोर्स इज एडाप्टेड ओनली व्हेन ही रिक्वायर्स टू बी रिलीव्ड आफ ए पार्ट आफ हिज बर्डेन ।

श्रीमन्, मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर देता हूं–

श्रीमन्, बहुमत का नेता मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री हो सकते हैं लेकिन मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री जब तक विधान सभा, लोक सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते तब तक नेता सदन नहीं हो सकते ।

श्री अधिष्ठाता–

युजवली शब्द का अनुवाद कर दीजिए ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, युजवली शब्द का अनुवाद है प्रायः ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक सभा या विधान सभा का सदस्य न होने की हालत में वह नेता सदन नहीं हो सकते हैं तो श्रीमन्, इस सम्मानित सदन में या सत्तापक्ष में बैठे हुए लोगों में क्या कोई ऐसा दक्ष या सक्षम व्यक्ति नहीं है जो नेता सदन बनाया जा सके। एक दूसरी पुस्तक प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट बाई कौल एण्ड शकधर की है इसमें पेज 127 पर लिखा है–

प्राइम मिनिस्टर हू इज द लीडर आफ द मेजारिटी पार्टी इन लोक सभा फंक्शन, ऐज लीडर आफ द हाउस इन लोक सभा एक्सेप्ट व्हेन ही इज नाट ए मेम्बर आफ लोक सभा।

श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि जो लोक सभा का सदस्य नहीं है विधान सभा का सदस्य नहीं है वह प्रधान मंत्री व मुख्य मंत्री तो हो सकता है लेकिन इस सम्मानित सदन का, नेता सदन नहीं हो सकता है। आज प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है इसलिये आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज निर्णय हो जाय और उसके बाद ही सदन की आगे की कार्यवाही चलाने की कृपा करें कि नेता सदन कौन है और क्या आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को नेता सदन के रूप में अभिज्ञात किया गया है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

इस संदर्भ में कई माननीय सदस्यों की सूचनाएं आई हैं।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त विचारणीय और गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि अगर इस पर निर्णय नहीं हुआ तो सदन की सारी कार्यवाही निषिद्ध हो जायेगी इसलिये इसका निर्णय होना जरूरी है। मान्यवर, यह 2-3 बार पहले भी उठ चुका है। मेरे विद्वान साथी ने इस संबंध में विस्तार से व्याख्या की है। मान्यवर, लोकसभा में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। सन् 1966 में जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ तो स्वर्गीय श्रीमती गांधी इस देश की प्रधान मंत्री बनीं। उस समय वह राज्य सभा की सदस्य थीं, लोक सभा की नहीं थीं। उन्होंने स्वस्थ परम्परा का पालन किया और स्वयं अपने संसदीय कार्य मंत्री को नेता सदन बना दिया और स्वयं प्रधान मंत्री बनी रहीं। हमारी कोई आपत्ति नहीं है यदि मुख्य मंत्री जी यहां पर मुख्य मंत्री बने रहे लेकिन नेता सदन के पद पर किसी को आसीन कर दें। एक बार फिर ऐसी परिस्थितियां आयीं, जब 1991 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या के बाद श्री नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री बने, उन्हें कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी द्वारा सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया था, लेकिन सदन का सम्मान करते हुए और लोक सभा की परम्पराओं का निर्वहन करते हुए उन्होंने श्री अर्जुन सिंह जी, जो उस समय वरिष्ठतम मंत्री थे, को सदन का नेता बना दिया और जब वह आंध्र प्रदेश से दुबारा चुनकर आये तो नेता सदन भी बने और प्रधान मंत्री भी रहे। इस प्रकार इन दोनों महान विभूतियों ने सदन का सम्मान किया।

आज प्रश्न यह उठता है कि इस प्रदेश में 425 विधान सभा सदस्यों में कोई इतना योग्य नहीं है, कोई इतना काबिल नहीं है, जिसको मुख्य मंत्री बनाया जा सके। यहां कलराज मिश्र जी बैठे हैं, हुकुम सिंह जी हैं, जो हर बार इसी आशा में दल परिवर्तन करते रहते हैं, हरिश्चन्द्र जी बैठे हैं, कई और लोग बैठे हैं, राम कुमार वर्मा जी बैठे हैं। यदि महिलाओं से बनाना हो तो प्रेमलता कटियार जी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की झोली इतनी खाली हो गयी है कि उसके पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं रह गया है, आपने ऐसे व्यक्ति को लाकर बैठा दिया जो पिछले 15 वर्षों से सक्रिय राजनीति में नहीं था। अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां खड़े हो जायें और अपने मंत्रियों को पहचान लें, एक-एक मंत्री को पहचान लें तो मैं सदन की सदस्यता से चला जाऊंगा और 2 दिन तक नहीं आऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप औचित्य पर विचार प्रकट करें, लम्बा भाषण न दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मुख्य मंत्री जी कुछ को चेहरे से नहीं पहचानते, कुछ की योग्यता नहीं पहचानते, अगर वह योग्यता से पहचानते हैं तो हमें बड़ा दुख है कि आप वहां बैठे हैं, उस दुख का हम इजहार नहीं कर सकते, आपको मंत्रि-परिषद् में होना चाहिए था । मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय–1 में परिभाषा दी है । सदस्य का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और अनुच्छेद 177 के प्रयोजनों के लिये उसमें मंत्री तथा राज्य के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं । सदस्यों को इंगित करने का तात्पर्य किसी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है । अगर आप मुख्य मंत्री को इंगित करना चाहें तो कैसे करेंगे, आपकी नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं है। इसलिये इस गरिमामय पद पर किसी सदस्य को ही बैठना चाहिए । अगर किसी वजह से, किसी राजनीतिक मजबूरी की वजह से, विकलांगता की वजह से भारतीय जनता पार्टी में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो वह यह कर सकते हैं कि मुख्य मंत्री जी मुख्य मंत्री के रूप में यहां बैठें, वह बुजुर्ग व्यक्ति हैं, धैर्यवान हैं, आदरणीय हैं, लेकिन नेता सदन के रूप में श्री राम प्रकाश गुप्त जी को यदि आप नेता सदन के रूप में अभिज्ञात करेंगे तो यह इस सम्मानीय सदन का अपमान है, भारत के संविधान के विपरीत होगा, नियमावली के विपरीत होगा । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपापूर्वक अपनी कोई भी व्यवस्था देने से पहले मेरी बात पर विचार कर लें ।

मान्यवर, खेर साहेब जो इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष रहे हैं उनके समय में श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा था कि नेता सदन का कार्य वही कर सकता है जो इस सदन का सदस्य हो । सदन की परिपाटी क्या है यह हमारी नियमावली में दी हुई है । नियम–3 में परिभाषाओं में "म" में दिया हुआ है "सदन का तात्पर्य विधान सभा से है ।" यह माननीय परम्परा सभी विधान सभाओं तथा लोकसभा में, हाउस आफ कामंस में रही है कि नेता सदन उसी सदन का सदस्य होता है यानी हाउस आफ कामंस का होता है, लोक सभा का होता है और विधान सभा का होता है । आप देखें कि यह जो पार्लियामेंटरी प्रोसीजर इन इंडिया, श्री मुकर्जी की है, उसे मैंने आपको आपके कक्ष में दिखाया था, के पृष्ठ 33 में लिखा है और दूसरी किताब श्री कौल तथा शकधर साहेब की है उसमें स्पष्ट लिखा है जिसे मैं आपको दे दूंगा जिसे आप पढ़ लें और इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही विचार के बाद आदरणीय खेर साहेब ने कहा था जिसका कुछ अंश मैं पढ़ रहा हूं–"आपका यह प्रश्न उचित है और इस पर दोनों दलों की राय व्यक्त की गयी है, वह भी महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेन्ट में यह प्रथा है और कुछ रूल्स भी बन गये हैं, जो पहले नहीं थे, लेकिन अब पार्लियामेंट में बहुत सी चीजें होती हैं जिससे हम बाध्य नहीं हैं, हम बाध्य इसलिए नहीं हैं कि पार्लियामेंटरी कोई यहां ऐसी प्रथा नहीं है जब तक कि हम अपने यहां नियम न बना लें । जब आप इस प्रथा को मंजूर करेंगे कि बाहर का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर हो जाय तो वह नेता सदन, विधान सभा का नहीं होगा और यह प्रथा मंजूर करेंगे और वह नियम बन जाय तो उसके बाद वह प्रथा नियम बन जाय और चालू हो जाय । आदरणीय खेर साहेब के विचारों का इस सदन में आज तक मानने की परम्परा रही है लेकिन रूलिंग में नहीं है । इसलिये आप रूलिंग में संशोधन करें कि नेता सदन क पद पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं । मुख्य मंत्री पद की शपथ श्री राज्यपाल महोदय ने दिलाया है

और श्री राज्यपाल के अनुसार, संविधान के अनुसार मुख्य मंत्री हम मानने के लिए तैयार हैं लेकिन नेता सदन मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गयी है, इसलिये अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, इस औचित्य के प्रश्न पर मा० श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और श्री प्रमोद कुमार जी ने काफी कह दिया है इसलिये मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा । मान्यवर, मैं श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की बात पर बल देता हूं । मैं आपका आभारी हूं कि आप सभी के दर्दों को जानते हैं, इसलिये सभी के दर्दों को आप शेअर कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

हम उपचार भी करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप डाक्टर होने के नाते कुछ न कुछ उपचार अवश्य करेंगे ।

मान्यवर, मैं महत्वपूर्ण बिन्दु के बारे में कहना चहता हूं जिसमें कोई विवाद नहीं है कि आज सत्तारूढ़ दल किसी को मुख्य मंत्री नामित करे । मान्यवर, सदन का तात्पर्य विधान सभा से है । इसमें कम से कम स्पष्ट है और परिभाषित किया गया है कि यदि किसी को नेता सदन के रूप में अभिज्ञात किया जायेगा तो वह सदन में मुख्य मंत्री हो सकता है । श्रीमन्, यह सदन परम्पराओं से चलता है, पार्लियामेंट में लिये गये निर्णयों के आधार पर चलता है । जब-जब भी अगर लोकसभा का कोई सदस्य नहीं है और किन्हीं परिस्थितियों में प्रधान मंत्री बनता है तो पद के दायित्वों का निर्वहन करता है लेकिन नेता सदन के रूप में जब कहीं से सम्यक् रुप से निर्वाचित हो जाये तो वह प्रधान मंत्री के रूप में और नेता सदन के रूप में अभिज्ञात किया जायेगा । इस प्रदेश की विधान सभा अन्य कई विधान सभाओं का मार्गदर्शक रही है । एक गौरवशाली सदन है । विधान सभा का नेता सदन उसको अभिज्ञात किया जायेगा जो विधान सभा के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित हो । तो श्रीमन्, हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और यदि विधान परिषद् के भी सदस्य नहीं हैं तो 6 माह तक आप मुख्य मंत्री रह सकते हैं और फिर इस बीच किसी न किसी सदन के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य पुनरावृत्ति न करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस नये वर्ष में, नई सहस्राब्दि में ले लें, श्री राम प्रकाश गुप्त जी मुख्य मंत्री के रूप में रहें लेकिन नेता सदन के रूप में नहीं । उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिस दिन चुनाव जीत कर आयेंगे, नेता सदन के रूप में अभिज्ञात कर लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना इसी सन्दर्भ में श्री रेवती रमण सिंह जी की है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमारे विद्वान साथियों ने काफी कुछ कह तो दिया है । मैं केवल एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप जिस महान कुर्सी पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी मान्यवर, परम्पराओं या मान्यताओं से नहीं चलती है । यह कीर्तिमान स्थापित करती है और एक ऐसे व्यक्ति को नेता के रूप में बिठा दिया । 175-176 जिनकी संख्या है इनको कोई आदमी नहीं मिला था और पिछले मुख्य मंत्री से लेकर इन्होंने राम प्रकाश जी को बना दिया । जो विद्वान व्यक्ति थे, जिनको इस कुर्सी पर बैठना चाहिए, उनको नहीं बैठाया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय कलराज जी भी रह गये ।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी मैं आग्रह करूंगा कि एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, भाजपा जो कहती है वह करती नहीं है इसलिये एक आदमी को लाकर जो बेचारे यहां पर सदस्य भी नहीं हैं मुख्य मंत्री पद पर सुशोभित कर दिया । जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा यह सदन हाउस आफ कामंस और पार्लियामेंट की और जो यहां की परम्परायें हैं उनके अनुसार संचालित होता है । मुझे लगता है कि उनको मुख्य मंत्री रखना नहीं है । स्टाफ गैप अरेंजमेंट कर रखा है। भाजपा ने किश्तों में मुख्य मंत्री बनाने की परम्परा बनायी । मायावती जी मुख्य मंत्री थीं, कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे उनको हटाया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इस सूचना के औचित्य तक ही सीमित रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अगर मैं घटनाओं का उल्लेख नहीं करूंगा तो इसका औचित्य नहीं बनेगा । ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि एक ऐसे व्यक्ति को जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसको मुख्य मंत्री बना दिया गया । किश्तों में मुख्य मंत्री बनाने की परम्परा भाजपा ने बनायी है । जहां तक मेरी सूचना है यह बेचारे ज्यादा दिन मुख्य मंत्री रहने वाले नहीं हैं । बहुत जल्दी ही इनको हटाकर कोई नया आदमी मुख्य मंत्री बनना है । हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री बनायें लेकिन सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को नेता सदन बनाना चाहिए जो सदन का सदस्य हो । मैं आग्रह करूंगा कि इस परम्परा की ओर अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो उस कुर्सी पर बैठकर आपको ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जो इस सदन की गरिमा के अनुकूल हो, यही मेरा निवेदन है ।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत ही विद्वतापूर्ण विचार कई माननीय सदस्यों ने यहां पर रखे । मैं सदन की जानकारी के लिये उल्लेख करना चाहता हूं कि 1952 से लेकर अब तक 30 मुख्य मंत्री रह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चुके हैं। माननीय राम प्रकाश जी 30वें मुख्य मंत्री हैं। इसके पहले 29 मुख्य मंत्री रह चुके हैं। 8 मुख्य मंत्री ऐसे रहे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। शुरुआत स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त से हुई जो 7-12-60 को बिना किसी सदन का सदस्य हुए नेता सदन भी रहे और मुख्य मंत्री भी हुए। 1963 में श्रीमती सुचेता कृपलानी बिना किसी सदन का सदस्य हुए नेता सदन भी हुईं और मुख्य मंत्री भी हुईं। 1970 में श्री टी० एन० सिंह नेता सदन भी हुए और मुख्य मंत्री भी हुए। 1973 में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्य मंत्री भी हुए और नेता सदन भी हुए। वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मान्यवर, रामनरेश यादव जी विराजमान हैं यहां पर 23-6-77 को वह मुख्य मंत्री भी थे और नेता सदन भी थे और किसी सदन के सदस्य नहीं थे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जिन लोगों के नाम का आप उल्लेख कर रहे हैं वह सब बाद में चुनाव लड़कर आये। हुकुम सिंह जी आप जिन नामों का उल्लेख कर रहे हैं वह बाद में चुनाव लड़कर नेता सदन बन गये।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

9 जून, 1980 को माननीय वी० पी० सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री व नेता सदन बने और उस समय वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मान्यवर, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी 25-6-88 को मुख्य मंत्री भी बने और नेता सदन भी बने और वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। सुश्री मायावती जी 3 जून, 1995 को मुख्य मंत्री और नेता सदन भी बनीं। यह सवाल इससे पूर्व कई बार उठाया गया। बड़े विस्तार से इस बारे में चर्चा भी हुई, विद्वान साथियों की राय आयी और विद्वान सदस्यों की राय के बाद पीठ से निर्णय हुआ। मैं केवल एक निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूं। आपका समय बरबाद नहीं करना चाहता। अभी बीच में टोका-टोकी की गयी और यह कहा गया कि लोग बाद में चुने गये। बाद में तो यह भी चुने जायेंगे और बहुत मजबूती से चुने जायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने जो भी बताया वह सब बीसवीं शताब्दी का बताया, 21वीं शताब्दी का आप उदाहरण दीजिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रमोद जी ने ठीक सवाल किया है। माननीय प्रमोद जी, राम प्रकाश गुप्ता जी भी बीसवीं शताब्दी के हैं, इक्कीसवीं शताब्दी के नहीं हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

आप बीसवीं शताब्दी बता रहे हैं लेकिन कौन सा मॉडल है वह बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय गुप्त जी, बीसवीं में मुख्य मंत्री थे और इक्कीसवीं में भी बनेंगे।

* श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, सारा महाभारत जिसलिये हुआ आप कह रहे हैं कि इक्कीसवीं शताब्दी में भी यही बनेंगे तो बहुत हकतलफी हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह–

मैं 1988-89 के माननीय अध्यक्षों के आदेशों का संकलन पुस्तक से उद्धृत करना चाहता हूं। 1988 में यह प्रश्न उठाया गया था। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री व नेता सदन बने थे। बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी और उसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी थी उसमें उन्होंने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा था कि "उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं इस मत का हूं कि नेता सदन के बारे में पुराने निर्णय में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री होने के साथ-साथ नेता सदन भी रह सकते हैं।" माननीय ए० जी० खेर साहब के सामने यह प्रश्न उठाया गया। खेर साहब ने विस्तार से समीक्षा करने के बाद स्पष्ट निर्णय यह दिया कि यह परिपाटी है, परम्परा है, कहीं भी संविधान का इसमें उल्लंघन नहीं है। जो भी मुख्य मंत्री पद की शपथ लेंगे या चुने जायेंगे इस पक्ष के माननीय सदस्यगण के द्वारा, उसके बाद कोई प्रतिबंध इस बात का नहीं है कि वह नेता सदन नहीं हो सकते हैं। मैं तो खाली स्मरण दिलाना चाहता हूं कुछ दलों को जो यहां बैठे हुए हैं। यहां पर ऐसे भी मुख्य मंत्री रहे हैं, मैं उनकी शान में ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं, जो मर्यादाओं की बात बता रहे हैं, चुनाव हारने के बाद भी नेता सदन की कुर्सी पर आसीन किया गया। यह दल ऐसा नहीं है। इस दल ने तो परम्पराओं को निभाना सीखा है।

बी० जे० पी० की सरकार ऐसी है जो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती है चुनाव हार गये तो नेता सदन की बात तो दूर, मंत्री भी नहीं बनाया है। माननीय श्री राम प्रकाश गुप्त जी निर्वाचित हुए हैं और महामहिम राज्यपाल जी ने उन्हें शपथ दिलायी है। वह विधिवत् नेता सदन हैं, जब 31 तारीख को निधन के निर्देश हो रहे थे तो नेता सदन कहकर उनको पुकारा गया था और नेता सदन कहकर आपने सम्बोधित किया था कि नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध कर रहा हूं, आप नेता सदन पहले स्वीकार करते हैं बाद में आपत्ति उठाते हैं यह शोभा नहीं देता है। इसमें कोई बल नहीं है अतः इस आपत्ति को निरस्त किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री जगदम्बिका पाल व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं अपना निर्णय दे रहा हूं। विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य न होने के बावजूद मुख्य मंत्री नियुक्त होने और नेता सदन होने के संबंध में पूर्व में भी अनेक बार 23 सितम्बर, 1963, 8 दिसम्बर, 1970, 10 जनवरी, 1977, 8 जनवरी, 1981 और जिसका उल्लेख संसदीय कार्य मंत्री ने किया, 4 अक्टूबर, 1988 को ऐसे निर्णय दिये जा चुके हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि उनके दल ने जिसे अपना नेता चुना है और वह मुख्य मंत्री हैं, इसलिये वह नेता सदन भी हैं। इस संबंध में पूर्व में दिये गये निर्णयों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण को यहीं समाप्त किया जाता है।

श्री प्रमोद कुमार–

जो उनको मुख्य मंत्री बनाने के प्रस्तावक थे वह तो अलग हट गये हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है।

श्री अधिष्ठाता–

जहां तक लोक सभा और अन्य प्रदेशों के सदनों की परम्परा का प्रश्न है हर सदन की अलग-अलग परम्पराएं हैं। इस प्रश्न को अग्राह्य मानते हुए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री राम ललित चौधरी की है।

मा० विधायकगण को 10 लाख कूप जे० आर० वाई० तथा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कार्यों का प्रस्ताव देने के अधिकार से वंचित किये जाने तथा विधायक निधि का धन अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का सवाल उठाते हुए मैं अपनी बात को आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। इसी सदन में माननीय विधायकों के लिए कुछ हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये थे लेकिन कहीं-कहीं तो एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है व कितने ही जिलों में पैसा ही नहीं भेजा गया है दूसरे पूर्वांचल निधि का भी पैसा नहीं गया है इसमें अभी विकास कार्य बाधित हो रहे हैं विधायकों

को पहले तमाम अधिकार दिये गये थे उनसे अब उनको वंचित कर दिया गया है । जवाहर रोजगार योजना में 30 प्रतिशत प्रस्ताव विधायक देते थे लेकिन अब उनसे उनको वंचित कर दिया गया है । सम्पर्क मार्ग नहीं बन पा रहे हैं । सुनिश्चित रोजगार योजना की कुछ गाइडलाइन ऐसी आ गयी हैं जिनसे विधायकों के अधिकार वंचित हो रहे हैं सुनिश्चित रोजगार में हम लोग प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं । विधायक निधि का पैसा जो पिछले वर्ष 50 लाख दिया गया था उसका 25 लाख यहीं रोक लिया गया है अब वह 25 लाख रुपये नहीं भेजे गये । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों पर विचार करे । विधायकों को जो पचास लाख रुपया दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है । यह निधि एक करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब सांसदों को दो करोड़ किया गया है तो विधायकों को एक करोड़ किया जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, इसी संदर्भ में यह दो माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, कृपया इनकी बात सुन ली जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अधिष्ठाता जी सुन तो लीजिए । मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह दो माननीय सदस्यों की बात सुन लीजिए । यह भी अपनी बात नियम 300 के अन्तर्गत ही कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं ।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मान्यवर, सांसद निधि एक करोड़ रुपये से दो करोड़ हो गयी है तो विधायकों को भी 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपया विकास कार्यों हेतु दिया जाना चाहिए ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, अभी नियम–300 के अन्तर्गत हमारे माननीय सदस्यों ने विधायकों के अधिकारों और उनकी निधि से कटौती से सम्बन्धित प्रश्न उठाया और उसके साथ ही साथ हमारे कुछ माननीय सदस्यों की और भी अपनी व्यथायें हैं जो इस सदन के सामने रखना चाहते हैं । मान्यवर, विधायकों को जो विकास कार्य हेतु 50 लाख रुपये दिये जा रहे हैं वह काफी कम है तथा बहुत से कार्य

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

ऐसे हैं जिन्हें विधायकों ने लिखकर दिया भी है लेकिन उनके लिए पैसा रिलीज नहीं किया गया है। आशंका इस बात की भी है कि 31 मार्च तक पैसा न रिलीज करके वह लैप्स भी हो सकता है। मान्यवर, यदि सांसदों के विकास कार्य निधि हेतु पैसा एक करोड़ से दो करोड़ कर दिया गया है तो समय और अधिकाधिक विकास कार्य को देखते हुए विधायकों के विकास कार्य हेतु निधि में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। विधायक निधि तुरन्त रिलीज की जाय और साथ ही साथ माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं उसके अनुरूप एक करोड़ रुपये के लिये हमारे माननीय नये मुख्य मंत्री जी घोषणा करें ताकि विधायकों की भागीदारी विकास कार्यों में हो सके।

(विपक्ष के सभी सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर-घोर व्यवधान। श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री मनेश चन्द्र सोनकर और आर० के० सिंह पटेल जी सदन के वेल पर आ गये और तीनों सदस्य एक साथ जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे।)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें जो प्रस्तुत सूचना है उसका विधायक निधि से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। यह परम्परा उचित नहीं है। आपको बुलाया नहीं गया है इसलिये वेल पर खड़े हुए माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वह अपना आसन ग्रहण कर लें।

(वेल में आये तीनों सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दें।

श्री अधिष्ठाता-

यह खेद का विषय है कि कई माननीय सदस्य बहुत भावुक हो जाते हैं। माननीय श्री राम ललित चौधरी जी ने औचित्य के संदर्भ में जो सूचना दी थी उसकी ग्राह्यता पर मैं सुन रहा था। विधायकों को दस लाख रुपये जे० आर० वाई० तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव देने के अधिकार से वंचित किये जाने के संबंध में उनकी सूचना थी। यह सूचना किसी प्रकार से विधायक निधि से दूर-दूर तक सम्बन्धित नहीं थी। उस पर मैंने अपनी व्यवस्था भी दे दी और संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान दिला दिया भले ही यह औचित्य की परिधि में नहीं आती फिर भी सदस्यों की भावनाओं से जुड़े होने के कारण कह दिया। अगली सूचना के लिए श्री राम औतार शाक्य जी को बुला लिया है।

श्री धनीराम वर्मा-

माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। उनकी तरफ से वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

विधायक निधि पर कोई सूचना नहीं है। अगर इस पर सूचना होती और स्पष्ट कर होती तब कोई बात थी।

श्री धनीराम वर्मा-

मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा । मैंने राम औतार शाक्य जी को बुला लिया है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

राम औतार शाक्य जी, मैंने आपको बुलाया है !

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करवायें ।

श्री सुधाकर सिंह–

मा० मुख्य मंत्री से नीचे बात नहीं करेंगे हम । यह धनराशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करें । यह मामला आपका भी है । पूरे सदन का मामला है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । मैंने राम औतार शाक्य जी को बुला लिया है ।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

व्यवस्था किसी भी समय उठाई जा सकती है । आप व्यवस्था को सुनिये मान्यवर । विधायकों के अधिकारों को काटा जा रहा है । उनको क्षति न पहुंचाई जाय । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । जो व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहते हैं उनको आप मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं राम औतार शाक्य जी को बुला चुका हूं, उनको सुनने के बाद ही । उससे पहले नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी परन्तु हम लोगों की जो मांग थी सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आना चाहिए । अगर उनका वक्तव्य नहीं आता है तो आगे कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही में निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार से मांग की है आपसे मांग नहीं की है । वक्तव्य आना चाहिए । बिना वक्तव्य आये आगे कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

राम औतार शाक्य जी को सुनने के बाद जो भी व्यवस्था होगी सुन ली जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं जो व्यवस्था का प्रश्न कह रहा हूं सुनेंगे तो आपको सहायता मिलेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं श्री शाक्य जी को पुकार चुका हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक मिनट व्यवस्था सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

उचित समय आने दें, मैं उसको भी सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

उचित समय और क्या होगा, सदस्य के अधिकारों का हनन हो रहा है । जब तक आप सुनेंगे नहीं तय नहीं कर पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

सदन को व्यवस्थित करायें, तब तो मैं अपनी बात कहूं ।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

इनसे पहले मेरी व्यवस्था सुन लें । बाद में कहेंगे कि विषय परिवर्तित हो गया ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

सरकार का वक्तव्य आना चाहिए उसके बाद आप निर्णय दे सकते हैं श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं सरकार वक्तव्य दे आप सरकार से वक्तव्य दिला दें, उसके बाद आपकी पीठ से निर्णय होना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आभारी हूं कि आपने अनुमति दी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अनुमति नहीं दी है ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है आप अनुमति नहीं देंगे तो नहीं बोलूंगा । आप औचित्य के प्रश्न पर सुन रहे थे अगर आप पहले औचित्य के प्रश्न पर शाक्य जी को सुन लेंगे तो उस प्रश्न पर फिर कैसे सुनेंगे, इसलिए आप पहले माननीय सदस्यों की बात सुन लें, उस पर आपकी व्यवस्था आ जाए तब शाक्य जी को बुलवाइये ।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

जैसा कि उप नेता अम्बिका चौधरी जी ने कहा है सरकार का वक्तव्य आना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी को अनुमति दी है ।

श्री राम औतार शाक्य–

सदन को व्यवस्थित करायें तब तो अपनी बात कहूं ।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी आप बोलें, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं ?

श्री धनीराम वर्मा–

सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाए तब सदन चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

किस संदर्भ में वक्तव्य आये ?

श्री धनीराम वर्मा–

औचित्य का प्रश्न जो पहले था उस पर वक्तव्य आ जाए ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

(विपक्ष के सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे)

मैं सदन को 2.00 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी)

(2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री आर० के० सिंह पटेल–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। चित्रकूट (कौशाम्बी) में जल्द से जल्द पी० एल० ए० एकाउंट खुलवाया जाये वहीं विधायक निधि का पैसा न पहुंचने के कारण एक नये पैसे का भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप पटेल जी ऐसा कर लें कि.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कौशाम्बी, चित्रकूट नये जिले हैं, विधायक की संस्तुति पर कार्यों के सम्पादन हेतु जो धन का आहरण होना है उसमें दिक्कत आ रही है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

एक माननीय सदस्य का प्रश्न है, सभी सदस्य इसमें बोलना चाहेंगे तो कैसे काम होगा जिनकी सूचना नहीं होगी उनको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था होगी तो फिर कैसे आगे कार्यवाही चलेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही आपके निर्देश पर नियंत्रित होती है। जो बात यहां पर कही जाती है वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन जाती है, लेकिन जहां उसके विपरीत आचरण होता है वह आपके संज्ञान में लाना उचित समझता हूं।

श्री अध्यक्ष–

वह सूचना नियम 3(X) में नहीं आती है। विधायक का प्रश्न है, इसलिए सुन लिया, वह अलग बात है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, तीन सदस्यों ने यहां बात उठायी है, जो नये जिले हैं चित्रकूट, कौशाम्बी–इसमें विधायक निधि के कार्यान्वयन सम्बन्धी आदेश यहां से नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन में तो अधिवक्ता नहीं नियुक्त हो सकता है।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं यही चाहता हूं कि कृपया आप इन्हें सुन लें।

वक्ता ने भाषण का अनुवाद नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 10 लाख कूप योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, सुनिश्चित रोजगार योजना है, इसमें माननीय विधायकों के प्रस्ताव नहीं लिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तो इसमें सूचना नहीं है, कहिये तो सभी को सुन लूं, बिना सूचना के।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह आपका विवेक है, विधायकों का मामला है। आप हमारे संरक्षक है, यह सम्पूर्ण सदन के विधायकों का मामला है।

श्री ददू प्रसाद–

मान्यवर, विधायक निधि की नीति का पालन नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

एक माननीय सदस्य ने बात उठायी है, बात समझ में आ गयी है।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री आर० के० सिंह पटेल–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

एक तो जब माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सारे सदस्य बैठ जायेंगे। यह नहीं लिखा जायेगा आप लोग बैठ जायें। माननीय नेता विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, हम सब सम्मान करते हैं।

(नेता प्रतिपक्ष के बैठ जाने पर)

श्री आर० के० सिंह पटेल–

मान्यवर, चित्रकूट, कौशाम्बी–वहां मान्यवर, पी० एल० ए० एकाउण्ट खोलने का विधायक निधि के संदर्भ मे शासनादेश नहीं पहुंच पाया है। वहां के डी० आर० डी० ए० से लगभग 10 डी० ओ० पत्र शासन को आये है, परन्तु शासन से कोई जवाब नहीं आया है, हम लोगों के जनपदों में विकास कार्य बाधित है जनता मे इसमें आक्रोश व्याप्त है। हम लोग जा-जा कर घोषणा कर आये हैं। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री धनराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मै कोई नई बात यहां नहीं रखना चाहता हूं। माननीय विधायकों ने एस० आर० वाई, ए० आर० वाई० और विधायक निधि के प्रयोग की बात और न मिलने की बात, इस सम्बन्ध में समस्याएं रखीं। मैंने माननीय उंग जी, जो उस समय अधिष्ठाता थे उनसे केवल एक निवेदन यह किया था कि आप अपने निर्णय पर, इस सम्बन्ध में सरकार के कोई वक्तव्य की

(*) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में सम्मिलित किया गया।

आवश्यकता नहीं है । इस पर पुनर्विचार कर लीजिएगा । हमेशा इस पीठ से, अगर कोई माननीय विधायक कोई समस्या रखते हैं तो इस पीठ से हमेशा सरकार का पक्ष भी सुन लिया जाता रहा है और उसके बाद निर्णय दिये जाते रहे हैं । माननीय विधायकों की मांग थी कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है विकास कार्य के लिये और उनको जो निधि दी गयी है उसका पैसा भी नहीं आ रहा है । इसको मैंने रख दिया और कहा कि इस पर पुनर्विचार करते हुए सरकार से वक्तव्य दिलवा दीजिए उसके बाद निर्णय दीजिए । केवल यही मांग है । जो विधायकों की समस्यायें हैं वह आपके सामने आ गयी हैं उन पर विचार करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं उनके विचार सुन लीजिए उसके बाद पीठ का जो निर्णय है वह शिरोधार्य होगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम ललित जी और माननीय पटेल जी की सूचना पर संज्ञान ले लेने के बाद आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं अगर स्थिति स्पष्ट करना चाहें तो कर दें अन्यथा एक दो दिन में सूचना एकत्र करके स्थिति स्पष्ट कर दीजियेगा । अभी कुछ कहना चाहें तो आप कह दें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, ठीक है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये आवश्यक निर्देश जहां देने हों दे दीजिए, जैसा सदन में कहा जा चुका है उसके अनुसार कार्य हो ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप दलीय नेताओं की एक बैठक बुला लीजिए अपने कक्ष में, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपका सुझाव ठीक है, इस पर विचार कर लेंगे ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

अगर आप मान्यवर, अनुमति दें तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं वह कह दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी से मैंने कहा है कि वह सारी सूचना एकत्र करके स्थिति स्पष्ट कर दें बजाय इसके कि टुकड़ों-टुकड़ों में बात हो ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सम्भवतः अगर आपने राम ललित चौधरी जी की नोटिस को देखा हो । हमारा आपसे आग्रह यह है कि आप यह दिखवा लें । सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जवाब देने के लिये तैयार हैं । आपने जो व्यवस्था दी, वह हम लोगों को शिरोधार्य है । आपने एक-दो दिन के लिये कहा है, परसों तक सदन बंद हो जायेगा । यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है । चाहे इधर के हों, चाहे उधर के सदस्य हों, यह सभी का मामला है । जे० आर० वाई, एस० आर० वाई०, 10 मिलियन

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कूप योजना, हैण्डपम्प यह सब विधायकों का अधिकार है, यह सब अधिकार आज समाप्त हो गये हैं। सरकार की तरफ से जवाब देने में क्या कठिनाई है।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि माननीय पटेल जी ने कहा, उनकी बात विधायक निधि से सम्बन्धित नहीं थी, अन्य माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न उठा दिया। माननीय पटेल जी ने नवसृजित जनपदों की बात कही है। पाल जी ने भी अपनी बात कही। एक साथ कई बातें आ गईं, इसलिये मैंने कहा कि एक साथ सारी बातों का जवाब आ जाय, इसलिये कल तक जवाब आने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप अपने कक्ष में एक बैठक बुला लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आपका सुझाव तो आ गया है।

श्री धर्नीराम वर्मा–

आज जो भी सूचना प्राप्त हो, उस आधार पर सदन में सूचना तो दे दें। गतिरोध इसी बात पर पैदा हुआ था कि सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आयी। हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, और उसी माध्यम से जानकारी प्राप्त करके निर्णय देना चाहिए था। प्रश्न इस बात का नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री क्या कहते हैं। प्रश्न इस बात का है कि जो नियमावली बनी हुई है, उसके तहत बात कही जा रही है और उसी के तहत जवाब आये, यही हम चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, जितनी सूचना हो, दे दीजिये। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, विपक्ष के माननीय सदस्यों से कि जब इस पीठ से व्यवस्था हो जाय तो फिर उस पर पुनर्विचार के लिये न कहें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो चिन्ता माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, वह वास्तव में चिन्ता का विषय है भी, कि बाकी जनपदों में विधायक निधि से काम हो जाय और बाकी में न हो। इसमें कुछ कमी रही, किसी स्तर पर। नवसृजित जनपदों में पी० एल० ए० का खाता नहीं खोला जा सका, जबकि पैसा जा चुका है। मैं कौशाम्बी का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां के लिये 8448 नं० से खाता खुलना था, लेकिन खाता नहीं खुल पाया, इसलिये डी० आर० डी० ए० के खाते में पैसा डालने के आदेश दिये गये। मैं आश्वस्त करता हूं कि 10 दिन के अन्दर इसे सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पैसा उपलब्ध हो जाय ताकि जितने काम लम्बित हैं, उन पर कार्यवाही शुरू हो जाय। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आश्वस्त करूंगा और माननीय सदस्यों को जानकारी भी दूंगा।

(कई सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने का आग्रह किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग स्थान ग्रहण करें, अन्यथा सदन नहीं चल पायेगा। आपको अनुमति नहीं है।

उत्तर प्रदेश के निगमों में सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्षों/प्रशासकों द्वारा करोड़ों रुपयों के अपव्यय विषयक दिनांक 24-7-08 को नियम 301 में दी गयी सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शास्त्री–

मान्यवर, यह सदन पूरी तरह से इस बात से वाकिफ है कि इस वक्त प्रदेश में बहुत ही वित्तीय संकट चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 301 में कैसे आयेगी ?

श्री राम औतार शाक्य–

मैंने 24-7-98 को नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी और इसमें यह विषय उठाया था कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रम और निगम बहुत घाटे में चल रहे हैं और उसके बाद भी सरकार द्वारा अध्यक्षों और प्रशासकों का मनोनयन कर दिया गया है । यह भी कहा था कि इस वजह से डीजल-पेट्रोल, गाड़ियों का खर्चा बहुत बढ़ रहा है और सरकारी अधिकारियों की तनख्वाहें नहीं निकल पा रही हैं, इन निगमों के अधिकारियों की तनख्वाहें निकल नहीं पा रही हैं और उसके बावजूद सरकार ने फिजूलखर्ची का रवैया अख्तियार किया है, इससे और ज्यादा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है चूंकि जानबूझकर सरकार देरी कर रही है और अंतरिम उत्तर एक दिया था । दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 को कि अनुस्मारक पत्र भेजे जा रहे हैं सूचना प्राप्त करने के । उसके बाद पुनः अंतरिम उत्तर दिनांक 30 दिसम्बर, 1998 को भेजा गया और उसमें कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्षों द्वारा करोड़ों रुपये व्यय किये गये उनके बारे में सार्वजनिक उपक्रमों से जानकारी मांगी गयी है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । नई सदी प्रारम्भ हो गयी है और तेरहवीं विधान सभा यह है, लगता है कि इसमें तेरवीं करके यह सरकार जायेगी और हमारी सूचना का उत्तर नहीं आयेगा । इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि कब तक उत्तर प्राप्त होगा ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं मा० सदस्य को 20वीं सदी की याद दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने 13-7-98 को प्रश्न उठाया था और उसके बाद आपकी पीठ से निर्देश दिया गया था कि इस प्रकरण को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द किया जाता है । इसमें सारी सूचनाएं संकलित करके दिनांक 12-11-99 को बैठक हो चुकी है । सूचना उपलब्ध करा दी गयी है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा० सदस्य से कहना चाहता हूं कि जब आप प्रश्न उठाते हैं तो कार्यवाही जो होनी है उसकी जानकारी करने का दायित्व आपका भी बनता है । हम तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं । इसलिए आग्रह है कि नई सदी आयी है तो परम्पराओं का पालन आप भी करें और अपनी गल्ती को स्वीकार कर लें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा एक अतारांकित प्रश्न था उसका जवाब नहीं आया था तो उसके बाद मैंने नियम 301 की सूचना दिया था । 1998 में जिसका उत्तर मुझे दिया जायेगा कि नहीं । नियम 301 की सूचना को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को क्या सुपुर्द तो नहीं किया गया है ? अनारांकित प्रश्न और सूचना के तथ्य अलग-अलग हैं । इसलिये 301 की सूचना का उत्तर सरकार देगी कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह एक दूसरे से सम्बद्ध है और उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की सूचना नियम 301 में नहीं आती है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि 301 में दी गयी सूचना का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र दिया जाना चाहिए ।

श्री अम्बिका चौधरी, उपनेता समाजवादी पार्टी पर लखनऊ में दिनांक 26 दिसम्बर, 1999 को हुए प्राणघातक हमले के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

शून्य प्रहर की सूचनाओं के बाद अब मैं श्री अम्बिका चौधरी जी का प्रकरण ले रहा हूं और अम्बिका जी अपनी बात कह दें अथवा अन्य कोई एक सदस्य कह सकता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मा० अध्यक्ष महोदय, अम्बिका चौधरी जो समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के उप नेता हैं और इनके ऊपर मान्यवर, अम्बिका चौधरी जी के ऊपर 26 दिसम्बर को साढ़े पांच बजे शाम को एस० एस० पी० के घर के सामने कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर तीन बार गोली से फायर किया लेकिन संयोग से यह गोली उनको नहीं लगी । यह घटना दिन-दहाड़े साढ़े पांच बजे एस० एस० पी० के घर के सामने हुई । यह इतनी बड़ी घटना है और आज कानून का राज्य पूरे प्रदेश में खत्म हो गया है और उसी का नमूना यह घटना है । यह दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया । अगर तत्काल एस० एस० पी० के घर से वायरलेस कर दिया जाता तो वह अपराधी और प्रयोग में लायी गयी सीलो गाड़ी पकड़ी जा सकती थी । 26 तारीख से आज तक कोई पकड़ा नहीं गया और न ही कोई प्रयास किया गया । उनके घर पर आकर किसी ने इस बात की तहकीकात नहीं की कि वे कौन अपराधी थे । इस गम्भीर प्रकरण पर जिससे पूरा सदन चिन्तित है । मैं चाहूंगा कि इस पर तत्काल कार्यवाही करके अपराधियों को पकड़ा जाये और उनकी जीवन रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि उन पर अगली बार भी हमला हो सकता है और अपराधियों को पकड़ने की तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सदन के सम्मानित सदस्य और उपनेता के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

बात स्पष्ट हो गयी है, मैंने उत्तर के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री को कह दिया है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, अम्बिका चौधरी जी पर हुए हमले के बारे में जहां तक जानकारी है, उनकी किसी प्रकार की रंजिश या ऐसा मामला भी नहीं है जिससे अनुमान लगाया जा सके कि फलां व्यक्ति सक्रिय होंगे । यह दुर्भाग्य की बात है, जब वे जा रहे थे एक गाड़ी से फायर हुई । फायर के बाद जो कानूनी औपचारिकताएं हैं,वे पूरी हुईं । जो वरिष्ठ अधिकारी थे, डी० आई० जी०, एस० एस० पी० भी मौके पर पहुंचे लेकिन खोखे या कुछ मिला नहीं । लेकिन यह चिन्ता की बात जरूर है कि जिन गाड़ियों का वर्णन किया गया है और ऐसी बात नहीं है कि ऐसी गाड़ियों की पहचान करना असम्भव सी बात हो । मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें नये सिरे से उन गाड़ियों के चिन्हांकन की कार्यवाही भी की जायेगी और वे कौन व्यक्ति थे, उनका इरादा क्या था, इसकी गहन छानबीन की जायेगी और जो भी परिणाम होगा हम स्वयं अम्बिका चौधरी जी को अवगत करायेंगे । सुरक्षा व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है, गनर भी उपलब्ध करा दिये गये हैं । उनका जो अपना एक गनर था, उसको उन्होंने छुट्टी पर भेजा था । अम्बिका चौधरी जी की जीवन शैली ऐसी है कि वे इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते । लेकिन यह शासन की जिम्मेदारी थी, उसकी व्यवस्था कर दी गयी है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अम्बिका चौधरी जी पर जो जानलेवा हमला किया गया उस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया । मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी है और अपराधियों ने अम्बिका चौधरी जी को निशाना बनाकर सरकार को चैलेंज किया है कि जिस तरह से एस० एस० पी० के बंगले के सामने पहले पुलिस कर्मियों को भूना गया था वैसे ही वह नेताओं को भून सकते हैं । यह सामान्य घटना नहीं है । यह सरकार को चैलेंज है और सरकार इसे हल्के फुल्के ढंग से ले रही है । इस पर शर्म आनी चाहिए कि सरकारी अधिकारियों ने आज तक अम्बिका चौधरी जी से पूछा तक नहीं कि हमलावर किधर से आये और किस वेशभूषा में थे । चौधरी जी से किसी तरह की जानकारी नहीं की गयी । पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर इसको हल्के-फुल्के रूप में लिया है । यह अकेले अम्बिका चौधरी जी के लिये नहीं बल्कि सारे प्रदेश वासियों के लिये गहन चिन्ता का विषय है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लिया जाय और इसको साधारण घटना समझ कर नहीं छोड़ना चाहिए । जिन अधिकारियों ने अम्बिका चौधरी जी से सम्पर्क नहीं किया निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए यह मैं मांग करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विशेष संरक्षण और स्नेह मुझे इस सदन में प्राप्त होता रहा है । बहुत सारे जनहित से जुड़े मामलों पर मुझे यहां पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है । मुझे इसलिये अत्यन्त दुख है कि आज ऐसी घटना को रखना पड़ रहा है जो मुझसे सम्बन्धित है । मुझे कष्ट इस बात का भी है कि घटना के एक सप्ताह के बीत जाने के बाद भी, मेरी धारणा थी कि सरकारी मशीनरी तो संवेदनशील नहीं रह गयी है लेकिन राजनीति करने वाले लोग चाहे वह इस लाल कालीन के उधर बैठे हों या इस लाल कालीन के इधर बैठते हों एक मामले पर उनका संबंध घनिष्ट होता है, मुझसे व्यक्तिगत रूप से जहां तमाम माननीय सदस्यों ने, मंत्रिगण ने चिंता व्यक्त की, सहानुभूति प्रकट की लेकिन सरकारी पक्ष को जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखते हुए कहा उससे मुझे अत्यन्त दुख है । मैं यह निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि 26 तारीख को यह घटना हुई तो उस समय साढ़े 5 बज रहे थे, अंधेरा नहीं हुआ था । मैं इसमें विश्वास नहीं रखता कि 5 बन्दूकधारियों को साथ रखूं । मैंने अपने बुजुर्गों के आचरण को जीवन में उतारने का काम किया है और मुझे किसी से खतरा नहीं है ।

आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे किसी व्यक्ति पर अपनी ओर से संदेह नहीं है कि अमुक व्यक्तियों ने यह हमला किया । यह घटना एस० एस० पी० के रेजीडेंस से 15 गज दूर की है और एक काबीना मिनिस्टर के दरवाजे पर गोलियां चलीं, सदर दरवाजे पर गोलियां चलीं । ऐसा नहीं था कि हीरो होंडा पर लोग आये और कट्टा चलाकर चले गये । वह सीलो गाड़ी पर सवार और अत्याधुनिक असलहों से लैस थे । यह मैंने पुलिस को बताया और रिपोर्ट भी दर्ज करायी है । 32 का जो प्रतिबन्धित बोर का रिवाल्वर पिस्टल मिलती है उससे बड़े साइज के रिवाल्वर से तीन फायर किये गये । आपका आर्शीवाद, मित्रों की शुभकामनाओं और ईश्वर की कृपा के अलावा कोई दूसरी चीज वहां मेरी सुरक्षा और संरक्षण के लिये मौजूद नहीं थी । माननीय मुख्य मंत्री जी, आज इस सदन में मौजूद हैं । मैं आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि एस० एस० पी० के बंगले के सामने और हज़रतगंज से मात्र 15 गज की दूरी पर यह घटना घटित हुई । फायर की आवाज सुनकर 6-7 सिपाही एस० एस० पी० आवास से निकले, उनमें से एक तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और उसने पूछा कि कौन सी गाड़ी थी, मैंने बताया कि नीले रंग की गाड़ी थी । पुलिस की जीप, मोटर साइकिल खड़ी थी, वायरलेस सेट सिपाही के हाथ में था । मान्यवर, एस० एस० पी० का रेजीडेंस हो और सारी सुविधायें मौजूद हों फिर भी कोई कार्यवाही न की जा सके । गोली चली लेकिन वह लगी नहीं यह तो आप सबकी

शुभकामना का फल है । दिन दहाड़े आक्रमण होता है और 8 दिन-बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि पुलिस देख रही है, ढूंढ रही है, आप इससे कितना संतुष्ट होंगे, मैं नहीं जानता ।

मैं आपके सामने निवेदन कर इसकी गम्भीरता जताने के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं । माननीय ससदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, सत्तापक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यगण और बड़े-बड़े मंत्रीगण, किस तरह से आप अपनी सत्ता के बारे में संवेदनशील हैं इस पर प्रदेश की जनता विचार करेगी । यह एक साधारण घटना नहीं है और इसमें पुलिस की जो कारगुजारी है, वह आपके सामने है । आपकी जो कारगुजारी रही वह बता दें । इतनी गम्भीर घटना के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है । यह आना चाहिए । उसके आये बगैर इस तरह से चर्चा करके निपटा दिया जाय तो इन चर्चाओं की आवश्यकता नहीं है । इन चर्चाओं से प्रदेश में ये चीजें रुकने वाली नहीं हैं । जब आप राजधानी में घटी घटना पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाये हैं तो प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में इन घटनाओं पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे ? मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद । आपके माध्यम से नववर्ष की शुभकामनायें अपने साथियों को देना चाहता हूं । सरकार का जो दृष्टिकोण है वह उजागर होना चाहिए ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

* श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, एस० एस० पी० के आवास के सामने यह घटना घटी इस पर गम्भीर कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, यह चिन्ता की बात है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने यह घटना हुई । दूसरी बात जो चिन्ता की है कि माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि पूछताछ के लिये कोई अधिकारी नहीं गया । जांच-पड़ताल प्रभावी ढंग से हो और प्रयास यह करिये कि अपराधियों का पता लग जाय । यदि माननीय चौधरी जी के पास कोई पूंछतांछ के लिये नहीं गया तो यह ढिलाई है । इसको सुनिश्चित कर लीजिए कि जिम्मेदार अधिकारी जांच पड़ताल कर प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही करें तो अच्छा रहेगा । जितना सम्भव होता है उतना ही निर्देश दिया जाता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

सदन के सदस्य के ऊपर प्राणघातक हमला होता है यह सरकार सदन के प्रति जवाबदेह है । लेकिन 10 दिन तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

*श्री बाबूराम यादव–

श्री चौधरी जी अपनी बात नहीं कह पाये हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 10 दिन हो गये इस घटना को घटित हुए सरकार बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है । आज सदन में बयान आना चाहिए था कि सरकार ने यह कार्यवाही की है । यह राजधानी पूरी तरह से अपराधियों के घेरे में हैं । जनसामान्य पूरी तरह से भयभीत है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री चौधरी जी का व्यवहार अच्छा है किसी से दुश्मनी नहीं है फिर भी हमला हुआ है । हमने इस संबंध में शासन को निर्देश दे दिया है । इससे ज्यादा क्या निर्देश दिया जाए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होकर समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 †

श्री अध्यक्ष–

मैं अब अगली मद ले रहा हूं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 +

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान जारी)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 +

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1999+

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अध्यादेश, 1999+

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश नगर निगम अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999+

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 1999+

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999+

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर,मैं आपकी अनुमति से "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1999+

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999+

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर,मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1999+

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1999" को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1999 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1999 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये 'प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश' के निदेश संख्या 143(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान जारी)

---

† प्रस्तुत की गये।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या (क) क०नि०–2–2105/ग्यारह–9(17)/96–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–99, दिनांक 11 अक्टूबर, 1999 (ख) क०नि०–2–2529/ग्यारह–9(82)/98–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–99, दिनांक 30 नवम्बर, 1999 (ग) क०नि०–2–2283/ग्यारह–9-(81)/91–उ० प्र० अध्या०–21–99–आदेश–99, दिनांक 31 अक्टूबर, 1999

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–(क) क०नि०–2–2105/ग्यारह–9(17)/96–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–99, दिनांक 11 अक्टूबर, 1999 तथा (ख) क०नि०–2–2529/ग्यारह–9(82)/98–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–99, दिनांक 30 नवम्बर, 1999 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) के अन्तर्गत तथा अधिसूचना संख्या–क०नि०–2–2283/ग्यारह–9-(81)/91–उ० प्र० अध्या०–21–99–आदेश–99, दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 1999, दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 की धारा–4 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा, 1998-99

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा, 1998-99 को, भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा–31 की उपधारा (11) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1993-94 के कार्य कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन\††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1993-94 के कार्य कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या ए–3001/25–सी०एक्स–(ए)–84, दिनांक 8 जुलाई, 1984 के पैरा–4 (च) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदन, 1994-95††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक आधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदन, 1994-95 को उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–ए–3001/25–सी०एक्स–(ए)–84, दिनांक 8 जुलाई, 1984 के पैरा–4 (च) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, के वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97††

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "श्री हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, के वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 को, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :–†† छपे नहीं गये।

आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 †††

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आवास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–6369/9–आवास–1–339 डीए/83, दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 द्वारा प्रकाशित 'आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999' को, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–55 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999†††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या : 1895/60–3–99–3(68)/97, दिनांक 29-10-1999 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 को "दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा–10(3)" के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1999†††

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या : सी०पी०1277/29–8–99सी०पी०43/89, दिनांक 15 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1999" को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–31(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 1999†††

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1993/29–2–बा०मा०–78-98, दिनांक 22 मई, 1999 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 1999 को, बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1986 की धारा 72(5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा 'भारत का संविधान' में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन, जो अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय के प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182 के उपनियम (1) के अन्तर्गत, सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :– ††† छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 में शोधन का विवरण

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 में किये गये त्रुटि के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 167 पर।)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 जुलाई, 1999 की बैठक में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाईसवां अधिनियम बना गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 जुलाई, 1999 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का-उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वापस अपने-अपने स्थानों पर चले गये)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 जुलाई, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई,

1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का इकतीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का तैतीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 जुलाई, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का चौतीसवां अधिनियम बन गया ।

श्री अम्बिका चौधरी, उपनेता समाजवादी पार्टी पर लखनऊ में दिनांक 26-12-99 को हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

–नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, हमारा दल ही नहीं तमाम विपक्षी लोगों की जो आशंका है और जिससे सभी परेशान हैं बात यह है कि श्री अम्बिका जी पर हमला हुआ परन्तु सरकार ने उसे बड़े हल्के-फुल्के ढंग से लिया सरकार का यह भी कथन है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उससे साफ जाहिर होता है कि हमला ही नहीं हुआ । उसका सबूत यह है,मैं हुकुम सिंह जी को नहीं कह रहा हूं, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा हूं, पता नहीं उन्होंने बुद्धि से काम लिया या नहीं लिया, रिवाल्वर से गोली चलने की बात कही गयी तो फिर खोखा ढूंढने की बात कहां से आ गयी । क्योंकि मान्यवर, जब रिवाल्वर से गोली चलती है तो खोखा तो रिवाल्वर में ही रह जाता है इसका यह मतलब निश्चित है सरकार संसदीय

कार्यमंत्री के माध्यम से इस प्रकरण पर लीपापोती करना चाहती है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को यह निर्देश देने की कृपा करें और साथ ही आदेश भी दें कि इस तरह से गलत बयानी विधान सभा में नहीं होनी चाहिए। जो असम्भव बात है उसे सम्भव करने की कोशिश की जा रही है। कहीं रिवाल्वर से खोखा भी जमीन पर गिरता है, नहीं गिरता है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि फायर ही नहीं हुआ है। बहुत ही हल्के-फुल्के तरीके से सरकार इस प्रकरण को ले रही है। मैं इसकी निन्दा करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को आप निर्देशित करें कि इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाय और बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मौके पर खोखा न मिलना यह इस बात को सिद्ध करता है कि कट्टा वगैरह से नहीं जैसा आप कह रहे हैं रिवाल्वर से फायर हुआ होगा।

(व्यवधान)

दुःख यह है कि पूरी बात सुनेंगे नहीं। मैं कोई इतना सर्वज्ञानी नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि शासन की ओर से यह तथ्य आये हैं कि मौके पर खोखा नहीं मिला तो यह इस शिकायत की पुष्टि करता है कि किसी और हथियार से नहीं रिवाल्वर से ही फायर हुआ है। इसमें विरोधाभास नहीं है कोई।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात कह लूं।

श्री अध्यक्ष–

अब यह प्रकरण समाप्त करिये।

श्री प्रमोद कुमार–

इस सदन के माननीय सदस्य हैं। दल के उपनेता का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से तो यह अंतहीन चलेगा। इसका अंत कभी नहीं होगा। जिनके ऊपर हमला हुआ है, उनको सुन लिया, नेता प्रतिपक्ष को सुन लिया और कई पुराने सदस्यों को सुन लिया। अब नहीं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो मैं कहने जा रहा हूं यदि किसी ने वह बात कही हो तो मेरी बात कार्यवाही से निकलवा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

क्या यह मान लिया जाय कि किसी एक सदस्य की सूचना हो तो पूरे सदन को उस पर सुना जायेगा। समय तो सीमित है, उसी के अन्दर सारे कार्य होने हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं जो तथ्य कहने जा रहा हूं वह किसी ने कहे नहीं हैं। अगर किसी ने कहें तो कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन की परम्परा, परिपाटी रही है कि जब कोई सदस्य इस सदन में बात कहे तो यह मानकर चला जाता है कि वह सत्य है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी बात सुन तो लें। मेरी चिन्ता दूसरी है। माननीय अम्बिका चौधरी जी ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर 3/4 सिपाही आ गये। वायरलेस सेट भी मौजूद था। मैं जानना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई जो घटना के एक मिनट के अन्दर आ गये और वायरलेस से मैसेज पास तक नहीं किया। तीन-चार पुलिस कर्मचारियों का गोली की आवाज सुनकर आना और एफ० आई० आर० का मतलब क्या होता है कि थाने में जाकर शिकायत लिखवाये। फर्स्ट सूचना को फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट कहा जाता है वह ओरल या रिटेन कैसी भी हो। जब दो तीन पुलिस कर्मचारियों को बता दिया कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई तो एफ० आई० आर० उसी समय लोज हो गई। एफ० आई० आर० पर मैसेज वायरलेस पर प्रसारित न करने के लिये जो दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी।

श्री अध्यक्ष–

अभी जांच हुई नहीं। जांच करने के निर्देश दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सम्मानित विधायक और दल के उप नेता के ऊपर हमला हुआ और इसे सरकार को जिस गम्भीरता से लेना चाहिए था नहीं ले रही है। इसमें इतना विलम्ब हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिनको पहले पता चल गया कि उनके ऊपर हमला हुआ और उन्होंने मैसेज क्यों नहीं पास किया। जबकि चौधरी जी ने स्वयं उनको सूचना दे दी थी। अम्बिका चौधरी जी कोई एबस्कोंड नहीं थे। आठ दिन के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष–

और कितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आपना नाम दे दें।

श्री प्रमोद कुमार–

दिक्कत होती है कि जब सरकार की आलोचना करते हैं तो मान्यवर, आप उत्तेजित हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो ठीक से चले। आप और जो-जो सदस्य बोलना चाहते हैं इस विषय पर वे अपने-अपने नाम दे दें। जब एक निर्देश दे दिया गया। बात समाप्त हो गयी। कोई माननीय सदस्य अन्तर्यामी नहीं है जिसने सारी घटना को देख लिया हो सिवाय अम्बिका चौधरी जी के। तर्क-वितर्क सब कुछ है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

जितना सदन की सीमा है, मर्यादा है, अधिकार है उसके अनुसार निर्देश दे दिये गये हैं। अब मैं अगली मद ले रहा हूं। मद संख्या--28 में कुछ नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग कृपया बैठ जायं। कृपया शान्ति बनाये रखें, अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मद संख्या--28 में कुछ नहीं है, मद संख्या--29 में कुछ नहीं है मद संख्या--30 लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी--

मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जो स्थान है, जहां इन्सीडेंट हुआ वहां मेरी मौजूदगी और फायर, यह प्वाइन्ट ऐसे हैं जो संसदीय कार्य मंत्री जी की जानकारी में होंगे, लेकिन बाहर की बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, फायर नहीं हुआ ऐसा नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--

परम्परा सदन की यह रही है कि जो माननीय सदस्य सूचना देते हैं उसको सत्य मानकर उसके आधार पर कार्यवाही की जाती है तो इसको इन्होंने स्वीकार कर लिया।

श्री अम्बिका चौधरी--

मैंने जो बात कही है उसमें एक भी शब्द झूठ नहीं है, मान्यवर, यह राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, उस प्लेस पर फायर हुआ, आसपास कोई भीड़ नहीं थी, मैं अकेला था, कहा गया कि सीलो गाड़ी नहीं थी, ओपेन एस्ट्रा थी, फिर कहा गया कि नीली गाड़ी नहीं थी काली गाड़ी है, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि रिवाल्वर होगी तो खोखा रिवाल्वर में होगा। तफ्तीश में असलहा बदलकर कहा जा रहा है मैं नहीं जानता ? लेकिन संसदीय कार्य मंत्री को शायद बता दिया गया होगा कि इनको मारने की मंशा नहीं थी ? तो क्या एम० एम० पी० और डी० जी० पी० श्रीराम अरुण जो हुए हैं उसको सेलीब्रेट किया जा रहा था या फिर राम प्रकाश गुप्त जी जो नये मुख्य मंत्री हुए हैं उसको सेलीब्रेट किया जा रहा था और आतिशबाजी की जगह फायर किया जाएगा यह इनको नहीं बताया था ? मान्यवर, जहां फायर हुआ वहां मैं अकेला था।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 दिसम्बर, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 से दिनांक 6 जनवरी, 2000 तक के उपवेशनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :--

(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 को प्रश्नकाल न रखा जाए तथा केवल निधन के निर्देश हों।

(2) सदन का दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 से 6 जनवरी, 2000 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया :--

दिसम्बर, 1999	
31 शुक्रवार	निधन के निर्देश (प्रश्नकाल नहीं होगा)।

जनवरी, 2000

1 शनिवार

2 रविवार

3 सोमवार

बैठक नहीं होगी ।

(1) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों, यदि कोई हों, आदि का पुरःस्थापन ।

(2) विधायी कार्य ।

(3) 4.00 बजे अपराह्न अथवा विधायी कार्य की समाप्ति के तुरन्त बाद जो भी पहले हो, वित्तीय वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण ।

(4) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

(5) श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय ।"

(6) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे० पी० सिंह तथा श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 216 (4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सदन में विचार हेतु आधे घण्टे की चर्चा ।

(7) प्रदेश में उन क्षेत्रों में जिनमें नहर होने के बावजूद सिंचाई हेतु किसानों को पानी न मिल पाने की दशा में भी उनसे सिंचाई शुल्क वसूल किये जाने विषयक दिनांक 13 जुलाई, 1999 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 नत्थी

(क) के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

4 मंगलवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2–विधायी कार्य ।

3–नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह, 'विधि,' रख दिया जाय ।"

4–नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

5–ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, दो घण्टे की चर्चा ।

6–प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

7–खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनाने, रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुवाई के समय होने वाली रासायनिक खादों की कमी को दूर करने के विषय में दिनांक 15 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

5 बुधवार

1–विधायी कार्य ।

2–प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा।

3–जनपद रामपुर में शुगर कारपोरेशन की चीनी मिल के बन्द होने से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने तथा मिल के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शिव बहादुर सक्सेना द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

4–प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों से शिक्षा दिये जाने हेतु आधुनिकतम उपकरण कैटस्कैन मशीन और एम० आर० आई० मशीन उपलब्ध कराये जाने के विषय में दिनांक 14 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–14 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

6 गुरुवार

बैठक नहीं होगी ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रखें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश सम्बन्धी प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 †

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† दिनांक 20-1-2000 के असाधरण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास.....

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 के पुरःस्थापन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

यह विधेयक के सम्बन्ध में है या पुरःस्थापन की प्रक्रिया के संबंध में है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पुरःस्थापन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में है । मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 123 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं और आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूं । इसमें यह है कि नियम--114 के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए, उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गयी हों ।'' मान्यवर, आज जो भी विधेयक की पुरःस्थापना की जा रही है उसकी सारी प्रतिलिपियां आज ही उपलब्ध करायी गयी हैं । मान्यवर, नियमावली के नियम 123 में जो व्यवस्था है उसके अनुसार एक दिन पूर्व प्रतियां उपलब्ध होनी चाहिए । मान्यवर, इससे यह परिलक्षित होता है कि सदन के प्रति सरकार कितनी सचेत है यह प्रतियां आज उपलब्ध करायी जा रही हैं तो यह कल भी पुरःस्थापित हो सकता था और उस पर विचार और पारण हो सकता था ।

श्री अध्यक्ष–

सचिवालय के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह प्रतियां पूर्व में ही माननीय सदस्यों को दी गयी हैं, हो सकता है किसी माननीय सदस्य को न मिली हों जो लाकर्स लाबी में खाने बने हुए हैं उसमें पहले ही रख दी गयी थी । 31 तारीख को निधन के निर्देश के बाद बहुत से माननीय सदस्य चले गये थे इसलिए कुछ सदस्यों को आज उनमें मिली हों ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर **मंत्री (श्री हुकुम सिंह)**–

मान्यवर, 31 को हो सकता है इनका हैंग ओवर चल रहा हो ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 क्रमागत

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 †

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 ††

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबू राम, एम० काम०–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 †††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 19-1-2000 के असाधरण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 25-1-2000 के असाधरण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

††† दिनांक 25-1-2000 के असाधरण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 †

न्याय मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही थी तो मैंने कहा था कि जिस समय कार्य-स्थगन का प्रस्ताव होगा उस समय मैं आपके विचार ले लूंगा तो दो बातें हो सकती हैं या तो कार्य-स्थगन की सूचनाएं जो नियम के अनुसार चयनित हो गयी हैं शलाका में आ गयी हैं । उनको पहले सुन लें या कानून व्यवस्था पर सुन लिया जाय उसके बाद कार्यस्थगन की सूचना लें । मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था पर माननीय सदस्य 3.25 तक अपनी बात कह लें संक्षेप में तो उचित रहेगा और 4.00 बजे तक यह समाप्त हो जायेगा । अनुरोध यह है कि समय सीमा का ध्यान रखें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा बिजली के समबन्ध में मामला है । उसको ले लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा गन्ने का मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

वह आ जायेगा । 3.25 बजे तक कानून व्यवस्था को ले लेते हैं उसके तुरन्त पश्चात् गन्ने की सूचना आ जायेगी ।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज गन्ना किसान परेशान हैं उस मामले को पहले लें, कानून व्यवस्था को कल ले लीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष–

कौन पहले लिया जाय इसके लिए मैं सुझाव मांग रहा हूं ताकि शांतिपूर्वक कार्यवाही चले ।

---

† दिनांक 25-1-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

माननीय नेता विपक्ष, मैं पहले कानून व्यवस्थ को लूं या और विषय लूं।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, पहले कानून व्यवस्था को ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, शुरू करें यह 3.30 बजे तक समाप्त हो जाय।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? मान्यवर, कार्यस्थगन प्रश्न के लिए एक प्रक्रिया और नियमावली है उसके तहत आप 10 सूचनाओं को लेते हैं और 10 सूचनाओं में 5 सूचनाओं पर सुनने का काम करते हैं और उस 5 सूचनाओं में यह विद्युत के सम्बन्ध में सूचना पहले नम्बर पर आई है और इसके अतिरिक्त दूसरी सूचना गन्ना किसानों की है। यह सारी सूचनाएं हैं कानून व्यवस्था के बारे में एक प्रकरण आपने ले लिया, अपने विवेक से कहा था उसके आधार पर जो पहले चयनित सूचना है, उसको लेने के लिये आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो चाह रहा था कि आम सहमति बन जाय। लेकिन आम सहमति बन नहीं रही है। रामतेज जी, कृपया आप जल्दी-जल्दी समाप्त कर दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बिजली की आपूर्ति सबसे बड़ी समस्या है, वह भी रमजान के महीने में।

श्री अध्यक्ष–

आम सहमति नहीं बन रही है, इसलिये आप स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री धनीराम वर्मा–

आम सहमति नहीं बनती है, मुझे इसके लिये कुछ नहीं कहना है। नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी जाती हैं, उनको अगर सुनने के लिये कहा जाता है तो प्रायरिटी उसी की हो जाती है।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास दो विकल्प हैं। यदि आम सहमति बन जाती तो ठीक है अन्यथा फिर नियमानुसार लेना पड़ेगा। मैनें सुबह आपके अनुरोध पर व्यवस्था दी थी कि कार्यस्थगन प्रस्ताव आयेगा तो सुन लूंगा। अब कानून व्यवस्था पर नेता विपक्ष बोलें।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, इस समय सारे प्रदेश में कनून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सारे प्रदेश में कत्ल, डकैती, हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। श्रीमन् न घर में, न बाहर कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम पब्लिक का कोई व्यक्ति हो, कहीं पर कोई सुरक्षित नहीं है।

(श्री जगदम्बिका पाल तथा नेता विपक्ष के मध्य बोलने को लेकर नोक-झोंक)

श्री अध्यक्ष–

जो मैनें पूर्व में व्यवस्था दी थी, उसी के अनुसार चल रहा हूं।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् मैं अभी कह रहा था कि अपराधों की बाढ़ आ गई है और इसी कड़ी में अम्बिका जी पर हमला हुआ, जिसकी चर्चा हो चुकी है। श्रीमन् इस समय पुलिस जो है, वह रक्षक नहीं रह गई है, बल्कि भक्षक बन गई है। भक्षक इसलिये बन गई है, क्योंकि शासन का हाथ उसके ऊपर है। शासन बिना पुलिस के यह सरकार चलाने में असमर्थ है, इस कमजोरी को पुलिस ने भलीभांति समझ लिया है और पुलिस मनमाने तरीके से, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, सबको दबाने के पूरी तरह प्रयास में जुट गई है। श्रीमन् इसी का एक उदाहरण देकर अपनी बात आगे कहूंगा। पीलीभीत में जो वीभत्स कांड हुआ जिसमें राम भरोसे सड़ियालालपुर गांव का रहने वाला था, की पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी, पुलिस यह कहती है कि हमने उसको मुठभेड़ में मारा है। दो-तीन बातें और रखना चाहता हूं। मान्यवर, पहली बात तो यह है कि श्री हरीश कुमार वर्मा का अपहरण होता है और फिरौती लेकर 3-12-99 को प्रातः छोड़ दिया जाता है। पुलिस यह सोचती है कि अपहरणकर्ताओं ने अपहृत व्यक्ति को छोड़ दिया है, हमारी कोई वाहवाही नहीं है, इसलिए उसको लूटने के लिए दिन के 10 बजे से 12 बजे तक एक गन्ने के खेत को घेर कर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अपहरणकर्ता इसी खेत में हैं। पुलिस ने अपने वर्जन में कहा है कि उधर और इधर से गोलियां चलीं जिससे गोलियां पुलिस को लगीं। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। मान्यवर, सत्य बात तो यह है कि यह सब बनावटी खेल खेला गया है और जघन्य कार्य किया गया है। सत्य बात तो यह है कि पुलिस चन्द्रपाल मौर्य के घर में जाती है और वह इतना गरीब व्यक्ति है कि उसके घर में दरवाजा तक नहीं है, यह बात मैं बीसलपुर थाने की कह रहा हूं। चन्द्रपाल मौर्य का घर फूस की झोपड़ी है जिसमें न तो किवाड़ है और न कोई ताला ही लगाया जा सकता है।

पुलिस कहती है कि उस घर में बदमाश बैठे थे और वहां से मैंने हरीश कुमार जिसका अपहरण हुआ उसको रात के 9 बजे बरामद किया। इसलिए इधर से तो उस अपहृत श्री हरीश कुमार को घर से लेकर पुलिस चलती है और उधर से सी०ओ० बीसलपुर गाड़ी से आते हैं उनके साथ उनका गनर है यह घटना साढ़े छः बजे सायं की है जिसमें राम भरोसे और उसका भांजा दोनों बीसलपुर जा रहे थे क्योंकि राम भरोसे के भाई मौरंग लेने गये थे और उन्हें आने में देर हो गई थी इसलिए उन्होंने सोंचा कि कहीं गाड़ी तो नहीं टूट गई, इसलिए वे दोनों ढूंढने जा रहे थे। लेकिन उधर से सी०ओ० आते हैं तो राम भरोसे से कहते हैं कि कहां जा रहे हो। वह कहता है कि अपने भाई को देखने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने कहा तुम लोग बदमाश हो और इसके बाद पुलिस उन्हें गोली मार देती है जिससे घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस उसकी लाश को थाने ले गयी और नौ बजे रात की घटना दिखा दिया और उसके बाद कांस्टेबिल से रिपोर्ट लिखा दिया तथा राम भरोसे के हाथ में बन्दूक और भांजे के हाथ में फरसा दिखा कर दफा 307 का मुकदमा लाज करा दिया।

श्रीमन्, सिर्फ 2-3 बातें हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इसमें सी० आई० डी० जांच करा ली जाये। इसमें 3 बातों की जांच करा ली जाये। पहली बात कि अपहृत हरीश कुमार वर्मा क्या सवेरे ही मुक्त हो गया था। दूसरी बात क्या चन्द्रपाल जो खरियालालपुर का व्यक्ति है, उसके घर में किवाड़ तक नहीं हैं, जहां पर किसी को छिपा कर रख सकता हो। तीसरी यह है कि राम भरोसे को साढ़े 6 बजे मारा गया या साढ़े नौ बजे मारा गया ? श्रीमन्, इससे साफ हो जायेगा कि पुलिस का बनाया हुआ यह पूरा वाकिया है। वाह-वाही लूटने के लिए राम भरोसे की हत्या की गयी। श्रीमन्, न तो चन्द्रपाल जिसके घर में पकड़ा गया, उसके खिलाफ कोई एफ० आई० आर० है। राम भरोसे के नाम पहले एफ० आई० आर० दर्ज हुई थी, 30 साल पहले की बात है, शायद समझौता हो गया था और मुकदमा नहीं चलाया गया। राम भरोसे इतना गरीब, घर में किवाड़ नहीं हैं। जांच से स्वयं स्पष्ट हो जायेगा। मैं मौके पर गया तो इन्सपेक्टर बीसलपुर और पुलिस वहां गयी थी।

इन्सपेक्टर बीसलपुर से मैंने पूछा क्या इनको कोई सहायता दी गयी, उन्होंने कहा कि डी० एम० से कहकर 10 हजार रुपये दिलवा दिये है । मैंने कहा कि आपने अपनी सर्विस में ऐसी कोई सहायता कभी दिलवायी है । इन्सपेक्टर महोदय ने बताया कि यह मानवता के नाते सहायता दिलवा दी है । मैंने कहा इससे बात सांबित हो जाती है कि मानवीय व्यवहार तो जो मानव होता है किया जाता है, दानव से नहीं । निश्चित रूप से आपकी आत्मा ने गवारा किया होगा कि सहायता मिलनी चाहिए और डी० एम० से सहायता के लिये कहा और डी० एम० ने सहायता भी दी । मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि एस० डी० एम०, बीसलपुर पूरी तरह से इस घंटना से असंतुष्ट हैं । मान्यवर, जिस पुलिस को रक्षा करना चाहिए, वह भक्षक बन गयी और सारे प्रदेश में सरकार की कमजोरी समझ करके सरकार पर हावी हो गयी । ऐसी स्थिति में सारे प्रदेश की जनता का जन-जीवन खतरे में पड़ चुका है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो तथ्य मैंने सामने रखे हैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं । जिन 3 बातों को लेकर जांच कराने की मांग की है, जो राम भरोसे की हत्या हुई और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मारा गया । इसकी सी० आई० डी० जांच करवा ली जाये और साथ ही साथ उस गरीब, बेगुनाह राम भरोसे जिसकी हत्या हुई उसे 5 लाख रुपये हरजाने के दिये जायें, क्योंकि वह अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, 7 बच्चे हैं । 3 लड़के और 4 लड़कियां । मैंने उसको देखा है, बहुत गरीब हैं । तो श्रीमन्, उस गरीब की मदद की जाये । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष ने ठीक समय पर समाप्त कर दिया । 3.30 पर समाप्त करने के लिये मैंने कहा था, नेता विपक्ष ने 3.30 पर समाप्त कर दिया । माननीय सदस्य कल अलग से सूचना दे दें । बाकी जो सूचना है माननीय समरपाल जी कल दें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मुझे 2 मिनट दे दीजिये मैं तीसरा मिनट नहीं लूंगा । मेरे रिश्तेदार का मर्डर हुआ है । 11 अक्टूबर, 99 को बालक राम का मर्डर हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम तेज जी इसको कल दे दीजिये ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरे यहां सामूहिक हत्याकांड हुआ है सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप कल दोबारा सूचना दे दीजिये ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरे यहां एक व्यक्ति को गोली से मारा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना अलग से लिखित रूप से दे दीजियेगा ।

* श्री अनीस खां–

मान्यवर, 3-12-99 को बीसलपुर थाने के अन्तर्गत अपहरण कर्ताओं ने एक आदमी को पकड़ा । उस संबंध में पुलिस ने गजहड़ा के पास अंधाधुंध फायरिंग की । गांव के जो लोग मिले उनको बुरी तरह से मारा-पीटा । चाहे अध्यापक हो या कोई किसान हो उनको बुरी तरह से मारा-पीटा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया । उसी दिन शाम को थाना बीसलपुर के अन्तर्गत 4 थानों की पुलिस सी० ओ० की मौजूदगी में अपहरण किये गये व्यक्ति की तलाशी में जाती है । उस गांव में किसी आदमी को अपहरण करके नहीं लाया गया था । यह साढ़े 5 बजे की घटना है पुलिस ने राम भरोसे नाम के एक आदमी की हत्या कर दी । राम भरोसे बजरी रेता निकालने गया था अपने मकान बनवाने के लिये । राम भरोसे को गांव के अन्दर 50 गज की दूरी पर पुलिस ने गाली देकर रोका और पकड़ो-पकड़ो का शोर मचाया जिससे राम भरोसे बुरी तरह से भयभीत हो गया और वह भागने लगा । पुलिस ने पीछे से उसको गोली मार दी और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गयी । । घंटे के अन्दर लोग ट्राली में भरकर मेरे निवास स्थान पर आते हैं । हमारे विपक्ष के नेता श्री ने जो बात कही है वह सही कही है । घटना 5.30–6.00 बजे की है । मैं पत्रकारों को लेकर वहां 8.00 बजे पहुंच गया था । रात्रि 8.30 बजे मैं एस० डी० एम० बीसलपुर के यहां पहुंच गया । सी० ओ० का कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था । सारी पुलिस और थानों के थानाध्यक्ष षडयंत्र रच रहे थे कि कैसे घटना को छुपाया जाये । न तो मृतक के पास कोई हथियार था और न ही उसके भांजे सुरेन्द्र कुमार यादव के पास कोई बांका था । झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी कि मृतक के पास बन्दूक और उसके भांजे के पास बांका था और उसने पुलिस के ऊपर बन्दूक से हमला किया था ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, नेता विपक्ष ने सारी बातें कह दी हैं ।

श्री अनीस खां–

मान्यवर, जिस समय राम भरोसे को गोली मारी गयी सी० ओ० मौजूद थे तथा कोतवाली के कोतवाल तथा 4 थानों के एस० ओ० मौजूद थे । मान्यवर, उसकी बीवी तथा 7 बच्चे हैं, परिवार की स्थिति बहुत खराब है । मैं पूरे घटना की स्पष्ट जांच कराने की मांग करता हूं और साथ ही साथ उस परिवार के लोगों के लिये 5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें । मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दो-दो मर्डर हो गये हैं । केवल दो मिनट सुन लें । मान्यवर, केवल 7 लाइन पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं आप बैठ जायं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आसन ग्रहण करें । संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । केवल वही लिखा जायेगा जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क. पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, विरोध पक्ष के नेता जब कानून व्यवस्था पर बोलने के लिये खड़े हुए तो मैंने सोचा कि पूरे प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे । परन्तु उन्होंने एक घटना विशेष तक अपने को सीमित रखा और मैं भी उसी घटना विशेष तक सीमित रहना चाहता हूं । मेरे पास पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी है । पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है । वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री रांम तेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

श्री हुकुम सिंह–

जिस घटना विशेष का उल्लेख करके प्रदेश की कानून-व्यवस्था को उजागर करने का प्रयास किया ।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट द्वारा कुछ बोलने पर)

श्री हुकुम सिंह–

राम तेज जी, आप तो बहुत विद्वान सदस्य हैं, आपको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं । अभी आधे घण्टे के मैराथन भाषण को सुना । जिस घटना के बारे में आपने कहा है । सबको जानकारी होगी कि हरीश कुमार नामक व्यक्ति का अपहरण हो गया था । मुकदमा पंजीकृत था । उसकी तलाश जारी थी तलाशी के दौरान चन्द्रपाल एक व्यक्ति है उसके घर में दबिश दी गई और उसको बरामद कर लिया गया अपहृत व्यक्ति को इसमें 4 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया जहां तक राम भरोसे की बात है आपका कहना है कि उसकी हत्या हुई, पुलिस का कहना है कि उसके हाथ में हथियार थे । इसमें 307 का मुकदमा कायम हुआ एवं मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिये गये एवं जांच का निष्कर्ष जो भी आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी । आपका पुलिस पर विश्वास नहीं इसीलिए निष्पक्ष जांच के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जायेगी जो निष्कर्ष आयेगा उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने तीन बिन्दुओं पर जांच की मांग की है ।

श्री अध्यक्ष–

जिन तीन बिन्दुओं पर जांच की बात नेता प्रतिपक्ष ने की है जांच करते समय उन बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

यह तीनों बिन्दु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । जांच में अगर आता है कि हत्या हुई है तो बाकी दो बिन्दुओं पर कार्यवाही होगी । जांच में यह बात नहीं आती तो कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

सी० आई० डी० जांच से सरकार कतरा रही है । इन तीन बिन्दुओं पर सी० आई० डी० जांच करवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर शासन आवश्यक समझे तो सी० आई० डी० जांच करवा लें ।

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं

आज दिनांक 3-1-2000 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयी हैं प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

हमारी सूचना पर जिन मा० सदस्यों की रुचि हो उनको भी बुला लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

4.00 दजे अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत होगी ।

पहले नियम 311 की सूचना को निय 56 में परिवर्तित कर लेता था आज से यह प्रक्रिया समाप्त ।

पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल और प्रमोद तिवारी की है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रदेश के अत्यन्त लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर आपने मुझे अवसर दिया । देश की आजादी के बाद से जब यह सदन, इतिहास साक्षी रहा है कि इस सदन में सदैव प्रदेश के लाखों किसानों के हितों की रक्षा की गई । जब भी सरकारों के समक्ष प्रदेश के गन्ना किसान या चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों के भविष्य के हित में समय-समय पर सरकार ने यह निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को निजी मालिकों के शोषण से किसानों, श्रमिकों को बचाने के लिए उन तमाम बीमार चीनी मिलों का अधिग्रहण करके चीनी मिलें चलाई गई । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में यह जो सरकार है, किसानों की हितैषी कहने वाली यह सरकार है जिसके शासन में आज 18 चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं, जिसके चलते लाखों किसान प्रभावित हो रहे हैं । किसानों को अपना गन्ना नेपाल भेजना पड़ रहा है । आज प्रदेश के गन्ना किसानों को अपना गन्ना कोल्हुओं पर 40–50 रुपये प्रति कुन्टल बेचना पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किसानों की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है । आज पूर्वांचल की सितौनी, भुगोली, आनन्द नगर, नवाबगंज, बाराबंकी, गाजीपुर, बरेली आदि अन्य कई जगह चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं । श्रीमन्, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 1971 में शुगर कारपोरेशन ऐक्ट बना और राज्य चीनी निगम की स्थापना की गयी । मान्यवर, आज अनेक चीनी मिलों को बन्द कर दिया गया है और कहीं इन्हें निजी हाथों में सौंप दिया गया ।

जो चीनी मिलें आज बन्द पड़ी हैं जैसे रामपुर, बरेली, मेरठ, हरदोई की चीनी मिलें हैं उनकी जमीन लगभग 100 करोड़ रुपये की है । इन जमीनों को बेचकर सरकार लाभ कमा सकती है । पहले हमने सोचा कि सरकार चीनी मिलों को बन्द कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है लेकिन ऐसा नहीं था । आज जो चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं, जो कर्मचारी बेरोजगार हैं उनके परिवार वाले भूखें मरने के कगार पर हैं । वर्तमान मुख्य मंत्री के द्वारा इस प्रदेश की चीनी मिलों को बहुत अपेक्षा थी । पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी से जब वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे । जो चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं या खराब पड़ी हैं उनके रिपेयर के लिये पैसा दिया जा चुका है और मान्यवर, कुछ ही

समय बाद कल्याण सिंह जी ने फैसला किया कि हम इन चीनी मिलों को बन्द कर देंगे । आज यह सरकार अपने को मजदूर और किसानों की हितैषी कहती है । यह सरकार कहती है कि हमने 20 हजार किसानों के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । मान्यवर, आज यही पैसा बन्द और खराब पड़ी चीनी मिलों में लगा दिया जाता तो फिर ये मिलें चालू हो जाती हैं और लाखों बेरोजगार कर्मचारियों को रोजगार मिलता और किसानों को भी अपना गन्ना इधर-उधर न बेचना पड़ता । श्रीमन्, आज इस मूल्य वृद्धि से क्या लाभ होगा । जो चीनी मिलें बन्द हैं या बन्द होने के कगार पर हैं उन मिलों के कर्मचारियों की कालोनी में बिजली, पानी के कनेक्शन काट दिये गये हैं । उन्हें 10-10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है । ग्रेच्युटी, पी० एफ०, पेंशन आदि लाभ नहीं मिल रहे हैं । यह सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीति अपना रही है । इस सरकार ने अगर अपनी यह नीति नहीं बदली तो उत्तर प्रदेश में सारे चीनी उद्योग बन्द हो जायेंगे । आज पाकिस्तान से चीनी मंगाई जा रही है । कारगिल का मुद्दा उठा तो वहां से भी चीनी का आयात बन्द हो गया ।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पुनः पीठासीन हुए)

इस सरकार के मुखिया ने खुद कहा था कि 450 करोड़ रुपये का इसमें स्कैण्डल हुआ है और सर्वोच्च सत्ता के पदों पर बैठे हुए लोगों ने 450 करोड़ रुपया खाया है । अगर प्रदेश सरकार ने दो बार पत्र लिखा तो ओ० ली० एल० में रखा गया होगा । आज चीनी के गोदामों का भण्डार पड़ा हुआ है । 165 लाख टन का उत्पादन हो रहा है और फिर भी बाहर से चीनी मंगवाई जा रही है । पाकिस्तान जैसे मुल्क से चीनी मंगवाई गई, जिससे इस प्रदेश के गन्ना किसानों और श्रमिकों का शोषण किया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं और इससे सुनिश्चित प्रश्न कार्य-स्थगन का कोई हो ही नहीं सकता है और यह प्रश्न तात्कालिक भी है इसलिये इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर आना चाहिए जिससे गन्ना किसानों और श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सके ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि ठीक 4.00 बजे अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण है इसलिये उस समय जो भी माननीय सदस्य बोल रहे होंगे वह अपने आप बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं नीति के विषय पर आना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर कोई कैश-क्राप है तो वह है गन्ना । गन्ना नीति जिससे गन्ने की कीमत निर्धारित होती है वह दोषपूर्ण है आज जो पुरानी चीनी मिलें हैं वह बन्द पड़ गयी हैं और नई चीनी मिलें खुल नहीं रही हैं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था कि जब गन्ना किसानों का बकाया है उन्हें ब्याज दिया जाय परन्तु इस सरकार ने उस निर्णय का भी अनुपालन नहीं किया । मान्यवर, पूरे प्रदेश में अगर चीनी मिलों के रख-रखाव के संदर्भ में आप देखें तो जो बन्द पड़ी हुई चीनी मिलें हैं उन पर मात्र सौ करोड़ रुपया खर्च कर चलाया जा सकता है परन्तु इस सरकार की नीयत साफ नहीं है । यह सौ करोड़ खर्च नहीं कर सकते बल्कि ग्यारह सौ करोड़ की चीनी शत्रु राष्ट्र से खरीदे हैं जिसके साथ कारगिल में युद्ध हो रहा था, फारेन करेन्सी के रूप में शत्रु राष्ट्र को पैसा देकर मदद की गयी जिससे उसने हथियार खरीदे और फिर हमारे देश की स्वायत्तता पर हमला किया यह सब जो हुआ वह गन्ने की दोषपूर्ण नीति के कारण ही हुआ ।

मुख्य मंत्री बदल गये हैं परन्तु गठबन्धन तो वही है यह सरकार बताये कि कितनी चीनी मिलें बन्द हुई हैं और कितनी नई खुली हुई हैं और जो बन्द हुई हैं उसके लिये दोषी कौन है ? आज किसान का गन्ना खेतों में खड़ा है अगर नीति दोषपूर्ण न होती तो वह गन्ना-पेराई में चला गया होता । मान्यवर, एक साजिश हो रही है आज चीनी विभाग को ऐसी मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जो

सरकार के लिये धन इकट्ठा कर सके । चीनी मिल मालिकों के हाथ की कठपुतली बन कर यह सरकार किसानों का शोषण कर रही है । अगर हरियाणा अच्छा मूल्य दे सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता अगर हरियाणा में नई चीनी मिल खुल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खुल सकती, अगर महाराष्ट्र का किसान खुशहाल है तो उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं खुशहाल हो सकता । मैं आज इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर कहना चाहता हूं कि गन्ने का अधिक उत्पादन होने के बाद भी दुश्मन राष्ट्र से ऊंची कीमत पर गन्ना खरीदना देश हित में कदापि नहीं हो सकता । आज प्रदेश के करोड़ों किसान इससे प्रभावित हैं । यह लोकमहत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय इसलिये है कि आज की तारीख में भी किसान प्रभावित हैं और इससे बृहत्तर कार्य-स्थगन का कोई और प्रश्न नहीं हो सकता ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया है । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जब से यह बी० जे० पी० की मिली जुली सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है तब से यह किसानों का अहित कर रही है । किसानों को घोर परेशान कर रही है । हरदोई की चीनी मिल को बन्द कर दिया है। पूरे एशिया में यहां सबसे अच्छी चीनी बनती थी । इस सरकार ने इस मिल को बन्द करके किसानों की कमर तोड़ दी है । यह किसानों के हित की बात नहीं कर रही है । 18 मिलें तोड़कर इसने किसानों की हत्या की है । यह सरकार किसान विरोधी है । गन्ने के किसान की विरोधी है । किसानों को समय पर पानी नहीं मिल रहा है । आज गेहूं की खेती में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है । समय से किसान को पानी नहीं मिलेगा तो उसको परेशानी होगी । कल्याण सिंह जी के पतन का भी यही कारण है कि उन्होंने गरीबों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया । हरदोई मिल को बन्द किया अब किसानों को गन्ना रूपापुर मिल में बिक्री के लिये ले जाना पड़ रहा है वहां पर मिल मालिक उनके साथ मनमानी कर रहे हैं । कितना-कितना रुपया उनको गन्ने को ले जाने के लिये ट्राली ट्रैक्टर का किराया देना पड़ रहा है । आज हजारों रुपये का बकाया हरदोई चीनी मिल पर किसानों का है उनको वह भी नहीं दिया गया है । हरदोई चीनी मिल बन्द की गई है उसको तत्काल चालू कराया जाय ।

अगर यह सरकार इसी तरह से किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं हुई तो यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है । हरदोई मिल को तत्काल चालू कराया जाय आज वहां का हजारों कर्मचारी भुखमरी की कगार पर है । यह गम्भीर विषय है श्रीमन्, इस पर चर्चा कराई जाय । जिससे हरदोई चीनी मिल के कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान हो सके और रोजी कायम रहे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां बांट दी जायं ?

(प्रतियां वितरित की गईं)

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है चीनी मिल मालिकों से मिलकर गन्ना किसान का बड़े पैमाने पर शोषण कर रही है । यह पहली सरकार है जो गन्ना किसानों का बुरी तरह शोषण कर रही है । मान्यवर, शासन द्वारा समस्त चीनी मिलों को यह आदेश हैं कि प्रदेश की समस्त गन्ना क्रय सुरक्षित केन्द्र मिल चलने के एक सप्ताह के अन्दर तत्काल चालू करा दिये जायं, अगर गन्ना क्रय केन्द्र चालू नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ विशेष दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। परन्तु इसके बावजूद जनपद गोण्डा के मनकापुर बी में क्रय केन्द्र खोलने के लिये दो न्याय पंचायत के किसानों और प्रधानों ने अपनी मांग जिला गन्ना अधिकारी से की थी कि अगर वहां सुरक्षित गन्ना क्रय केन्द्र खोल दिये जायेंगे तो गन्ना आसानी से बिक जायेगा । 9-11-99 को गन्ना आयुक्त ने आदेश दिये कि गन्ना क्रय केन्द्र खोलकर गन्ना किसानों का गन्ना क्रय किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री रामविशुन आजाद–

मान्यवर, गन्ना क्रय केन्द्र खोलने की सारी प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी लेकिन गन्ना माफिया की मिलीभगत से इस प्रक्रिया को बन्द कर दिया गया । गन्ना किसान परेशान हैं वहां जिस तरह से गन्ना माफिया 50-60 रुपया कुन्तल गन्ना लेकर किसानों का शोषण कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री रामविशुन आजाद–

यह सरकार कहती है कि किसानों की सरकार है लेकिन यह गन्ना किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है । यदि वहां पर गन्ना क्रय केन्द्र खोलकर गन्ना खरीदने की कार्यवाही नहीं की गई तो गन्ना किसान बहुत परेशान हो जाएगा । मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मनकापुर बी में गन्ना क्रय केन्द्र खोलकर वहां गन्ना खरीद तत्काल शुरू की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके । इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं एक घंटा चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले दिनों कह चुके हैं कि वह इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं । गन्ने से संबंधित दो-तीन उद्योग हैं । पेपर मिल, शीरा और चीनी मिल । मान्यवर, 18 चीनी मिल बन्द हो गईं, जब माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो बता देंगे कि 18 चीनी मिलें बन्द हो जाने के बाद कैसे उद्योग प्रदेश बनेगा । दो महीने बीत गये हैं मिल चलने के तीन महीने होते हैं नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी, जनवरी भी बीत रहा है । नये गन्ना मूल्य की बात को कौन कहे अभी तक पिछले वर्ष का लगभग एक अरब रुपया किसानों का मिलों पर बकाया है । गन्ना मूल्य का रुपया मिलों और गन्ना समितियों में अटका है । वर्ष 1998-99 में निगम की चीनी मिलों पर 18.04 करोड़, सहकारी चीनी मिलों पर 24.19 करोड़, निजी चीनी मिलों पर 19.19 करोड़, कुल 61.62 करोड़ बकाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इसके अलावा गन्ना समितियों पर 30 करोड़ बकाया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो गन्ना समिति पैसा स्वतः खा चुकी हैं वह पैसा कहां से देंगी ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं गन्ना समितियां चाहे अर्ध सरकारी हों, चाहे पूरी सरकारी हों, गन्ना समितियां पैसा नहीं दे रही हैं क्योंकि गन्ना समितियों ने पैसा खा लिया होगा ।

वाल्टरगंज, मुन्डेरवा, बस्ती, पिपराइच, सरदारनगर, देवरिया आदि शुगर मिल का गन्ना समितियों पर बकाया है । खलीलाबाद चीनी मिल चार साल से बन्द पड़ी है । वर्ष 1996-97 में खलीलाबाद चीनी मिल पर 2 करोड़ 17 लाख बकाया था वर्ष 1997-98 में 3 करोड़ 73 हजार बकाया था, कुल 5 करोड़ 90 लाख उस पर बकाया है । मिल बन्द है मिल मालिक को आर० सी० जारी की गयी है हाई कोर्ट में स्टे हो गया है, कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है । जहां तक सरदार नगर चीनी मिल की बात है इस पर वर्ष 1995-96 में 2 करोड़ 53 लाख, 1996-97 में 17 करोड़ 38 लाख, 1998-99 में 2 करोड़ 98 लाख बकाया है । सरदार नगर चीनी मिल पर अकेले 22 करोड़ 09 लाख रुपया बकाया है । तो इस प्रकार से एक अरब से ज्यादा रुपया बकाया है । अगर यह पैसा किसानों के घर पर आता तो किसान अच्छा होता । आज किसानों के पास तमाम समस्यायें हैं । उसके लड़के की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, लेकिन जब घर पर पैसा नहीं होगा तो वह कैसे अपने कार्यों को करेगा । जो किसानों का बकाया है मैं उसको बता रहा हूं । शाह नगर, जौनपुर में 86 लाख, राम कोला का 83 लाख, छितौनी का 82, कुशीनगर का 1.63 लाख, भटनी का 86 लाख, बैतालपुर का 86 लाख, सिसवां का एक करोड़, मुन्डेरवा का 78.66 हजार, डोईवाला, सहारनपुर का 1.05 लाख तथा अमरोहा का एक करोड़ 53 लाख रुपया बकाया है । गन्ना समितियों पर बकाये के बारे में कहना चाहूंगा कि मुन्डेरवा पर 1 करोड़ 65 लाख, बस्ती पर 2 करोड़, वाल्टरगंज पर 2 करोड़, पिपराइच पर एक करोड़ 40 लाख, सरदार नगर पर एक करोड़, लक्ष्मीगंज, कुशीनगर पर एक करोड़ 45 लाख, गौरीबाजार का एक करोड़, देवरिया का एक करोड़ 26 लाख, बाराबंकी पर 83 लाख, ऐटा, लखीमपुर का 98 लाख रुपया बकाया है । इस प्रकार कुल 30 करोड़ रुपया होता है । यह समस्या किसानों की अहम समस्या है । इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर विधिवत चर्चा करायी जाय ताकि गन्ना किसानों के मूल्य का आसानी से भुगतान हो सके ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह प्रकरण 32 लाख गन्ना काश्तकारों से जुड़ा हुआ है । यह तात्कालिक भी है और अविलम्बनीय भी है । आपसे मैं यह निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि विगत लोक सभा के चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री श्री बाजेपयी जी, उत्तर प्रदेश में विगत लोक सभा चुनाव के अभियान के दौरान प्रदेश के कई जनसभाओं में तथा विशेषकर पूर्वांचल की अनेक सभाओं में यह आश्वासन दिया था कि जो जर्जर और बीमार चीनी मिलें हैं पूर्वांचल की, इन मिलों को बन्द करने के बजाय इन्हें सुदृढ़ और इनकी क्षमता को बढ़ाने की खातिर कार्य योजना सरकार बनायेगी । लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के इस आश्वासन के बावजूद विगत अक्टूबर, 99 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने निगम की और 6 चीनी मिलों को बन्द कर दिया गया है पांच मिलें पहले बन्द कर दी गयीं इस प्रकार निगम की कुल 11 मिलों को बन्द कर दी गयीं और प्रदेश सरकार यह मुनादी कराती है कि पिछली पेराई सत्र की तुलना में इस बार चीनी के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है चीनी उत्पादन के वर्तमान लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है जब कि जो चालू चीनी मिलें थी उन्हें बन्द कर दिया गया इतनी संख्या में मिलों के बन्द हो जाने से आज किसानों तथा मजदूरों के समक्ष एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है । इन चीनी मिलों से लाखों परिवार की जीविका चलती थी लेकिन आज उनके सामने एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिसम्बर में इस बात को स्वीकार किया है कि गन्ना काश्तकारों का 70 करोड़ रुपया बकाया है और इसका भुगतान शीघ्र कराने का इन्तजाम किया जायेगा

लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने 70 करोड़ रु० किसानों को दिलवा सके इसके लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं किया । हमारे बगल के प्रदेश हरियाणा में 110 रु० गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य वहां की सरकार दे रही है जवाहर लाल नेहरू जी जब प्रधान मंत्री थे तब श्री रफी अहमद किदवई साहब की सदारत में एक कमेटी गन्ना मूल्य निर्धारण हेतु बनी थी जिसने मूल्य निर्धारण का फार्मूला बनाया । यदि फार्मूले को माना गया होता तो उ० प्र० के गन्ना किसानों को 110 रु० से कम मूल्य न मिलता । जो 85 रु० गन्ना मूल्य निर्धारण किया गया है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वह न्यायोचित नहीं है । इस तात्कालिक प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, गन्ना हमारे प्रदेश का एक प्रमुख स्रोत है करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी गन्ने की खेती और चीनी उद्योग पर टिकी हुई है । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की गलत एवं किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान भुखमरी के कगार पर है । उनको गन्ने का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है । जमुना के उस पार हरियाणा में जायें तो 110 रु० मिल रहा है और जमुना के इस पार शामली बागपत आदि स्थानों पर आयें तो 85 रु० और वह भी उ० प्र० में यह भरोसा नहीं कि कब भुगतान हो गया जबकि वहां नकद ।

मान्यवर, किसान का पूरा परिवार मेहनत करता है इस आशा से कि पेमेन्ट मिलेगा तो अपने बच्चों की पढ़ाई करायेंगे लड़की के हाथ पीले करेंगे और अगली फसल की तैयारी करेंगे । जब दाम नहीं मिलता है तो उसकी स्थिति समझी जा सकती है । बिजली का बिल किसी का 5000 रु० से ऊपर बकाया है तो बत्ती काटी जा रही है, आर० सी० कट रही है लोग जेलों में बंद किये जा रहे हैं और यह जो 100 करोड़ से ऊपर गन्ना किसानों का बकाया है उसका पेमेन्ट नहीं करा पा रहे हैं । तीन महीने हो गये हैं चीनी मिलों को चालू हुए, एक नये पैसा का भुगतान कहीं भी किसानों को नहीं हुआ है । उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं । रोजमर्रा के खर्च के लिये उनके पास पैसा नहीं है । जब हमारे गन्ने की रिकवरी मान्यवर ज्यादा है उससे ज्यादा चीनी पैदा हो रही है तो क्या कारण है कि वहां 110 रु० का रेट है और हमारे यहां 85 रु० का रेट है । अभी आपने 5 रु० रेट बढ़ाया । जबकि महंगाई 40 फीसदी बढ़ गयी है । आप बता दें कि कितना फायदा आपने पूंजीपतियों को कराया । 12 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से आपने चीनी मिल मालिकों का फायदा कराया है । शीरे को आपने डिकंट्रोल कर दिया । जो समितियों को टैक्स जा रहा था उसको कम कर दिया है, विकास शुल्क कम कर दिया, लेकिन सरकार उनसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही है कि जो पिछला बकाया है उसका भुगतान कर दें । 1996-97 में सरकार ने मूल्य घोषित किया था 72 रु० निजी चीनी मिल मालिकों ने 70 रु० के हिसाब से भुगतान कर दिया ।

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय उच्च न्यायालय के सामने जब वह गये तो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया कि यथाशीघ्र किसानों को 2 रुपये प्रति कुन्तल का जो बकाया है वह 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जोड़कर दिलवाया जाय लेकिन 6 माह से ज्यादा हो गये, फरवरी में एक साल हो जायेगा और यह सरकार किसानों को 2 रुपये का बकाया नहीं दिलवा रही है । यह सरकार किसान विरोधी सरकार है । यह सरकार पूंजीपतियों की हिमायती सरकार है । भाजपा सरकार ने देश में चीनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का पर्याप्त भण्डार होते हुए भी एक ऐसे देश से जहां से युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से चीनी का आयात कर देश में चीनी की मात्रा बढ़ाकर किसानों के विरुद्ध काम किया है और किसान विरोधी नीति को अपनाने का काम किया है । यह प्रश्न तात्कालिक है, किसान भूखों मर रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है यह लोकमहत्व का प्रश्न है । लोकमहत्व का इसलिये है क्योंकि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समस्त कार्यवाही को रोककर लोकमहत्व के इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं 18 चीनी मिलें बन्द हो गयी हैं । यह सरकार किसान विरोधी है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, राम जग जी आप बैठें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, किसानों का पैसा तत्काल दिया जाये और यह सरकार किसानों के हित में काम करे ।

श्री राम नक्षत्र–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आपकी एक अन्य सूचना पर हस्ताक्षर हैं उस पर बोलियेगा यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा ।

नेता, विरोधी दल (श्री धर्नाराम वर्मा)–

श्रीमन्, गन्ना किसानों से सम्बन्धित जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । समर्थन इसलिये करता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से गन्ना किसान विरोधी ही नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आजादी के पहले गन्ने का उत्पादन पूरे देश का 53 प्रतिशत होता था, आज स्थिति यह है कि पूरे देश का केवल 24 प्रतिशत उत्पादन इस प्रदेश में हो रहा है । पहले केवल 25 प्रतिशत गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ करता था, वह आज बढ़कर 50 प्रतिशत पहुंच गया है । श्रीमन्, ऐसा क्यों है, ऐसा निश्चित तौर से प्रशासन की अक्षमता, अधिकारियों की अकर्मण्यता और शासन और अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से है । यह लोग इस विभाग से अनापशनाप तरीके से लूटखसोट करते रहे और किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते रहे । चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, आज वहां गन्ने की कीमत 110 और 105 के करीब मिलती है और यहां उत्तर प्रदेश में 5 रुपया बढ़ाकर 90-95 की बात की गयी है ।

श्रीमन्, आप भी अवगत होंगे यदि आप गन्ना क्षेत्र से चुनकर आये होंगे, आपके यहां भी कोई चीनी मिल यदि होगी, क्रेशर होंगे तो मालूम होगा कि इस सरकार ने किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं दिया है और किसान क्रेशर मालिकों को 40 रुपये क्विंटल गन्ना बेचने के लिये मजबूर हैं । इसलिये मजबूर हैं क्योंकि किसानों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में ठूंसा जा रहा है और किसानों का जो पैसा बकाया है, वह भुगतान नहीं किया जा रहा है । हमारे कई साथियों ने कई चीनी मिलों की

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बकायेदारी की बात कही है। मैं पिछले दिनों बीसलपुर गया था, वहां रामसिंह भूतपूर्व विधायक अनशन कर रहे थे। वहां की चीनी मिल पर 2 करोड़ 40 लाख का बकाया है, किसान परेशान थे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है और किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि या तो गन्ना किसानों का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर कर दिया जाय और अगर सरकार भुगतान करने में असमर्थ है तो उनके ऊपर लगान, आबपाशी आदि के जो देय हैं, उनकी वसूली स्थगित कर दी जाय, यह दोनों ही बातें जेनविन हैं। जब यह दोनों बातें हल हो जायेंगी तो सरकार अपना देय किसान से पा जायेगी इससे सरकार के पास पैसा आ जायेगा और किसान का उत्पीड़न नहीं होगा। इसलिये मेरी मांग है कि सरकार एक सप्ताह के अन्दर किसानों का बकाया भुगतान कर दें अन्यथा वसूली बन्द कर दी जाय साथ ही मैं यह भी मांग करता हूं कि किसान का पैसा जब से बकाया है, तब से उस बकाये पर उसे ब्याज भी दिया जाय।

श्रीमन्, जो गन्ना मिलें बन्द कर दी गयी हैं उसमें किसानों की गलती नहीं है बल्कि यह गलती शासन और प्रशासन की मिलीभगत से है। जिन क्षेत्रों की गन्ना मिलें बन्द की गयी हैं यदि वहां बुवाई से पहले घोषणा कर दी जाती और किसानों को नोटिस दे दी जाती कि गन्ना मत बोयें चूंकि अमुक-अमुक क्षेत्रो की चीनी मिलें बन्द कर दी जावेंगी तो गन्ना किसान खेतों में गन्ना न बोता किन्तु जब किसानों ने गन्ना बो दिया और उसके बाद में 18 चीनी मिलों को बन्द करने की घोषणा की गयी तो इससे गन्ना किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। वे किसान अपना गन्ना क्या करेंगे जिस किसान ने खाद, बीज मेहनत करके गन्ना पैदा किया है और सरकार ने उनके क्षेत्र की चीनी मिलें बन्द कर दिया है तो वे किसान अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, खाने-पीने और कपड़ों की व्यवस्था कैसे करेगा। इसलिये सरकार से मेरा आग्रह है कि उन किसानों का गन्ना उसी रेट पर सरकार खरीदे जिस रेट का सरकार ने निर्धारण किया है अन्यथा उन किसानों का शोषण है। मान्यवर, इस सरकार की अकर्मण्यता का पर्दाफाश करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों की चीनी मिलें बन्द कर दिया है वहां के किसानों का गन्ना खरीदा जाय, गन्ना के बकाये का भुगतान गन्ना किसानों को किया जाय और उनका उत्पीड़न रोका जाय, चूंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है इसलिये इसमें सदन में चर्चा करायी जाय।

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों ने प्रदेश में गन्ना मूल्य भुगतान तथा चीनी मिलें बन्द करने के सम्बन्ध में यहां कुछ बातें उठायी हैं जिनके संबंध में मैं कुछ तथ्यों से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय राम प्रकाश गुप्त, मुख्य मंत्री बनने के बाद हमारी सरकार का सबसे पहला सकारात्मक निर्णय गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पांच रुपये प्रति क्विंटल रेट बढ़ाने की घोषणा की गयी जो कई प्रदेशों की तुलना में अधिक है। मान्यवर, आप देखें कि आंध्र प्रदेश में गत वर्ष गन्ना मूल्य 62.25 रुपये प्रति क्विंटल था। इस वर्ष रिकवरी के आधार पर तीन रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कुछ फैक्ट्रीज में 9.8 प्रतिशत रिकवरी अधिक है इसलिये तीन रुपये बढ़ाया गया। लेकिन जहां 9.8 प्रतिशत से रिकवरी कम है वहां दो रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। इसलिये उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य बढ़ा है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की सरकार में आप देखें तो कर्नाटक में जो प्राईज तय किया गया 82.50 रुपये प्रति क्विंटल और कुछ स्थानों पर 85–87 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया। इसी प्रकार तमिलनाडु में सरकार की कुछ फैक्ट्रीज में 70.25 रुपये प्रति क्विंटल और कुछ में रिकवरी के आधार पर रेट निर्भर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मात्र 66 रुपये प्रति क्विंटल रेट है। इसी तरह बिहार में 82.50 रुपये का रेट गेट पर है। पंजाब में गत वर्ष गन्ने का रेट 91–95 रुपये प्रति क्विंटल था और हरियाणा में इस वर्ष 104–110 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट है।

हरियाणा में 104 रुपये और 110 रुपये प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य है । महाराष्ट्र के अन्दर वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, रु० 50.10 है गन्ने का मूल्य है रिकवरी तथा लाभ के आधार पर उसके ऊपर फार्मूला के आधार पर और गन्ना मूल्य दिया जाता है । मान्यवर, इस प्रदेश में गन्ना मूल्य सिवाय दो प्रदेशों को छोड़कर सर्वाधिक है । मैं माननीय सदस्यों को इस सन्दर्भ में बताना चाहता हूं । जब यह सरकार बनी थी जो लगभग 70 करोड़ रुपये गन्ने का मूल्य 98-99 में बाकी था ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बीच में न बोलें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

वर्ष 98-99 का 3260 करोड़ के लगभग भुगतान करना था । पहली जनवरी तक 3221.84 करोड़ का भुगतान किया गया है, मात्र 38 करोड़ 16 लाख के करीब अब भुगतान बाकी है । मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार इस महीने के अन्त तक पिछले वर्ष का भुगतान सुनिश्चित करायेगी और जो चीनी मिल भुगतान नहीं करेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारा नया पेराई सत्र शुरू हो गया है । पहली जनवरी, 2000 तक जो देय है, 604 करोड़ है, 190 करोड़ दिया जा चुका है । मान्यवर, यह भी सरकार का प्रयास है कि यथाशीघ्र गन्ना किसानों को यह भुगतान किया जाये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो मिलें समय से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करेंगी उनसे ब्याज सहित मूल्य भुगतान कराया जाये ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के हित के लिये गन्ने का मूल्य बढ़ाया है । हमारे किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान हो, इसके लिये प्रयास किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि चीनी पर आयात कर बढ़ाया जाये । मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं । जो 27 प्रतिशत था उसे 40 प्रतिशत कर दिया गया है । इससे उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा । इससे किसानों को भी लाभ होगा । कुछ माननीय सदस्यों ने गन्ना क्रय केन्द्रों की बात कही है । किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसी बात है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप स्थान ग्रहण करें । जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं, प्रश्न का उत्तर पूछना चाहते हैं । बीच-बीच में माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं तो ऐसे कैसे कार्यवाही चलेगी । पहले उत्तर आ जाने दीजिए जो शंकाएं होंगी उस पर कार्यवाही करवा देंगे । अभी पूरी बात नहीं हो सकी है । कृपया आप बैठें । आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर पिछले वर्षों का गन्ना मूल्य का जो बकाया है उसके संबंध में चिन्ता व्यक्त की है । मान्यवर, बिलारी चिलवरिया और सरदारनगर चीनी मिलों पर रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये गये हैं । इस तरह से मलकपुर चीनी मिल के चीनी स्टाक को जिलाधिकारी के अधीन दे दिया गया और भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, खलीलाबाद चीनी मिल पर बकाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी आप जैसे वरिष्ठ सदस्य यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? मंत्री जी को अपनी बात कह लेने दें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय सदस्य ने खलीलाबाद की बात कही है । उस मिल पर 217.26 लाख का अवशेष है और उसके लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किया गया है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है । मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश की कुछ चीनी मिलें बंद की गयी हैं जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है । जिन 11 चीनी मिलों को बन्द किया गया है उनका इस्टीमेटेड नेट लास 99-2000 में 590 करोड़ रुपये के लगभग था । वित्तीय कारणों से सरकार ने मजबूरन इन मिलों को बन्द करने का निर्णय लिया ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से 3 बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं जिनका माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है । पहला तो यह है कि जो चीनी मिल बन्द की गयी हैं उनमें कर्मचारी 25–30 साल से कार्यरत हैं उनका क्या होगा । दूसरा प्रश्न यह है कि जिन क्षेत्रों की चीनी मिलों को बन्द किया गया है उस क्षेत्र के गन्ना किसानों के गन्ने का क्या होगा ।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

तीसरी बात यह है कि जिन किसानों का चीनी मिलों पर पैसा बकाया है उसका भुगतान जब तक नहीं होता है तब तक किसानों पर जो सरकारी देय हैं उसको वसूली में जो उनका उत्पीड़न होता है क्या उसको रोका जायगा । मेरे इन तीन प्रश्नों का स्पष्टीकरण दिला दें ।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वीकोड क्रय केन्द्र खोलने के लिये केन कमिश्नर ने 9/11 को आदेश दिया था । बभनान शुगर मिल ने कार्यवाही शुरू की थी लेकिन गन्ना अधिकारी ने कांटा गिरवा दिया । वहां के 14 ग्राम प्रधानों ने लिखकर दिया था कि उनका गन्ना खड़ा हुआ है उनको मजबूर किया जा रहा है कि उनका गन्ना औने-पौने दामों पर दूसरे क्रय केन्द्रों पर ले जाया जाय । मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर कांटा लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाय ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, एक अरब रुपये से ज्यादा बकाया के आंकड़े दिये हैं । 30 करोड़ रुपया गन्ना सहकारी समितियों ने गन्ना किसानों का उपयोग कर लिये हैं । 61 करोड़ रुपया अलग-अलग सहकारी, सरकारी तथा निजी चीनी मिलों पर बकाया है । इस प्रकार 90 करोड़ रुपये के बकाये का अलग आंकड़ा दे करके बताया है । आप कह रहे हैं कि 30 करोड़ रुपया पिछला बकाया है । आप अलग-अलग बता दें कि गन्ना समितियों में कितना बकाया है और अलग-अलग चीनी मिलों में कितना बकाया है और इस वर्ष किस चीनी मिल ने भुगतान किया । आपने बताया कि 199 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है । आप बाइफरकेट करके बता दें कि किस-किस मिल ने किया है ? यहां पर उद्योग लगा नहीं और उल्टे 18 चीनी मिलें बन्द हो गयीं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन बातें स्पष्ट करने हेतु निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बात स्पष्ट नहीं किया कि निगम की जिन 11 जर्जर मिलों

को, जिनकी स्थापना स्वाधीनता के पूर्व की हैं और अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सुधार के नाम पर तथा इन इकाइयों को निरन्तर घाटे में होने का बहाना बनाकर बन्द कर दिया गया है। उनके संबंध में मेरा यह कहना है कि आपका यह संकल्प होना चाहिए कि आप इन इकाइयों के घाटे में जाने के कारणों के तह तक जाते। इसमें न तो कर्मचारी भागीदार हैं, न किसान भागीदार हैं, इसमें निगम के कर्मचारियों और अफसरशाही की, इन इकाइयों को बीमार और रुग्ण बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है। यह स्पष्ट नहीं किया कि जो इकाइयां बन्द हैं उनकी पेराई क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई गई ? प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी पेराई क्षमता को बढ़ाने की थी वह बढ़ाई नहीं गयी परिणाम स्वरूप इकाइयां निरन्तर घाटे में चली गयीं।

दूसरे आपने उन प्रदेशों की फेहरिस्तें गिनाई जो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम महत्व रखते हैं। उन प्रदेशों की तुलना करके आपने कहा कि उनसे ज्यादा गन्ने की कीमत तय किया है। जब एक सिद्धान्त प्रतिपादित है कि चीनी के उत्पादन और गन्ने के दाम के बीच में संतुलन होना चाहिए। किदवई फार्मूले के मुताबिक किसानों को लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार गन्ने की कीमत तय नहीं कर रही है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह उत्तरदायित्व किसका है कि जिन मिलों को बंद किया गया है और उनसे जुड़े जो मजदूर हैं, उन पर आश्रित लाखों परिवार हैं वह कहां जायेंगे। बी० आइ० सी० की 3 इकाइयां बन्द हैं। उनमें से देवरिया जनपद की गौरीबाजार भी बन्द है। इन इकाइयों पर किसानों का बड़ा बकाया है। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान नहीं करा पायी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान/शोर)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हमारे क्षेत्र में पुसेंडा गन्ना सेन्टर खोलने के लिये जिलाधिकारी, हरदोई, गन्ना आयुक्त, उपायुक्त गन्ना ने माननीय गन्ना मंत्री जी को लिखा था। आज तक गन्ना सेन्टर नहीं खोला गया जबकि पुसेंडा गन्ना क्रय केन्द्र 40-50 वर्षों से चल रहा था। अगर एक विधायक के लिखने पर गन्ना सेन्टर नहीं खुलवा सकते तो यह गन्ना किसानों के लिये क्या भलाई करेंगे ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्यों के विचार एवं मंत्री जी के विचार सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री समर पाल सिंह–

यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग स्थान ग्रहण करें।

(इसी मध्य किसान कामगार पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गये)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन को त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये)

श्री समर पाल सिंह–

किसानों का दो-दो साल तक का पैसा बकाया है । 1966 में सुगर केन कंट्रोल आर्डर बना उसमें यह प्राविधान है कि अगर कोई चीनी मिल 14 दिन के अन्दर किसानों के बकाये का भुगतान नहीं करती है तो विलम्ब से हुए भुगतान पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल मालिकों को, किसानों को देना होगा । क्या वह ब्याज आप दिलवा रहे हैं ?

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैंने जिन तीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से मांगा है आप कृपया उनको निर्देशित करें कि हमारे माननीय सदस्यों की शंकाओं का समाधान स्पष्टीकरण देकर करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पूर्व अधिष्ठाता महोदय श्री डंग साहब ने कहा था कि जिन दो-तीन सदस्यों की सूचनाएं हैं, पहले उन सबको सुन लिया जाये बाद में मंत्री जी का उत्तर लिया जाये । इसलिये माननीय सदस्यों को सुन लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन-जिन सदस्यों के नाम लिस्ट पर हैं उनके विचार आ चुके हैं । अब माननीय मंत्री जी को बोलने दिया जाये ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, कृपया हमारी बात भी सुन ली जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर,11 चीनी मिलें बन्द हैं । महोली, नवाबगंज की चीनी मिलों के कर्मचारियों का भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी तथा अन्य चीनी मिलों के कर्मचारियों का भुगतान भी शीघ्र ही किया जायेगा । जहां तक बन्द चीनी मिलों के क्षेत्रों के गन्ना किसानों का प्रश्न है और जो गन्ना किसानों ने पैदा किया है उसके लिये शासन ने सारे गन्ना किसानों को किसी न किसी क्षेत्र से सम्बन्धित कर दिया है जहां वह अपना गन्ना दे सकते हैं । गन्ना किसानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है । तीसरा प्रश्न बन्द चीनी मिलों का शेष भुगतान का है, इस महीने के अन्त तक सरकार का प्रयास होगा कि जितना पिछला भुगतान है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

एक प्रश्न और रह गया है, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं और वह है गन्ना किसानों का उत्पीड़न। उनका बकाया भुगतान या तो तुरन्त कर दिया जाये, और यदि तुरन्त सम्भव न हो तो उनके उत्पीड़न की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाये । इस बारे में माननीय मंत्री जी का क्या कहना है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

ऐसा एक भी प्रकरण हमारे सामने नहीं है । यदि आपके पास कोई उत्पीड़न का मामला है तो उसे बता दें, हम दिखवा लेंगे ।

श्री कौकब हमीद–

यह सरकार कुछ नहीं कर रही है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह सरकार गन्ना किसानों और मजदूरों की घोर विरोधी है । हमारा दल किसानों के हितों को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिये इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(नेता विरोधी दल अपने/दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अन्य सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें । कुंवर रेवती रमण सिंह जी क्या आप अपनी सूचना पर बोलेंगे ?

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह जी, मैंने आपकी सूचना को अग्राह्य कर दिया है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, हरियाणा में किसान अपना गन्ना 110/- रुपये प्रति कुन्तल पर बेच रहा है और यहां 40/- रुपये पर । मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है । मैं और मेरे दल के सदस्य इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कुंवर रेवती रमण सिंह जी को बुलवा लिया है, इसलिये माननीय श्री रामजग जी आप बैठें।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रकरण समाप्त हो गया है । इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है । आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं । अब जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री प्रमोद कुमार भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज पूरा प्रदेश बिजली की कटौती से त्रस्त है । नियम–56 की जो तीनों शर्तें होती हैं, उसे यह पूरा करता है ? यह लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक भी है । जब से यह सरकार प्रदेश में आयी है या यह सरकार बनी है । चार तरह के स्रोत होते हैं बिजली पैदा करने के । एक तो जल विद्युत द्वारा, एक कोयले से तापीय और एक गैस पर आधारित और एक एटोमिक एनर्जी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जब से यह सरकार बनी है जो यहां पर पदारूढ़ हुई है । इस प्रदेश में

एक भी मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस सरकार ने नहीं किया है और उसका नतीजा है कि आज जब यह शीत लहरी चल रही है, बिजली की आवश्यकता जब शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल में है, व्यापारियों को है, छात्रों को भी है तब यह बिजली की भीषण कटौती कर रहे हैं 600–700 मेगावाट कटौती हो रही है । अगर यह टिहरी परियोजना पूरी कर देते उसके लिये पर्याप्त धन दे देते तो आज 400 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन सस्ते दामों पर हो जाता और जो 6 से 10 बजे तक बिजली काटते हैं वह कटौती भी न होती । लेकिन मान्यवर, इतना दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि टिहरी परियोजना को यह पूरा नहीं कर पा रहे हैं । मनेरी भानी और वह एक ऐसी तापीय इकाई जहां टाण्डा की इकाई लगी है उसको यह एन०टी०पी०सी० को बेचने जा रहे हैं ।

नये मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम औद्योगीकरण करेगें । उद्योग लगायेगें । उद्योग काहे से चलेगें, पानी से चलेगें क्या ? बिजली हमारे प्रदेश में है नहीं । केन्द्र सरकार भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है । अभी बिहार को 2600 मेगावाट के लिए 2600 करोड़ रुपये दिया और उत्तर प्रदेश में मान्यवर एन०टी०पी०सी० का संयंत्र लगाने के लिये हमारे प्रधान मंत्री वहां गये लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश को एक भी मेगावाट की इकाई लगाने का पैसा नहीं दिया । कर्नाटक को एक हजार मेगावाट बिजली लगाने के लिये काउन्टर गारन्टी दे रहे हैं हमारे प्रदेश में होगा क्या ? यह विद्यार्थियों, व्यापारियों और किसानों के लिये सिंचाई की परेशानी का प्रश्न है । आपके माध्यम से इस सरकार की भर्त्सना करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा करवायें । इससे ज्यादा तात्कालिक और लोक महत्व का दूसरा प्रश्न और कोई नहीं हो सकता, 6 से 10 बिजली काट रहे हैं व्यापारियों को दुकानें बन्द करनी पड़ती है जल्दी । किसानों को कई-कई दिन बिजली नहीं दी जा रही है । अगर यह सरकार बिजली का उत्पादन नहीं करेगी तो हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से कैसे आगे बढ़ेगा ? इस तात्कालिक प्रश्न पर आपसे मांग करूंगा कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

एक निवेदन रहेगा कि जो सदस्य बोलें वे इस बात का ध्यान रखते हुए कि समय के अन्दर अपनी बात कहें और जिन बातों का जिक्र वह करें उनका उल्लेख पहले न हुआ हो ।

श्री लालजी वर्मा–

आज पूरे प्रदेश में विद्युत की अघोषित कटौती हो रही है । पूरे प्रदेश स्तर पर विद्युत की आपूर्ति ठप्प सी हो गई है । विशेष कर इस समय जब रबी की फसल की सिंचाई का अवसर है तो विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । जहां एक तरफ रबी की फसल के लिये, सिंचाई के लिये बिजली की आवश्यकता है दूसरी तरफ आने वाली परीक्षा के लिये, जब परीक्षा की तैयारी में जुटने का काम करना है तो बिजली की कटौती हो रही है । तीसरा जब रमजान का महीना है । रोजा रखने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय के जहां-जहां ज्यादा संख्या में हैं वहां अधिक बिजली की कटौती हो रही है । अम्बेदकरनगर में 440 थर्मल पावर केन्द्र लगा है । जहां एक ओर पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है वहीं पर टाण्डा थर्मल परियोजना को यह विद्युत विभाग वाले कौड़ियों के दाम पर एन०टी०पी०सी० को बेचने की साजिश कर रही है । आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां आज बिजली की आवश्यकता किसानों को रबी की फसल की सिंचाई के लिये है, छात्रों को आने वाली परीक्षा की तैयारी करने के लिये है । रमजान के [illegible]े में जो बिजली की आवश्यकता है। विद्युत कटौती शुरू कर दी गई है। अम्बेदकरनगर में 4 बजे शाम को निश्चित रूप से बिजली काटी जाती है और वह रात को 12 बजे से पहले किसी भी दिन नहीं आती है । सुबह चार बजे से जो बिजली काटी जाती है वह

8, 9, 10 बजे तक नहीं आती है । कुल मिलाकर 24 घंटे में 5,.6, 7, 8 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है । आज पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है ।

माननीय कुंवर साहब ने इशारा किया कि क्या कारण है, किसी उत्पादन को बढ़ाने का काम नहीं कर पा रहे हैं, यह साजिश रची जा रही है । विभिन्न प्रान्तों को सहायता दी जा रही है । अभी नरेश चन्द्र जी ऊर्जा मंत्री ने कहा (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, जहां बिजली पैदा होती है मैं उसी क्षेत्र से संबंधित हूं, यह सरकार आर०एस०एस० के दबाव में चल रही है इसी कारण मंत्रि-मंडल के सदस्यों में घमासान मची है इसके चलते प्रदेश की हालत यह हो रही है । जहां अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां विशेष रूप से कटौती का काम किया जा रहा है । टांडा थर्मल पावर अच्छा काम कर रही है लेकिन इसको भी एन०टी०पी०सी० को देने का काम किया जा रहा है । इससे विशेषकर किसानों, छात्रों में आक्रोश व्याप्त है बिजली की आपूर्ति न होने के कारण जनता परेशान है । यह अति लोक महत्व का प्रश्न है इससे सारे उद्योग जुड़े हैं किसानों की फसल का उत्पादन इससे जुड़ा है, छात्रों की पढ़ाई इससे जुड़ी है मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि निश्चित रूप से ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय कुंवर साहब ने प्रश्न उठाया और जिस पर चर्चा की मांग की, मैं उसी पर दो मिनट कहना चाहता हूं । मान्यवर, विद्युत आपूर्ति अनियमित है, कटौती हो रही है, इस तथ्य की ओर माननीय वर्मा जी और कुंवर साहब ने ध्यान आकर्षित किया । पिछले मुख्य मंत्री कहते थे कि वह इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और वर्तमान मुख्य मंत्री कहते हैं कि औद्योगिक प्रदेश बनाना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि विद्युत आपूर्ति पर्याप्त न होने की दशा में किसी प्रदेश को उत्तम प्रदेश या औद्योगिक प्रदेश बनाया जा सकता है ? किसान पर जहां चारों तरफ से आफत आ रही है, वर्षा नहीं हो रही है, विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, गेहूं की बुआई के बाद सिंचाई का मौसम आ गया और पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, मिलें गन्ना नहीं ले पा रही हैं, विद्युत आपूर्ति नहीं होगी तो खांडसारी उद्योगों को भी नुकसान होगा हर तरफ भारी नुकसान हो रहा है । उद्योगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है । विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की बात उद्धृत करूं तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कृषि क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति की निरन्तर कटौती हो रही है और इससे यह तत्काल समझ में आ जाता है कि यह प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं या निम्न प्रदेश बना रहे हैं । कानून व्यवस्था को ले लीजिए, कानून व्यवस्था से दूसरी बातें जुड़ी हैं यह कहा जाता है कि रात 12.00 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली दी जाएगी मान्यवर, अगर उस समय किसान सिंचाई करेगा तो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, खेत में जब रात में सिंचाई की जाती है तो किसान का खेत से अपहरण कर लिया जाता है इससे किसानों में भय व्याप्त है और इसी भय से किसान रात में अपने खेतों पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं । व्यापारियों का हाल देखिये । व्यापारियों को विद्युत नहीं मिलती है और उनको जनरेटर चलाना पड़ता है । इससे डीजल की खपत बढ़ रही है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है । आप बाजार से निकल नहीं सकते हैं इतना प्रदूषण हो गया है । छात्रों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं। विद्युत के न आने से उनको बहुत कठिनाई हो रही है लेकिन यह सरकार सो रही है ।

मान्यवर, ढाई साल से यह कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र में एम०ओ०यू० साइन कर दिया है और नये बिजली घर लगेंगे । लेकिन वह भी नहीं हो रहा है और जो पुरानी लम्बित पड़ी परियोजनाएं हैं उनको भी धन देकर पूरा नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, एक विधेयक पारित हुआ यह कहा गया कि विद्युत नियामक आयोग बनाया जायेगा । एक तरफ तो इसकी बात करते हैं और वहीं दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री जी यह कहते हैं कि अगर विद्युत परिषद् सही ढंग से काम करेगा तो इसे रोका भी जा सकता है । कभी कहते हैं कि 10 तारीख की बैठक में इसमें मोहर लगेगी तो इस तरह से एक संशय की स्थिति पैदा

हो गयी है और काम ठप्प हो गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि यह सही कदम सुधार के रूप में नहीं उठाना चाहते हैं और इन सबके पीछे विश्व बैंक का आदेश हैं । मान्यवर, अभी कुंवर साहब ने जैसा बताया कि बिहार में चुनावी लाभ उठाने के लिए इसी पार्टी की केन्द्र सरकार ने चार हजार मेगावाट बिजली बनाने के लिए नये संयंत्र लगाने की घोषणायें की लेकिन उसी पार्टी की जो सरकार यहां पर दो ढाई साल सें चल रही है एक भी पैसा आज इसको नहीं मिल रहा है। मैं इस दुराग्रह पूर्ण निर्णय की निन्दा करता हूं और इसकी आलोचना करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो जो 16 घंटे से 10 घंटे बिजली आ गयी थी, वह चार घंटे भी नहीं दे पायेंगे । इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और इस पर सारे कार्यों को रोककर इसमें चर्चा करायी जाय ।

* श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जिस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी, लालजी वर्मा, अम्बरीष कुमार जी ने चर्चा किया यह विषय ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । एक तरफ तो हम यह चर्चा करते हैं कि किस तरह से इन्तजामात कराये जायें जिससे जनजीवन ऊंचा उठ सके, कल कारखाने लग सकें, लोगों की आमदनी बढ़ सके, लेकिन आज स्थिति होती जा रही है कि आज कोई पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं है और उसका कारण यह है कि यह गारन्टी नहीं है कि जो कल कारखाने लगेंगे उन्हें विद्युत आपूर्ति का मानक क्या होगा, कितने घंटे उन्हें विद्युत आपूर्ति की जायेगी । मान्यवर, जैसा कि अभी अम्बरीष कुमार जी ने कहा कि यदि हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कृषि की बात आती है । लेकिन विद्युत आपूर्ति न होने के कारण यह कठिनाई हो रही है । आज विद्युत आपूर्ति घटती जा रही है । आज कल कारखानों को बिजली नहीं मिल पा रही है । मैं अपने क्षेत्र का जिक्र करूंगा कि हमारे काश्तकारों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, वहां पर वर्षा भी नहीं हो रही है तो इससे क्या कृषि उत्पादन बढ़ेगा ? आज आप सहारनपुर और देहरादून या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जायेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं उन्होंने विद्युत संयंत्र कटवा दिये हैं और डीजल सेट लगवा लिये हैं और उससे काम चला रहे हैं । इसका कारण यह है कि मिनिमम बिल के नाम पर उनका शोषण किया जाता है । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात विशेष रूप से कही गयी, उत्तरांचल का जो क्षेत्र है, देहरादून जनपद में जो देहरादून वेली का क्षेत्र है वहां इस बात की भी इजाजत नहीं है कि विद्युत की आपूर्ति की जो कमी है उसको सप्लीमेंट करने के लिये डीजल सेट लगाये जा सकें । बिजली आप देंगे नहीं किसी तरह से कल कारखाने वहां लगेंगे नहीं तो होगा क्या ? आज हाईस्कूल और इण्टर की परीक्षायें होने वाली हैं बिजली का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, रात 12 बजे के बाद बिजली आप देंगे तो उससे क्या होगा ? उत्तरांचल के अन्तर्गत वहां अधिकांश हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, वहां हमेशा विद्युत आपूर्ति को कटौती से मुक्त रखा गया है यह शासन के तमाम आदेश हैं लेकिन इस भाजपा की वर्तमान सरकार मे इस निकम्मी सरकार का जो परिणाम है कि आज समूचे उत्तरांचल के अन्दर विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां टोटली ब्लैक आउट है 8–10 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है । वहां बिजली के उत्पादन के लिये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट लगाये गये हैं वहां कोई कल कारखाने भी नहीं हैं । डोमेस्टिक कनेक्शन्स पर भी विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है ।

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश में कोई नये पावर प्लांट नहीं लग रहे हैं सरकार बिजली की स्थिति को सुधारना नहीं चाहती है इसके नाम पर राजनीति का अखाड़ा बनाकर राजनीति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करना चाहती है, यह कहा गया कि बिजली बोर्ड का विघटन कर देंगे परिसम्पत्तियों को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर देंगे, बिजली बोर्ड की डेढ़ लाख करोड़ की परिसम्पत्तियों को यह सरकार 14 हजार करोड़ रु० में बेचने के लिये तैयार है। अभी 8 नवम्बर को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी ने लखवाड़ ब्यासी प्रोजेक्ट और मनेरी भाली परियोजना का दौरा किया जो खपत की कमी को पूरा करने के लिये इस कमेटी ने रिकमंडेशन की थी जिसे 17 तारीख को कैबिनेट में प्रस्तुत किया था उसको किनारे कर दिया गया कारण कि वह कमेटी कल्याण सिंह सरकार द्वारा भेजी गयी थी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आप इस सरकार को निर्देश दें कि लखवाड़ व्यासी परियोजना और मनेरी भाली परियोजना जिसकी कैपिसिटी क्रमशः 420 मेगावाट व 300 मेगावाट है उसको पूरा करायें टेहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की स्थिति का कायापलट कर सकती है, उसको लगने से तनख्वाह का जो प्रश्न पैदा हो रहा है कर्मचारियों के वह स्थिति न आने पाती। इन जल विद्युत परियोजनाओं के लगने से हम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सम्पन्न होते। इन जल विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन की कार्यवाही यह सरकार करे।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बिजली की कटौती के प्रश्न पर बड़े जोरदार ढंग से अपना पक्ष प्रस्तुत किया। यदि इस समस्या के गर्भ में जायें तो यह आज की समस्या उत्पन्न नहीं है यह विगत 10 सालों से यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ते हुए इस स्थिति पर पहुंची है। संयोग यह भी रहा है कि माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति के चलते धीरे-धीरे मांग बढ़ती चली गयी ग्राम विद्युतीकरण और सब्सीडाइज्ड बिजली देने के प्रयास जो सरकारों द्वारा किये गये इसके विपरीत उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जितनी भी सरकारें आयी चाहे वह सपा की हो बसपा की हो किसी ने उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, जिस तरह से ओबरा और आनपरा और अन्य तापीय इकाइयां उत्पादन कर रही हैं उसके अनुरूप पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत की मांग बढ़ी है उसको यदि आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करें तो 5120 मेगावाट से अधिक की पीकआवर में मांग है जबकि 2820 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। पिछली सरकारों द्वारा विगत कई वर्षों से पुरानी मशीनों की मेन्टीनेन्स के ऊपर धन न देने के कारण एक-एक कर अनेक इकाइयां बन्द हो जाने के कारण तापीय उत्पादन घटा है। मान्यवर, मांग के अनुरूप उत्पादन की कमी को पूरा करने हेतु हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के एन० टी० पी० सी० से 1600 मेगावाट का आयात कर रही है जिस पर 700 मेगावाट की कमी हो रही है।

जिस तरीके से माननीय सदस्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी विद्युत की आपूर्ति कम हो रही है। मैं मानता हूं लेकिन 9 से 10 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति करने में हम कामयाब रहे हैं। तहसील स्तर पर 15–16 घंटे, जनपद स्तर पर 18–19 घंटे आपूर्ति कर रहे हैं मण्डल और महानगरों में 21-22 घंटे आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन इस आपूर्ति को बढ़ाने में हम कामयाब रहे हैं। जहां तक माननीय सपा के सदस्यों द्वारा परीक्षार्थियों की पढ़ाई की बात उठायी गयी है यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे लोग पढ़ाई की बात करते हैं जिन्होंने नकल अध्यादेश को समाप्त कर उनके जीवन को तबाह करने का काम किया है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है इसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। बच्चों की चिन्ता हमें भी है।

श्री राम औतार शाक्य–

यह क्या चुनावी भाषण हो रहा है मान्यवर, यह विधान सभा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह--

माननीय वर्मा जी ने रमजान के महीने में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा प्रयास है कि रमजान के महीने में सुबह और शाम दोनों समय हम कटौती से मुक्त रख करके उनको रमजान के महीने में विद्युत आपूर्ति करेंगे । धन्यवाद ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, सब लोग इसमें पूछना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी की बात आ गयी है । इस तरह से प्रश्न उपस्थित करते रहेंगे तो चर्चा हो जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

इसमें चर्चा कहां हो जायेगी ? जितना समय आप लगा रहे हैं इसमें उससे कम समय लगेगा। माननीय राज्य मंत्री जी, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने यहां तथ्यों को तोड़-मरोड़कर बहुत अच्छा भाषण दिया । पूछा कुछ गया था आप भाषण दे रहे थे । मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपका तो अभी नया-नया गठजोड़ हुआ है, आप भी विरोध से आये हो । मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कितना विद्युत का उत्पादन है और कितनी विद्युत की कमी है, कितनी विद्युत एन० टी० पी० सी० से लेते हैं और आपका कितना प्लान्ट लोड फैक्टर है, उत्तर प्रदेश के बिजलीघरों का । दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि नवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विद्युत की खपत होने की सम्भावना है और विभिन्न स्रोतों जैसे जलीय, एटामिक, तापीय और गैस आदि से कितना उत्पादन कर इसे पूरा करेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश में लोग उद्योग लगा सकें ?

(कई सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने का अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

सभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो यह चर्चा हो जायेगी । सभी माननीय सदस्य स्पष्टीकरण करने लग जायेंगे तो यह प्रश्न प्रहर बन जायेगा । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाने दें ।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन की कमी है तो फिर टांडा का विद्युतघर एन० टी० पी० सी० को क्यों दे रहे हैं ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जब से रमजान का महीना शुरू हुआ है, अम्बेडकर नगर में किस दिन शाम को पूरे समय बिजली दी गयी है, यह बता दें ?

श्री अम्बरीष कुमार--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि समय-समय पर प्रदेश शासन द्वारा यह घोषणा की गयी है कि हरिद्वार जो धार्मिक स्थल है, वहां 24 घंटे विद्युत आपूर्ति रहेगी और इसे विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायेगा । क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार अपने इस आश्वासन को अभी तक पूरा कर सकी है और क्या इस आश्वासन को पूरा करने का काम करेगी । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि पिछले 10 सालों के अन्तर्गत सरकारों ने

विद्युत उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया । मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले ढाई साल से आप भी इस सरकार में हैं तो क्या 25 प्रतिशत जिम्मेदारी स्वयं भी वहन करने की बात कहेंगे ?

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने अवसर दिया । मैं दो बातें जानना चाहता हूं । जैसा मैंने अपने नोटिस पर कोड भी किया था कि यह शासनादेश है कि सम्पूर्ण उत्तरांचल को पावर कट से मुक्त रखा जायेगा, लेकिन इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर पावर कट हो रहा है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी सदन में इस बात का आश्वासन देंगे कि उत्तराखण्ड क्षेत्र को शासनादेश के अनुसार पावर कट से मुक्त रखा जायेगा ? दूसरे यह भी जानना चाहता हूं कि इसी सदन में सरकार ने बार-बार कहा है कि विद्युत जनरेशन बढ़ायेंगे लेकिन फिर भी सरकार को विद्युत आयात करना पड़ रहा है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि विद्युत आयात पर कितना खर्च सरकार को करना पड़ रहा है ?

मान्यवर, जिस हाई पावर कमेटी का जिक्र किया गया था, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी थी, लखवार व्यासी के संबंध में, उसने जो अनुशंसायें की थीं उनके सम्बन्ध में सरकार कब तक फैसला कर लेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जो आंकड़े आप चाहते हैं उनके संबंध में शासन को उत्तर मंगाना पड़ सकता है । इसलिये जो जानकारी मंत्री जी को हो वह बता दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा कि कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने प्रश्न किया था तो मैं बताना चाहता हूं कि तापीय परियोजना के माध्यम से 2380 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जलीय योजना से 441 मेगावाट उत्पादन हो रहा है इस प्रकार कुल 2821 मेगावाट उत्पादन हो रहा है जबकि मांग 5120 मेगावाट विद्युत की है । मान्यवर, हम 1600 मेगावाट विद्युत का आयात एन० टी० पी० सी० से कर रहे हैं । इसके बावजूद कुल उपलब्धता 4421 मेगावाट की है । इस प्रकार 700 मेगावाट विद्युत का गैप है । इसलिये हमें कटौती करनी पड़ रही है ।

मान्यवर, प्लांट लोड फैक्टर विभिन्न योजनाओं में अलग-अलग है जिसकी सूची बाद में उपलब्ध करा देंगे ।

मान्यवर, जहां तक टाण्डा के बारे में और अकबरपुर में विद्युत सप्लाई के बारे में कहा है तो उसका पूरा विवरण माननीय सदस्यों के पास हम भिजवा देंगे कि अकबरपुर में कब-कब कटौती हुई है । टाण्डा प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक कोई ऐसा विचार नहीं चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान और श्री लालजी वर्मा तथा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

अगली सूचना श्री राम नक्षत्र जी की है । वह अपनी बात कहें ।

* श्री राम नक्षत्र–

अधिष्ठाता महोदय, विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से आप जानते होंगे कि 23 नवम्बर से लेकर आज तक विधान सभा के समक्ष आयुर्वेद और यूनानी के छात्र और छात्राएं धरने पर बैठे हैं और संघर्षरत हैं । इसी कड़ी में 13 दिसम्बर, 1999 को वे शांति पूर्वक तरीके से अपनी मांगों को लेकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ज्ञापन देने के लिये आ रहे थे लेकिन उनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया । यहां तक महिला पुलिस की उपस्थिति में पुलिस बल ने छात्र और छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया । उनकी मांगें न्यायोचित हैं और कल रात्रि में भी उनके ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा उनके धरना स्थल पर पहुंच कर उन्हें अपमानित किया गया, उनके सामानों को उठा ले जाया गया और तमाम कागजातों को फाड़ दिया कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर न बैठें और धरना समाप्त करें । ऐसी धमकी दी गयी और पिस्तौल दिखाकर उनके सारे सामानों को उठा लिया गया । आज भी यह शासन के सामने चुनौती है और आज भी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठायी लेकिन उन्हें बर्बरता पूर्वक हटा दिया गया । मैं मांग करता हूं कि उनकी मांगें न्यायसंगत हैं और उन्हें मान लिया जाये और इन निर्दोष छात्रों को तुरन्त रिहा किया जाये । 12-13 दिसम्बर, की घटना के बाद 86 छात्र-छात्राओं का चालान किया गया । दो छात्रों को आई० पी० सी० की धारा लगाकर चालान किया गया । इन छात्र-छात्राओं को उन अपराधियों के साथ रखा गया है जो पारम्परिक अपराधी हैं । मैं मांग करता हूं कि सारे सवालों को स्थगित करके इस पर चर्चा करायी जाये ।

पूरे प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजों के शिक्षकों की वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रधानाचार्य के 10 पद स्वीकृत हैं, 5 भरे हैं तथा 5 रिक्त हैं । सी०सी०आई०एम० मानक के अनुसार 10 पद होने चाहिए। प्रोफेसर के स्वीकृत पद 42 हैं । 7 पद भरे हैं तथा 35 पद रिक्त हैं । सी०सी०आई०एम० मानक के अनुसार 140 पद होने चाहिए । रीडर के स्वीकृत पद 72 हैं । 40 पद भरे हुए हैं तथा 32 खाली हैं । सी०सी०आई०एम० मानक के अनुसार 160 पद होने चाहिए । सीनियर लेक्चरर के स्वीकृत पद 150 हैं, 120 पद भरे हैं तथा 30 पद रिक्त हैं । सी०सी०आई०एम० मानक के अनुसार 320 पद होने चाहिए । डिमांस्ट्रेटर (लेक्चरर) के कुल स्वीकृत पद 79 हैं । 53 पद भरे हुए हैं तथा 26 पद रिक्त हैं । सी०सी०आई०एम० मानक के अनुसार 380 पद होने चाहिए । वे अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं और उनकी मांग न्यायसंगत है । इस सदन में आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि तत्काल उनके 10 सूत्रीय मांगों को मद्देनजर रखते हुए और न्यायसंगत तरीके से, संतोषजनक तरीके से उनके धरने को समाप्त कराया जाये । इन सारी बातों को देखते हुए इस पर चर्चा करायी जाये । माननीय मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं कृपया स्पष्ट उत्तर दिलायें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को बुला लिया है । आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

* लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्य ने आयुर्वेद और यूनानी कालेज के छात्रों के आन्दोलन के बारे में और उनके ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ उस पर अपनी बात रखी है । मान्यवर, जहां तक आन्दोलन का प्रश्न है । मेरी स्वयं वार्ता हुई है । उनकी मांगों को देखा है और मैंने उन्हें स्वीकार भी कर लिया है । मुझे स्वयं बड़ा आश्चर्य है कि वे अब क्यों बैठे हैं क्योंकि मैंने उनकी सारी मांगों को स्वीकार किया है । मैंने गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया से सम्बन्धित जो है, उसको भी मैंने लिख दिया है और मैंने स्वयं भारत सरकार से वार्ता भी कर ली है । मान्यवर, कुछ विलम्ब हो सकता है उसके क्रियान्वयन में, हमने कहा है कि 3 महीने के अन्दर आपकी मांगों की पूर्ति होनी शुरू हो जायगी क्योंकि तत्काल तो कोई चीज हल नहीं हो सकती । जैसे नियुक्तियों का मामला है वह तत्काल नहीं हो सकता उसकी एक प्रक्रिया है । उन्होंने कहा था कि बजट बढ़ाया जाय तो हमने बजट बढ़ाने का प्राविधान किया है । हमने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गवर्नमेंट आफ इण्डिया का जो भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग है उसके सेक्रेटरी और मंत्री जी से वार्ता की है कि कैसे इस मद में बढ़ोत्तरी हो सकती है । हमने छात्रों से सारी बातें बतायीं । उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट पदों के लिये कहा तो हमने उनको भी बढ़ाने की बात कही है । उनकी लगभग सभी मांगों को हमने स्वीकार किया है । कुछ वित्तीय प्रश्न हैं उस पर विचार करना पड़ेगा ।

सरकार स्वयं आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को विकसित करने के लिये प्रयत्नशील है । उनकी लगभग सारी मांगों को स्वीकार किया गया लेकिन आज भी वह आन्दोलनरत हैं यह एक आश्चर्य का विषय है । उन्होंने कहा कि आश्वासन से काम नहीं चलता है । लिखकर दे दीजिये तो मैंने लिखकर दे दिया । कल वह मुख्य मंत्री जी से मिले और जो बातें स्वीकार हो चुकी हैं वही बातें मुख्य मंत्री जी से कहीं, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपकी मांगों पर कार्यवाही की जायेगी और आपको 3 महीने के अन्दर दिखायी पड़ने लगेगा कि मांगों की पूर्ति हो रही है । लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि वह फिर भी आन्दोलनरत हैं । उनके पीछे कौन से लोग हैं यह जरूर विचार का विषय है । इस तरह की अनुशासनहीनता उपयुक्त नहीं है । मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि वह सहयोग करें । जब हमने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं तो वह क्यों धरने पर बैठे हुए हैं । जो आन्देलन से सम्बन्धित बिन्दु हैं उनको स्वीकार किया है । दूसरी बात लाठी चार्ज की है तो उसके बारे में मैजिस्टीरियल जांच का आदेश दे दिया गया है उसको देखा जायेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं लाठी चार्ज नहीं हुआ है । मेरी समझ में नहीं आता है कि अब भी वह क्यों आन्दोलनरत हैं । आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं, आप जाकर कहें कि आप लोग अपनी पढ़ाई करें ।

श्री राम नक्षत्र–

माननीय मंत्री जी ने बहुत स्वदेशी की भावना प्रदर्शित की है और कहा है कि आयुर्वेदिक और यूनानी जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उनका विकास किया जायेगा । लेकिन जहां तक सवाल है लाठीचार्ज का तो छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और उनके साथ बेइन्तहा हैवानियत से पुलिस के जवान पेश आये हैं । हमारी मांग जायज है और सरकार ने स्वीकार किया है लेकिन पुनः उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है । यदि आप समय निर्धारित कर दें तो हम उनके प्रतिनिधिमण्डल को लेकर स्वयं मिलेंगे । आप एक समय निर्धारित कर दीजिये ।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह परम्परा ठीक नहीं है । आप बैठें । इस सूचना पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम नक्षत्र तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को नियम–56 में अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री उदय राज यादव की है ।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक बहुत ही गम्भीर प्रकरण पर बोलने का अवसर दिया । राजधानी से लगे हुए एक कस्बे तेलीबाग के मोहल्ला गांधीनगर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह से आवास एवं विकास परिषद् के कर्मचारियों ने अपने दल-बल के साथ जाकर वहां पर एक दर्जन लोगों के घरों को गिराने का काम

किया । किस तरह से पुरुषों और महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार किया । वहां एक-दो महिलाओं को बांधकर डाल आने का भी काम आवास विकास परिषद् के लोगों ने किया । घटना 23-12-99 की है तेलीबाग के मोहल्ला गांधीनगर में आवास एवं विकास परिषद् के अधिशासी अभियन्ता व अन्य कर्मचारी/अधिकारी पुलिस बल के साथ जाकर लोगों के घरों को लूटने का काम किया तथा बुलडोजर लगाकर एक दर्जन घरों को गिराने का काम किया गया । नन्द किशोर, निरुपमा श्रीवास्तव, श्री राकेश कुमार, प्रेमचन्द्र, राकेश कुमार वर्मा, राम चन्द्र पाठक, विमला देवी के मकानों को गिराने का काम किया गया । इन पीड़ित लोगों ने वर्ष 1995 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश प्राप्त कर रखा था कि उक्त भूमि पर आवास एवं विकास परिषद् द्वारा किसी प्रकार का दखल नहीं दिया जायेगा । ये लोग स्टे आर्डर को भी दिखा रहे थे लेकिन उनकी बातों को न मानकर जबरिया उन मकानों को गिराने का काम किया गया । 28-12-99 को मोहनलालगंज क्षेत्र की सांसद के नेतृत्व में हजारों लोगों ने वहां रास्ता जाम करने तथा धरना देने का काम किया था तब मजबूर होकर एस० पी० सिटी तथा ए० डी० एम० द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश दिया गया । एक तरफ महिलाओं को बेइज्जत करने का काम किया गया दूसरी तरफ जबरिया घरों को लूटने का काम किया गया ।

मान्यवर, वर्तमान सरकार कारगिल में जो सेना के जवान मारे गये उनके परिवारों को तमाम सुविधायें देने का काम कर रही है वहीं दूसरी तरफ जो सैनिक आज हिन्दुस्तान की सुरक्षा में लगे हैं उनके घरों को गिराने का काम किया गया । 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है और गलत तरीके से भूमि पर कब्जा करने का प्रयास आवास विकास परिषद् द्वारा किया जा रहा है । यह सोचने का विषय है । माननीय अधिष्ठाता जी, एक जानकारी देना चाहता हूं । 1983 में आवास विकास परिषद् ने रायबरेली रोड योजना दो फेज में लाने का काम किया था । फेज–1 का 1983 में नोटीफिकेशन करने का काम किया गया था । नोटीफिकेशन हो जाने के बाद आज तक किसी भी जमीन मालिक/किसान को एक पैसे का मुआवजा देने का काम नहीं किया गया और न आवास विकास परिषद् ने कब्जा किया । 1995 में भूमि मालिकों/किसानों ने स्टे ले लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप अपने को सूचना की ग्राह्यता तक ही सीमित रखें ।

श्री उदय राज यादव–

मैं केवल दो तीन चीजें मंत्री जी से जानना चाहता हूं । इस घटना के दोषी जिनके खिलाफ 28 तारीख को एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई है क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का काम सरकार करेगी । जिन लगभग एक दर्जन लोगों के मकान गिराये गये हैं क्या उन लोगों को मुआवजा देने का काम सरकार करेगी ? व 1995 में मा० उच्च न्यायालय ने जो स्थगन आदेश जारी किया था क्या उस आदेश का पालन करने के लिये सरकार आवास विकास परिषद् को बाध्य करेगी ? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर हजारों लोगों को बेघर करने का काम किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है ।

श्री उदय राज यादव–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके पास इस मामले से सम्बन्धित फोटो कापी भिजवा रहा हूं । मंत्री जी को हमारी बात का जवाब देना चाहिए । हम लोग यहां क्यों आते हैं ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका मार्ग दर्शन चाहूंगा। हर बात पर जरूरी नहीं है कि कुछ कहा जाए। आपने अपनी बात कह दी है आपको बात कहने का अधिकार है। यह कोई अंताक्षरी नहीं है। यह सत्ता पक्ष के विवेक पर है कि वह किस बात पर रिएक्ट करे। मैं तो काफी समय से इस सदन का सदस्य रहा हूं। अगर 5-6 कार्य-स्थगन होते थे तो एक आधार पर ही सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आती थी। जहां तक माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है मेरे पास जानकारी आई है कि यह अतिक्रमण का मामला था अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जो कागज आपने भेजे हैं उसके आधार पर अगर कोई अतिरिक्त जानकारी होगी तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री उदय राज यादव–

अतिक्रमण सड़क के किनारे हटाये जाते हैं। मगर दो कि०मी० अन्दर जाकर लोगों के घरों को गिराया गया, व लोगों के घरों को लूटा जाए, मैं फोटो भेज रहा हूं, महिला बंधी पड़ी हैं।

श्री अधिष्ठाता–

सम्बन्धित मंत्री जी को यह बात लिखकर दे दें।

श्री उदय राज यादव–

जो अधिशासी अभियन्ता और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई है उस पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

एफ० आई० आर० पर जांच होती है वह प्रक्रिया अलग है। यह जो विषय आपने रखा है उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री उदय राज यादव–

जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया है उस पर कार्यवाही होगी या नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

एफ० आई० आर० पर जांच होने दीजिये।

श्री हुकुम सिंह–

जो अपेक्षित कार्यवाही हो सकती है, कराई जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

श्री उदय राज यादव और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री बाबू लाल–

मथुरा शहर में थाना नहरौली के अन्तर्गत किसानों की जमीन पर बाबा जय गुरूदेव के चेलों द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह जमीन सैकड़ों एकड़ जमीन है, अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। दिनांक 29-10-99 को जब किसानों ने और पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया तो बाबा जय गुरू देव के चेलों और एस० एस० पी०, पुलिस ने उन पर लाठी-डंडों से प्रहार किया और झूठे मुकदमों में बन्द करवा दिया। मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे बाबा के खिलाफ जो सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा किये हुए हैं, अविलम्ब कार्यवाही की जाये। जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ

जो मुकदमें कायम किये गये हैं वह वापस लिये जायें और उनकी जमीन वापस दिलाई जाये । मैं इस समस्या पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए एस० एस० पी० को हटाये जाने की मांग करता हूं । जो यू० पी० एस० आई० डी० की जमीन है, प्लाट है, जिन पर उनके कब्जे हैं बाबा के आतंक से सभी लोग अपनी-अपनी जमीनें छोड़ कर भाग रहे हैं । जब 29 तारीख को प्रदर्शन किया गया तो प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई और मात्र 50 एकड़ भूमि छोड़ दी गयी जिस पर बाबा के चेलों ने पुनः कब्जा कर लिया है । यह बाबा एस० एस० पी० और डी० एम० की मदद से जमीनों पर कब्जा कर रहा है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उस बाबा के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं और चाहता हूं कि जिनके प्लाट हैं, जिनकी जमीन हैं उन्हें उनका उस जमीन और प्लाट पर कब्जा वापस दिलाया जाये और जिन निर्दोषों के खिलाफ मुकदमें दायर किये गये हैं वह वापस लिए जायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बात सही है कि जो यह जय गुरूदेव संस्था है, इसका कब्जा निश्चित रूप से कुछ भूमि पर अवैध है । अभी तक 35 एकड़ भूमि से कब्जा हटाया गया है और कागजों के अनुसार 35319 एकड़ भूमि पर कब्जा है जिसमें से 22 हजार हेक्टेयर भूमि पर उसका नाम है और 11 हजार हेक्टेयर भूमि यू० पी० एस० आई० डी० की है । यह गम्भीर प्रकरण है और इस गम्भीरता को देखते हुए हम निश्चित रूप से कुछ आदेश भी देंगे । इस बाबा द्वारा जो भी जमीन कब्जा की गयी है उस पर से उसका कब्जा हटाया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस सूचना पर श्री बाबूलाल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया है । इसके बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । शेष सूचनाओं में श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गनर, शैडो प्रदान किये जाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । पांच सूचनायें चर्चा के लिए थीं वह हो गईं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, कृपया थोड़ा समय दें, मैं अपनी बात थोड़े में ही समाप्त कर लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

पांच प्रथम सूचनाएं ग्राह्यता के लिये सुनी गईं और मैंने इन पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

एक नई चीज शुरू न करें । मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । सातवीं सूचना सर्वश्री अफजाल अंसारी, राजेन्द्र यादव तथा श्री कैलाश यादव जी की कारगिल युद्ध में शहीद श्री राम दुलार यादव और जय प्रकाश यादव के आश्रितों को सरकार द्वारा समुचित सहायता राशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है । इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । आठवीं सूचना श्री स्वामी ओइमवेश जी की पड़ोसी राज्यों के समान उत्तर प्रदेश में भी जाटों को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं उनके नाम हैं सर्वश्री राजपाल सिंह, समरपाल सिंह, कौकब हमीद, आर० के० सिंह पटेल, डा० कौशल किशोर, श्री मोती लाल पैलवी, श्री अरविन्द गिरि, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद ।

(श्री अफजाल अंसारी द्वारा फ्लोर को क्रास किया गया)

दर्शक दीर्घा से नारे लगाने एवं सदन में पर्चा फेंकने के प्रयास में पकड़े गये व्यक्तियों को उपवेशन की समाप्ति के बाद छोड़े जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मुझे एक सूचना देनी है । आज दिनांक 3-1-2000 को प्रश्नोत्तर काल में लगभग 11.15 बजे सदन की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा नं०–1 एवं 4 में बैठे हुए कुछ दर्शकों ने जिनकी समेकित संख्या 7 है, नारे लगाने एवं पर्चा फेंकने का प्रयास किया किन्तु दीर्घाओं में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनके इस प्रयास को निष्फल कर दिया और उन्हें तत्काल दीर्घाओं से बाहर ले आये । उनसे जानकारी करने पर उनके पास दीर्घाओं के 11 से 1 बजे की पाली के प्रवेश-पत्र, जो ब्रांच नोटिस आफिस से जारी कराये गये हैं प्राप्त हुए । इन सातों प्रवेश-पत्रों में 4 प्रवेश-पत्र श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा तथा शेष तीन प्रवेश-पत्र श्री मो० मुकीम, सदस्य, विधान सभा के नाम से जारी किये गये हैं । उक्त सभी सातों दर्शकों को विधान सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में सम्प्रति हिरासत में ले लिया गया है । इनका नाम, पता एवं उनके प्रास से प्राप्त हुए प्रवेश-पत्र आदि का विवरण (जैसा कि उन्होंने बताया) निम्नवत् है :—

क्रमांक	नाम व पता	प्रवेश-पत्र सं०	सदस्य जिसकी संस्तुति पर प्रवेश-पत्र जारी हुआ
1	2	3	4
1	श्री संग्राम सिंह पुत्र श्री बदलावन सिंह नि०–ग्राम–दुर्गापुरन, रमपुरा, थाना–महराजगंज, फैजाबाद	1436	मा० मो० मुकीम, विधायक
2	श्री राम गोपाल पुत्र श्री गनेशी लाल, 135. राजामण्डी, आगरा	1429	मा० मो० मुकीम, विधायक
3	कु० रूसी नाज पुत्री मो० नसीम 308/24, जौहरी टोला, चौक, लखनऊ	1439	मा० मो० मुकीम, विधायक
4	श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री के० डी० सिंह, 238 डी/4 जयन्तीपुर, थाना–धूमनगंज, इलाहाबाद	1442	मा० श्री चेतराम, विधायक
5	श्री एस० एन० पाण्डेय पुत्र श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय, ढोकली बाजार दोकत, जिला–बलिया	1444	मा० श्री चेतराम, विधायक
6	श्री राकेश वर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र वर्मा, ए–332, आवास विकास कालोनी, इटावा	1446	मा० श्री चेतराम, विधायक
7	श्री जबरा सिंह पुत्र श्री जानी सिंह 66-बी, रेलवे कालोनी, मुरादबाद	1445	मा० श्री चेतराम, विधायक

उक्त सभी व्यक्तियों के प्रवेश-पत्र एवं माननीय सदस्यगण का संस्तुति पत्र मूल रूप में इस टिप्पणी के साथ संलग्न है ।

इन दर्शकों ने अपने इस आचरण से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया। अतः उन्हें दीर्घाओं सें हटा कर सम्प्रति मार्शल, विधान सभा के हिरासत में रखा गया है ।

यद्यपि इन व्यक्तियों के इस आचरण से सदन की कार्यवाही में अल्प समय के लिये व्यवधान पैदा हुआ है परन्तु ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों के आचरण पर विशेष ध्यान न देते हुए, आज के उपवेशन की समाप्ति तक उनकी हिरासत को उनके इस व्यवहार के लिये पर्याप्त सजा मानते हुए, यदि सदन सहमत हो तो सदन के उपवेशन की समाप्ति के उपरान्त उन्हें छोड़ दिया जाय ।

(उक्त प्रकरण पर सदन में उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि प्रवेश-पत्र जारी करने में सतर्कता बरतने का कष्ट करें।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय" के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–44 को माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया गया है ।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय" के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के प्रस्ताव पर आरम्भ चर्चा का स्थगन

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) के विशेष प्रतिवेदन पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री केशो मेहरा तथा अन्य द्वारा नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने 26 फरवरी, 1999 को रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की थी । उ० प्र० राज्य सेतु निगम से सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया था । माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से यह चर्चा प्रारम्भ हुई है । इस चर्चा में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों.... (व्यवधान) इस प्रकरण में कुछ अधिकारियों ने समिति के क्षेत्राधिकार एवं कार्य संचालन प्रक्रिया को चुनौती दी थी । यह गम्भीर विषय है ।

श्री अधिष्ठाता-

मेहरा जी इसे प्रस्तुत मानते हुए इस पर चर्चा जारी रहेगी । परसों तक के लिये स्थगित कर देते हैं । अब मैं अगली मद लेता हूं ।

श्री केशो मेहरा-

यह 13 जुलाई, 1999 का अल्पसूचित प्रश्न था ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) के विशेष प्रतिवेदन पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री केशो मेहरा तथा अन्य द्वारा नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विचार हेतु चर्चा का स्थगन (क्रमागत)

डा० सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, आपने मद संख्या 46 पर अपना निर्णय दे दिया । मान लीजिये चूंकि यह सदन की ही समिति है और सदन की समिति की अवमानना सदन की अवमानना है । ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों को यदि सदन में बुलाया जाता है तो यह अगले सत्र के लिये चला जायेगा । परसों अन्तिम दिन होगा । इसलिये इसको कल रख लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

कल की कार्यसूची काफी भरी हुई है इसलिये निवेदन सुन लें.....

डा० सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, आप सुन लें यह समिति इस सदन की समिति है और समिति इस सदन का एक मिनी हाउस होती है । जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गयी है उसमें सही सूचना नहीं दी गयी है । ऐसी स्थिति में इन्होंने गलत सूचना सदन को दी है इन अधिकारियों ने सदन की अवमानना की है सदन में बुलाया जाना चाहिए । यदि आप रूलिंग देना चाहें कि कल उनको सदन में बुलवा लिया जाए और वह सदन में स्पष्टीकरण दें ।

श्री राम प्रसाद कमल-

कानूनी प्रक्रिया है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, फिर उत्तर देंगे, उसके बाद तय होगा क्या कार्यवाही होगी ।

श्री अधिष्ठाता-

परसों तक के लिए इसे स्थगित किया जाता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, कल तक के लिए स्थगित करें ताकि सदन यदि निर्णय करे कि उन अधिकारियों को सदन में बुलाया जाये, तो परसों बुला लिया जायेगा अगर परसों तक स्थगित करेंगे तो सत्र खत्म हो जाएगा । यह छठा अवसर है जब इसको स्थगित किया जा रहा है ।

श्री राम औतार शाक्य-

सदन बढ़ा दे ।

श्री मुन्ना चौहान-

कल तक के लिए कर दें परसों तक के लिए स्थगित करेंगे तो सत्र में नहीं आ पाएगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग-

26 फरवरी, 1999 को यह सदन में प्रस्तुत हो चुका है। छठी बार कार्यसूची में आया है, मुझे लगता है कि जानबूझकर सदन की अवमानना करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी भावना को मैं समझ रहा हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग-

मेरी भावना नहीं सदन की भावना है।

श्री अधिष्ठाता-

कल की कार्यसूची में बहुत कुछ लगा है, हो सकता है कल की कार्यसूची में न आये।

डा० सरजीत सिंह डंग-

आप कल के लिए रख दें नहीं आएगा तो नहीं आयेगा यह सदन की अवमानना का प्रश्न है। मुझे लगता है उनको बचाया जा रहा है।

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)-

जब सदन में आ गया तो बचाने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री मुन्ना चौहान-

अगर सदन परसों के लिए करता है तो अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो पायेगी।

श्री केशो मेहरा-

26 फरवरी, 1999 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकारियों ने सार्वजनिक उपक्रम समिति के क्षेत्राधिकार को चुनौती ही नहीं दी बल्कि कार्य संचालन प्रक्रिया को भी चुनौती दी।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसे कल के लिए स्थगित करता हूं।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

दिनांक 13 जुलाई, 1999 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (क) के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 59 के अन्तर्गत चर्चा

श्री केशो मेहरा-

मान्यवर, पूरे प्रदेश के किसानों से संबंधित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया गया। 13 जुलाई, 99 को प्रदेश में लगभग 74 हजार किलोमीटर लम्बी नहर हैं 224 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचन क्षमता है, जहां 74 हजार किलोमीटर लम्बी नहर है नहरों द्वारा सिंचाई होती है वहां सिंचन शुल्क लिया जाता है लेकिन जहां एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और बिल पहुंच जाता है, अपील का समय दिया जाता है अपील की अवधि भी बढ़ा दी जाती है लेकिन पानी एक बूंद वहां नहीं पहुंचा। बिल उनको पहुंच गया और आर० सी० जारी हो गयी। एक तो सिंचाई नहीं हुई उसका खेत बोया नहीं गया उसके कारण नुकसान हुआ वहीं दूसरी ओर बिल भेज दिया गया। तो शासन ऐसी व्यवस्था करे, उत्तरी भारत नहर

और जल विकास अधिनियम में यह व्यवस्था है, इसमें संशोधन कर दिया जाय कि जहां पानी न जाय वहां बिल न जाय ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह विषय अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है । हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं । इस वर्ष खरीफ और जायद की जो पड़ताल होनी थी वह पड़ताल पहले पतरौल किया करते थे लेकिन अब लेखपाल के जिम्मे कर दिया गया है । जो नया संशोधन है उसके अनुसार लेखपाल ने किया है । इन्होंने पूरे प्रदेश में खरीफ और जायद की पड़ताल नहीं । पिछले आंकड़ों के आधार पर फर्जी तरीके से वह पड़ताल भरी जायेगी । मैं कहना चाहता हूं कि इतने गम्भीर मामले में माननीय सदस्य ने जो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, मैं भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि यह जो विसंगति पैदा हो गयी है इससे अहित हो जायेगा । आप यह सुनिश्चित करा लें कि फर्जी पड़ताल न हो ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय केशो मेहरा जी ने चर्चा का प्रारम्भ किया और जिन शब्दों में हमारे मित्र ने उसका समर्थन किया मैं इनके विचार से अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं । पिछले कई वर्षों से किसी न किसी रूप में किसी न किसी माननीय सदस्य ने यह बात उठायी है और यह व्यथा है उन किसानों की जिन्होंने न खेत बोया न पानी ही मिला । एक शेर है–न खुदा ही मिला, न बिसाले सनम, न इधर के रहे और न उधर के रहे । उनका खेत सूख गया, कर्ज से लद गये । घर से जो पैसा लगाया था बीज के लिए, खाद के लिए, परिश्रम जो किया था वह सब नष्ट हो गया । और उसके बाद उनको बिल भेज दिया गया । जब पानी की सींच नहीं होनी है तो फिर आर० सी० जारी क्यों की जाती है । और खाज में कोढ़ का काम करते हैं जब अपील करते हैं तो जो चेयरमैन होता है उस दिन वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसान का खेत भी सूखा और दिन भर दौड़ने-दौड़ते उसके जूते के तल्ले भी घिस जाते हैं और अधिकारी मिल नहीं पाता है । तो यह दोहरा शोषण हो रहा है । यह स्थिति 10, 15 वर्षों से चली आ रही है । इसमें एक दो काम किया जा सकता है । एक तो यह कि जिस व्यक्ति ने बिल भेजने में सक्रिय भूमिका अदा की और उस खेत को पानी मिला नहीं उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय और दूसरा यह कि संशोधन किया जाय कि बिना पानी के कर नहीं देना है । जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा तब तक किसानों का शोषण होता रहेगा । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार कोई भी आती है वह यह कहती है कि वह किसानों की हितैषी सरकार है लेकिन विडम्बना यह है कि कोई सरकार ने इस ओर चिन्तन नहीं किया है । यहां शासन के प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस विषय को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए । जिनके यहां पानी नहीं पहुंचा उनके यहां बिल पहुंच गया है । इस समस्या का सदैव-सदैव के लिए निस्तारण कर दिया जायेगा यह अपेक्षा है । अन्यथा आप पीठ से मान्यवर, निर्देश दें कि किसानों का दोहरा शोषण हर प्रकार से रोका जाये ।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, पिछले वर्ष टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही गयी थी वह निराधार साबित हुई । उसमें जांच करायी जाये तो शायद ही कोई माइनर होगी जहां पर टेल तक पानी पहुंचा होगा । सरकार ने एक पानी अभी तक दिया है । किसी भी नहर में सिर्फ दो या तीन मील से आगे पानी नहीं पहुंचा उसका कारण इस वर्ष नहरों के माइनरों की कोई सफाई व्यवस्था नहीं की गयी जिससे पानी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगे पहुंच पाता । हमारे यहां तो पूर्वी जमुना नहर है हालत इतनी खराब हो गयी कि रोस्टर के हिसाब से 8 हफ्तों का रोस्टर बना दिया गया कि 8 हफ्ते किसानों को पानी दिया जायेगा । हमें बताया जाये कि कौन सा ऐसा बीज तैयार किया गया कि खेतों में 8 हफ्ते बिना किसी पानी के रोकी रही उसकी फसल । सरकार 8 हफ्ते में पानी देती है और पानी देने की जो बात कही गयी है लेकिन नहरों तक पानी पहुंचा नहीं और पानी आया कैसे, किसी ने आयें दायें करके ट्यूबवेल या डीजल चलाकर खेतों में पलेवा कर लिया गेहूं की बुवाई के समय पानी कर लिया लेकिन वह पानी बेकार गया किसानों के ऊपर सरकार का बिल चढ़ गया । अब सरकार चाह रही है कि किसानों के दाम बढ़ा दिये जायें यह अन्याय होगा किसान ऐसी स्थिति में नहीं है, उसको वाजिब दाम तो मिल नहीं पा रहा है । जो डंग साहब ने अधिकारियों की बात कही है वह बिल्कुल सही की है अधिकारी अपने आफिस से गायब रहते हैं जहां रिश्वत मिलने की बात होती है वहां 2 घंटे पूर्व वह दफ्तर पहुंच जाते हैं किसान की जो बात है, एम० एल० ए० मिनिस्टर को अधिकारी नहीं मिलते हैं । हिन्दुस्तार आजाद हो गया, देश से गोरे अंग्रेज चले गये लेकिन काले अंग्रेज आज भी यहां मौजूद हैं वह काले अंग्रेज जो अधिकारीगण हैं पूरा अपना कार्यक्रम चला रहे हैं । सरकार का उन पर कोई अंकुश नहीं है । इसमें सरकार अपना नियम बदले । टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दीजिये उसके खेत तक पानी पहुंचा दीजिये तब उससे आप बिल लेने के हकदार होंगे । ऐसा न हो कि एक दिन वह इतना आंदोलित हो जाये कि वह सारी विधान सभा जहां हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं यहां बैठकर किसी को चर्चा न करने दें ।

* सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिव शंकर)–

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा आयी पहले से भी किसानों का हित सुरक्षित है उसका एक नियम है इसके अन्तर्गत अगर पानी नहीं पहुंचा है और गलत प्रकार की पर्ची आ गयी है तो 21 दिन के अन्दर उसका प्रतिवाद या प्रतिवेदन करने का उसे अधिकार है । उसी तहत निस्तारण किया जाता है जांच की जाती है । यह कहीं भी नहीं कि पानी नहीं पहुंचा तो वहां सींच ली जायेगी । हमने पिछले साल 20 अप्रैल को एक बैठक करके निर्देश दिये थे कि सभी किसानों को एर्ची दी जाये और पर्चियां देने की बावत वह कार्य भी हुआ वह पर्चियां देने के बाद हमारे किसान भाई जिनके खेत नहीं सींचे गये भूल से पर्ची पहुंच गयी वह जिलेदार या उसके बाद सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता के पास जा सकता है अधिशासी अभियन्ता कर निर्धारण करता है और समाप्त करने का अधिकार भी उसमें सुरक्षित है कहीं पर भी यदि सींच नहीं हुई है तो उस पर सुनवाई करके उसे समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, क्या उस दृष्टिकोण से शासन उपाय सोचेगा जिलाधिकारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि समस्त गाटा संख्या का उल्लेख करके जहां सिंचाई नहीं हुई बिल न भेजने की कार्यवाही करेंगे हो क्या रहा है यह दिखाया जा रहा है कि इस नहर से अधिकतम सिंचन हुआ है । जानबूझकर पर्चियां भेजी जाती हैं अधिकतम रकबा सिंचन में ले आयें जबकि स्थिति वास्तव में वह नहीं होती है । प्रत्येक सिंचाई क्षेत्र में पानी खेतों तक गया, यह दिखाया जाता है । जल दिया नहीं बिल जा रहा है वहां अपील करनी पड़ रही है कोई ऐसी फुलप्रूफ व्यवस्था कि जहां पानी नहीं पहुंचा बिल न जाये ऐसी कोई व्यवस्था आप करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

21 दिन के अन्दर अपील की बात आयी । ठीक है, होता क्या है पर्ची कटी 20 तारीख को । तीन महीने बाद उस किसान को मिला तो इसमें पहली बात यह है कि अपील अगर हुई तो इसमें यह होना चाहिए था कि शासन यह तय कर देगा कि एक मास के अन्दर इसका निस्तारण हो जायेगा तो किसानों को लाभ होता । 3-3, 4-4, 5-5 वर्षों से इसके प्रकरण फंसे हुए हैं उसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ है । मैं अपेक्षा कर रहा था माननीय मंत्री जी से, यह कहेंगे कि किसी किसान के साथ अगर अन्याय हुआ है तो 3 माह के अन्दर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करके उसको रिलीफ दे दी जायेगी । अगर ऐसा आश्वासन आता तो मुझे प्रसन्नता होती और लाखों किसानों का हित होता ।

मैं अनुरोध करूंगा कि यह किसानों की हितैषी सरकार है और यह कहने में इनको जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यह नियम बनाने जा रहे हैं कि गलत पर्ची चली गयी तो 3 माह के भीतर इसका निस्तारण हो जायेगा । इसके लिये निर्देश दिये गये हैं अधिकारियों को अन्यथा वह अधिकारी अपने कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं होता ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, यह अधिनियम 1877 का बनाया हुआ है । अंग्रेजों के जमाने का यह जबरिया वसूली का नियम है । प्रश्न यह है कि जिसने गलत बिल भेजा उसको दण्डित करने की क्या व्यवस्था है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं, एक तो किसान को पानी नहीं मिला और दूसरे उसकी सजा उसी को मिल रही है । एक तो वह बो नहीं पाया और उसका बिल भेज दिया जो गलत बिल भेज रहा है उसकी सजा का प्राविधान नहीं है । जहां सिंचाई नहीं होती उसके लिये देखें और अगर नियम में जो भी संशोधन हों, वह किये जायें ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, जब किसान के ऊपर मुकदमा चलता है तो उसकी तरीखें कभी बड़ौत में पड़ती हैं, कभी बागपत में, कभी मुजफ्फरनगर में तो कभी गाजियाबाद जनपद तक उसको पहुंचा दिया जाता है,अभी तक होता यह है कि जिलेदार जहां जिस दिन बैठा है, उस किसान को वहीं पहुंचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए । तो क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि जहां का वह किसान रहने वाला है, वह मुकदमा वहीं पर चले ताकि किसान को परेशान न होना पड़े ?

श्री शिव शंकर–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने कहा कि दंड का प्राविधान होना चाहिए । यह पहले से है कि यदि कोई गलत पर्ची देता है तो जांच के बाद उसमें दंड का प्राविधान है और निलम्बन तक की कार्यवाही की जाती है । अभी तक सिंचाई विभाग के लोग सींच दर्ज करने का काम करते थे, लेकिन अब जिलाधिकारी के नियंत्रण में लेखपाल इस काम को करने वाले हैं, इसके लिये लेखपालों को जिलाधिकारी का निर्देश होगा । अभी तक दंड प्राविधान भी हमारे पास था लेकिन चूंकि अब यह काम लेखपालों को करना है इसलिये आगे कैसे क्या होगा, यह तय होना है । मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई विशेष मामला किसी किसान का हो तो उसको दे दीजिये, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी यह कह दें कि 6 महीने में प्रकरण का निस्तारण हो जायेगा, यदि इतना हो जाय तो किसान का बड़ा हित हो जायेगा ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने अगली मद पुकार लिया है, इसको चलने दीजिये ।

नियम–51 के अन्तर्गत आज दिनांक 3-1-2000 को कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें पहली सूचना श्री राम औतार शाक्य की–प्रदेश में कारगिल शहीदों की यादगार में विधायक निधि से शहीद स्मारक बनाने के लिये नियमावली में आवश्यक संशोधन कराये जाने के संबंध में है । इसे मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है ।

दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की–जनपद गोण्डा में नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष एवं प्रशासन की मिलीभगत से लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जेदारी कर निर्माण कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसे मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है ।

तीसरी सूचना श्री उदय राज यादव की–उत्तर प्रदेश की तहसीलों में बने बन्दीगृहों में बन्द किये जाने वाले लोगों के साथ किये जा रहे अमानवीय व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसे भी मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है ।

चौथी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की–जनपद जौनपुर में लखनऊ–वाराणसी राजमार्ग पर जलालपुर में सई नदी पर निर्मित बाईपास पुल के टोल टैक्स की वसूली की समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में है । इसे मैंने ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

पांचवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की–जनपद बहराइच में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षिकाओं तथा कर्मचारियों को विगत दो माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसे मैंने ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया है ।

छठी सूचना श्री उबैदुर्रहमान की–जनपद बलरामपुर के उतरौला विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित अधूरे मार्गों को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में है । इसे मैंने ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

सातवीं सूचना श्री आर०के० सिंह पटेल की–जनपद चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का पी० एल० ए० खाता न खुलने से अभी तक विधायक निधि का आहरण न होने के सम्बन्ध में है । इसे मैंने ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

उक्त सूचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को मैंने अस्वीकृत किया है । इनके नाम निम्नलिखित हैं ।

श्री दीप लाल भारती, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री विजय पाल सिंह, श्रीमती माया प्रसाद, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री अरविन्द गिरि, श्री रामजग, श्री आर० के० सिंह पटेल तथा श्री विश्वनाथ के हैं ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 36 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 3 जनवरी, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं०-62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1999 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-62 के उत्तर का संलग्नक

क्रमांक	फर्म का नाम जनपद	लाइसेंसधारक एवं पार्टनर के नाम	स्वीकृत लाइसेंस प्रपत्र	लाइसेंस पर अनुमन्य कोटा (भण्डारण) क्षमता एक समय में		
1	2	3	4	5		
				<u>शस्त्र/कारतूस बिक्री</u>		<u>शस्त्र मरम्मत</u>
1	प्रकाश गन हाउस हरदोई	1-श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी	प्रपत्र-11	1-रिवाल्वर	10/2000	05
		2-श्री भानु प्रकाश चतुर्वेदी		2-पिस्टल	10/2000	05
		3-सुश्री माण्डवी एवं अन्य		3-रायफल	25/2000	15
				4-बी एल/एम एल गन		25
			प्रपत्र-13	1-बी० एल० गन	300	
				2-एम० एल० गन	250	
				3-.22 बोर रायफल	20	
				4-बन्दूक के कारतूस	50,000	
				5-.22 बोर कारतूस	20,000	
				6-टीपी	1,00,000	
				7-बारूद	50 कि०ग्राम	
				8-एयर गन	15	
			प्रपत्र-14	सभी प्रकार के शस्त्र		
2	प्रकाश गन हाउस, सीतापुर	श्री रवि प्रकाश चतुर्वेदी एवं अन्य	प्रपत्र-12	शस्त्र/कारतूस बिक्री		

1	2	3	4	5	
				1–पिस्टल	10/2000
				2–रिवाल्वर	10/2000
				3–रायफल (.22 बोर के अतिरिक्त)	25/2000
			प्रपत्र–13	1–डी बी बी एल गन	–50
				2–एस बी बी एल गन	–50
				3–डी वी एम एल गन	–25
				4–एस बी एम एल गन	–25
				5–.22 बोर रायफल	–15
				6–गन कारतूस	–20,000
				8–.22 बोर कारतूस	–10,000
				8–पी० कैप्स	–50,000
3	प्रकाश गन हाउस, खीरी लखमीपुर	श्री विजय प्रकाश गुप्ता	प्रपत्र–11	शस्त्र मरम्मत	
				1–रिवाल्वर	05
				2–पिस्टल	05
				3–रायफल	15
				4–एम एल/बी एल गन	25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रपत्र–12	शस्त्र/कारतूस बिक्री	
	1–रिवाल्वर	10/2000
	2–पिस्टल	10/2000
	3–रायफल (.22 बोर छोड़ कर)	25/2000
प्रपत्र–13	1–बी० एल० गन	200
	2–एम० एल० गन .22 बोर	70
	3–रायफल	10
	4–शाट गन कारतूस	30,000
	5–.22 बोर रायफल कारनूस	5,000
	6–पी० कैप्स	50,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं०–149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अपराधियों का विवरण 1997-98 एवं 1998-99

नाम पता अभियुक्त	दिनांक मुठभेड़	थाना
1–संग्राम सिंह पुत्र झब्बू सिंह, नि० हेलेपारा, थाना सदरपुर, सीतापुर	1-3-97	खैराबाद
2–सरवन पुत्र परमेश्वर नि० बहेरवा, थाना पिसांवा, सीतापुर	23-9-97	मिश्रिख
3–रामपूजन गोड़िया पुत्र मूलचन्द्र नि० दौली थाना महोली, सीतापुर	9-11-97	महोली
4–अर्जुन पुत्र सुन्दर पासी नि० वरूवा, थाना रामकोट, सीतापुर	23-5-98	मिश्रिख
5–धोखे पुत्र छत्तर पासी नि० नरनी कटिघरा, थाना महोली, सीतापुर	16-6-98	इमिलिया सुल्तानपुर
6–ऊदन पासी पुत्र लछिमन पासी नि० कामा बहतलिया थाना तालगांव, जिला सीतापुर	12-7-98	सिधौली
7–रामपाल पुत्र मेड सिंह नि० चैनीभदमरा, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर	18-8-98	तालगांव
8–राम लक्षन उर्फ फक्कड़ पुत्र राम भजन कहार नि० महोली थाना महोली, जनपद सीतापुर	14-9-98	महोली
9–मुन्ना ड्राइवर पुत्र रियाज मो० कोट थाना कोतवाली, जिला सीतापुर	22-3-99	लहरपुर
10–मुनेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर, निवासी भिठौरा, थाना पिसांवा, जनपद सीतापुर	1-3-99	पिसांवा
11–दुर्गेश सिंह पुत्र फत्ते सिंह, नि० बीहटगौढ, थाना रामकोट, जनपद सीतापुर	1-3-99	पिसांवा

नत्थी 'ग'

देखिये पृष्ठ संख्या 115 का उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 के शोधन का विवरण

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये त्रुटि के शोधन का विवरण

विधेयक के खण्ड 10 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 30 के खण्ड (1) के अन्तर्गत, प्रविष्टि संख्या (22) में, शब्द "अधिारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया गया है।

पी०एस०यू०पी०–एल० 155 विधान सभा (267)–2000–813 (डी०टी०पी०) ।